खण्ड-212, अंक-1
गुरूवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1882
(31 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार , ३१ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर , श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री,
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदो, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशवानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पान्डेय, श्री
गनेशचन्द्र कछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अग्निवेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण , श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदत्त वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त निवारी
नारायणदास पासी, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
वंशीधरशुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
वसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री

बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
वृजबासी लाल , श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित , श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द , श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल श्री
यमुनसिंह श्री (गजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकान्त सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी , श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अभिलाषतिवारी, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति ,श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
राम खन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री

रामसूरत प्रसाद श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तल देवी, श्रीमती
शंभुदयाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त का डपाल, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मॉ.ाई), श्री
हिम्म सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३१ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१–२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

सादाबाद के थानेदार का तबादला रुकना

**३—श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मथुरा, तहसील सादाबाद, में मार्च, ६० में कुछ थानेदारों के तबादले के आदेश हुये हैं? यदि हां, तो उन्हें बाद में क्यों रोका गया है?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं।

श्री टीकाराम पुजारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा, थाना सादाबाद, में थानेदार का जो एस० पी० ने तबादला किया था, उसका आर्डर भी आ गया था, लेकिन कुछ साथियों ने जाकर जिलाधीश पर दबाव डालकर उस तबादले को रुकवाया? इस बात की जांच करने की सरकार कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच की आवश्यकता नहीं है। यह तो नियम है कि किसी एस० ओ० के तबादले के बारे में जिलाधीश और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस में मशविरा होना चाहिए।

श्री टीकाराम पुजारी—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण थे जिन से कि तबादले को रुकवाया गया और कितनी दरख्वास्तें उस थानेदार के खिलाफ थीं और उस पर सरकार ने अब तक क्या किया?

श्री रामस्वरूप यादव—महोदया, मैंने तो मार्च के बारे में यह उत्तर दिया है कि जी नहीं। अब इसका उत्तर क्या दूं मैं?

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि तबादले के आदेश दे दिये गये थे, लेकिन बाद में किसी वजह से वह कैन्सिल कर दिये गये?

श्री रामस्वरूप यादव—मार्च में ऐसा नहीं हुआ। फरवरी में सुपरिन्टेंडेंट पुलिस का ऐसा अपना आदेश था लेकिन जब तक कि दोनों की स्वीकृति न हो तब तक ऐसे तबादले नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एस० पी० ने जो थानेदार के ट्रांस्फर का प्रपोजल दिया था वह किन कारणों के आधार पर ट्रांसफर करना चाहते थे और किन कारणों से जिलाधीश उस से सहमत न हो सके?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रशासकीय कारण होते हैं। वह दोनों ही जानते होंगे।

अध्यापकों को महंगाई भत्ता देने के लिये जिला परिषदों को आदेश देने की प्रार्थना

**४—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल खोले गये हैं उन में काम करने वाले अध्यापकों को ५ रुपया तथा ढाई रुपया का मंहगाई भत्ता मिलता है?

शिक्षा उप मंत्री (श्री दीन दयालु शास्त्री)—जी हां।

श्री होरीलाल यादव—कतिपय जिला परिषदें इस नियम को लागू नहीं कर रही हैं, तो क्या सरकार उन के लिए आदेश शीघ्र भेजने की कृपा करेगी कि इस नियम को शीघ्र लागू किया जाय ?

श्री दीन दयालु शास्त्री—यदि आप लिखित शिकायतें देंगे तो किया जायगा।

कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के छात्रों की मांगें

**५—श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक ११-३-५९ को स्थानीय राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के स्थापत्य कक्षा के छात्रों का एक शिष्ट मण्डल मुख्य मन्त्री व उप मन्त्री श्री बहुगुना को मिला और उसने उन्हें एक एक मांग-पत्र पेश किया ? अगर हां, तो उसकी मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। उनकी मांगें निम्नलिखित हैं —

१—आर्किटेक्चर सेक्शन के लिए एक प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की जाय ।

२—इस विभाग के लिए और स्टाफ दिया जाय।

३—पांचवें वर्ष वाले कोर्स को आगरा विश्वविद्यालय से एफिलियेट कर लिया जाय।

४—तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा राज्य प्राविधिक बोर्ड द्वारा करायी जाय।

उक्त मांगों पर कार्यवाही इस प्रकार की जा रही है—

१ और २—उचित स्टाफ की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है।

३—पंचवर्षीय कोर्स को आगरा विश्वविद्यालय से एफिलियेट कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

४—तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा राजकीय प्राविधिक बोर्ड द्वारा करायी जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आखिर युनिवर्सिटी से एफिलियेट करने के बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है और युनिवर्सिटी ने क्या जवाब दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन को लिखा गया था। अभी जवाब नहीं आया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वह स्वीकार कर लेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यह जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह की नियुक्तियां हुई हैं वह पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कम योग्यता रखते हैं ? जब उन को डिग्री दी जायगी तो उन से कम योग्यता वालों को क्यों रखा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ड्राफ्ट्समैन की बात मैं नहीं जानता लेकिन सब से बड़ा पद प्रिंसिपल का होता है। उस के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने विज्ञापन दिया। उन को कोई आदमी नहीं मिला। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा कि हम को कोई आदमी नहीं मिला, अगर प्राइवेट नेगोशियेशन से हम को कोई आदमी मिल सके तो रख लें। इस के लिए कोशिश की गयी परन्तु प्रिंसिपल पद के लिए तो नहीं किन्तु वाइस प्रिंसिपल के पद पर एक सज्जन रखे गये। अब फिर कोशिश की जा रही है और पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा जा रहा है कि वह फिर विज्ञापन दें, शायद उनको कोई आदमी मिल जाय।

श्री झारखंडेराय—जवाब में बताया गया कि उचित स्टाफ के लिए कार्यवाही की जा रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उचित स्टाफ कब से नहीं था और उस की क्या वजह थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सब से उचित स्टाफ होता है प्रिंसिपल जिस के लिए मैंने निवेदन किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कोशिश के बावजूद भी नहीं मिला और जैसा मैंने कहा कि हम ने कोशिश की और हम को भी नहीं मिला। एक आदमी वाइस प्रिंसिपल पद के लिए रखा गया। अब फिर कोशिश की जा रही है शायद मिल जाय। दो पद क्रियेट किये गये हैं (स्टूडियो असिस्टेंट और लेक्चरर आर्किटेक्ट) इन के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है।

पब्लिक इंटर कालेज, केराकत के अनुदान का निलम्बन

**६—श्री लालबहादुरसिंह, श्री माताप्रसाद तथा श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पब्लिक इन्टर कालेज, केराकत, जिला जौनपुर को ग्रान्ट suspend कर दी गयी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां।

**७—श्री लालबहादुर सिंह श्री माताप्रसाद तथा श्री रामसमझावन—क्या गृह मन्त्री आर्थिक वर्ष की समाप्ति निकट देख कर यह आज्ञा प्रदान करने जा रहे हैं कि डी० आई० ओ० एस०, जौनपुर इस ग्रान्ट को निकाल कर अध्यापकों को वेतन दे दें ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं।

श्री लालबहादुरसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह ग्रान्ट सस्पेंड करने का क्या कारण था ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—हमें जिला विद्यालय निरीक्षक से कुछ शिकायतें मिली थीं उस विद्यालय के सम्बन्ध में। उन में से एक शिकायत यह थी कि वहां के हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति यहां से मिलती हैं, उस में से प्रत्येक हरिजन छात्र से २७ रुपया विद्यालय के अधिकारी साइंस का कमरा बनाने के लिए काट लेते हैं।

श्री लालबहादुरसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक से यह सूचना शिक्षामन्त्री जी को कब मिली ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—आज से कई महीने पहले मिली थी। डी० एम० को जांच के लिए भेजा गया तो जिलाधीश ने भी उसका समर्थन किया।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ग्रान्ट को सस्पेंड करने का आर्डर कब दिया गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—दिसम्बर में।

बुलन्दशहर जिले में सहकारी चीनी मिल खोलने की योजना

**८---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में वह कोई चीनी मिल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां?

श्रम उप मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में दादरी या डंकौर नामक स्थान पर सहकारी चीनी मिल खोलने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के कौन से चरण में यह मिल चालू कर दी जायगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह सारा सवाल विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल---इन दोनों स्थानों दादरी और दनकौर में से कौन स्थान और कब तक और किस आधार पर तय कर लिया जायगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी बना है। अन्तिम निश्चय नहीं हुआ। अन्तिम निश्चिय हो जाये तो तिथियां निश्चित हों। आज की तारीख में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

गांधी आश्रम, अकबरपुर द्वारा खादी देने की कथित शर्तें तथा खादी केन्द्रों का अनुदान

*१---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या यह सत्य है कि श्री गांधी आश्रम, अकबरपुर (फैजाबाद) ने सरकार द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत संचालित खादी केन्द्रों को कुछ शर्तों के अधीन दिये जाने की मांग की है और सरकार ने श्री गांधी आश्रम की इस मांग को १ सितम्बर, १९५९ से मानना स्वीकार कर लिया है? यदि हां तो आश्रम की शर्तें क्या हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*२---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खादी विकास योजना के अन्तर्गत संचालित खादी केन्द्रों की संख्या क्या है, वे राज्य के किन जिलों में स्थित हैं और इन केन्द्रों पर वित्तीय वर्ष १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ तथा १ अप्रैल, १९५९ से ३१ अगस्त, १९५९ तक कितना धन खर्च किया जा चुका है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---मांगी हुई सूचना संलग्न नोट में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८८ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या वित्तीय वर्ष ५६-५७, ५७-५८, ५८-५९ में विकास मद और अनुदान एवं बाढ़ सबसिडी में ४४,५९,४७१ रुपये तथा १-४-५९ से ३१-८-५९ तक ९५,२१२ रुपये इस प्रकार कुल ४५,५४,६८३ रुपये व्यय हुये हैं। क्या यह सारा धन राज्य सरकार को अपने पास से व्यय करना पड़ा है या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से भी प्राप्त हुआ है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---खादी ग्रामोद्योग का भी इस में हिस्सा है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से सहायता न मिलने पर इस योजना का पुनरावलोकन किया गया है और फलस्वरूप राज्य सरकार ने इन समस्त केन्द्रों के संचालन का भार १ सितम्बर, १९५९ से गांधी आश्रम को ५० प्रतिशत सहायता देने के निश्चय के साथ सुपुर्द कर देने का निश्चय किया है और १९५९ के अगस्त माह में प्रस्तुत अनुपूरक बजट में ५१,१३५ रुपये का अनुदान भी आश्रम को दिये जाने हेतु रखा गया है ? क्या माननी . मन्त्री जी आज के उत्तर में और बजट साहित्य में जो लिखा है, इस विरोधाभास का कारण बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--आज का जो प्रस्तुत प्रश्न है, उसका जो उत्तर है उस में और बजट के साहित्य में कोई विरोधाभास नहीं है और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका निश्चित उत्तर मैंने दे दिया है और इस में जो लिखा हुआ है वह इस व्यापक सवाल के पहलू को ले कर बना है जिस की वजह से ऐसा उत्तर देना पड़ा। यदि वे प्रश्न को पढ़ें तो उन्हें उत्तर स्वयं मिल जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सच है कि इस संस्था के खिलाफ ए० जी० के भी आब्जेक्शन्स हैं कि प्रापर युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सका और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी रिकमेन्ड किया है कि अगली ग्रान्ट तब तक न दी जाय जब तक कि प्रापर युटिलाजेशन सर्टिफिकेट न आ जायं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं इतनी दूरी तक नहीं गया कि किस किस के क्या क्या आब्जेक्शन्स हैं सब को देखूं।

ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्राप्त धन

*३--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--विधान सभा के पिछले सत्र के दिनांक १०-९-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्राप्त धन किस किस उद्योग को ऋण और सहायतार्थ दिया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से निम्नलिखित उद्योगों के लिए ऋण तथा सहायता मिलती है --

(१) खादी (इस में परम्परागत खादी विकास योजना, पहाड़ी ऊन योजना तथा कम्बल योजना सम्मिलित हैं।)

(२) अम्बर खादी।

(३) ग्रामोद्योग (इस में निम्नलिखित १२ उद्योग आते हैं)--

(१) ग्रामीणतैल।
(२) हाथ से धान कुटाई तथा आटा चक्की।
(३) कुम्हारी।
(४) अखाद्य तैल से साबुन बनाना।
(५) हाथ से कागज बनाना।
(६) ग्रामीण चर्म उद्योग।
(७) गुड़ खांडसारी।
(८) ताड़ गुड़।
(९) कुटीर दियासलाई।
(१०) फाइबर।
(११) लोहारी तथा बढ़ईगिरी।
(१२) मधुमक्खी पालन।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मन्त्री जी, जब खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी विस्तार में मदद करता है तो, जैसा कि प्रश्न नं० १ के उत्तर में बतलाया गया है, इस में मदद न दिये जाने का कारण बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रश्न १ में जो मदद न दिये जाने की बात है और यहां जो लिखा गया है उस में मान्यवर, खादी तथा ग्रामोद्योग से इन के लिए ऋण तथा सहायता मिलती है। तो इस में और पहले उत्तर में क्या विरोधाभास है इसको माननीय सदस्य बतला वें तो मैं उत्तर दूं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---श्रीमन, मेरा प्रश्न था कि क्या यह सत्य है कि श्री गांधी आश्रम, अकबरपुर (फैजाबाद) ने सरकार द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत संचालित खादी केन्द्रों को कुछ शर्तों के अधीन दिये जाने की मांग की है और सरकार ने श्री गांधी आश्रम की इस मांग को १ सितम्बर, १९५९ से मानना स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो आश्रम की शर्तें क्या हैं ? उसका जवाब यह है कि---जी नहीं, और दूसरे का प्रश्न नहीं उठता। और बजट साहित्य में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ५० प्रतिशत आवर्त्तक सहायक अनुदान के रूप में मिलने पर अपने ढंग से इन केन्द्रों को चलाने के लिए आश्रम सहमत हो गया है और ऐसा करना अधिक नियमित होगा अतः इन केन्द्रों को १ सितम्बर, १९५९ से गांधी आश्रम को देने का निश्चय किया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय सदस्य फिर उसी पहले प्रश्न पर चले गये जिसे आप ने बन्द कर दिया था। सवाल यह था कि क्या गांधी आश्रम ने कोई मांग की है ? हम ने उत्तर दिया, जी नहीं। लेकिन गांधी आश्रम को हम काम देते हैं, हमारी और उन की बातचीत चलती है। उन के हमारे बीच मांग और शर्त का सवाल नहीं है।

***४-५---श्री मदन पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)---[१४ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला द्वारा लगाये गये लांछन से संबंधित सीतापुर के मैजिस्ट्रेट श्री एस० सी० सिन्हा से स्पष्टीकरण की मांग

***६---श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के माननीय जस्टिस ए० एन० मुल्ला ने सीतापुर के सर्वश्री बलवन्त सिंह व पुत्तन सिंह आदि के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा ३९५, ४११ व ४१२ के अन्तर्गत मामले में शिनाख्ती की कार्यवाही कराने वाले व Trying Magistrates तथा Investigating Officer के विरुद्ध निम्नलिखित strictures पास किये हैं ?:---

"If courts close their eyes and do not give a finding that the evidence has been fabricated. It is this attitude of the courts which encourages the investigating agency to make fabrications and I am convinced if trial courts show a little more vigilance and a little more strength and the moment they find that the investigating agency has fabricated evidence and they give this finding, it will go a long way in discouraging the Police to fabricate the evidence."

"The magistrate who conducted the identification proceedings appears to me to be not only incompetent but also one who was doing his best to collaborate with the investigating agency."

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मन्त्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि सभी जिला मैजिस्ट्रेटों को यह सख्त आदेश होने के बावजूद कि ऐसे कार्यों में सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यावही की जाय, इतनी देर होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हाई कोर्ट से हमारे पास जो फैसले की नकल आयी उस में यह लिखा हुआ था। जिन मैजिस्ट्रेट की ओर इस में इशारा किया गया है वे हैं श्री राधे बिहारी लाल । उन से जवाब तलब किया गया । उनका जवाब जो आया है उस में उन्होंने लिखा है कि उनका नाम गलती से हाई कोर्ट ने लिखा है। वे श्री राधेबिहारी लाल नहीं हैं बल्कि उनके स्थान पर एक दूसरे मैजिस्ट्रेट हैं---श्री एस० सी० सिन्हा। अब उन से जवाब तलब किया गया है।

श्री गौरीशंकर राय---जब हाई कोर्ट ने उन के बारे में अपनी राय दे दी है तो फिर उन के बारे में जो हाई कोर्ट ने राय दी है, उन के बारे में फिर से जांच करने का सवाल कहां पैदा होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सवाल हमेशा पैदा होता है। हाई कोर्ट ने अगर राय दी है तो पूछना होगा कि किस हालत में उन से ऐसी गलती हुई है ।

*७---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[२४ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[उत्तर सदन में ७ मार्च, १९६० को प्रश्न ५० के अन्तर्गत दिया जा चुका है ।]

रोडवेज कर्मचारियों को क्वार्टर देने की प्रार्थना

*९---**श्री गनेश चन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज के बुकिंग, क्लर्कों, ड्राइवरों और कन्डेक्टरों को जिनकी ड्यूटी रात में भी रहती है और एमरजेन्सी में भी काम करना पड़ता है उनके रहने के लिये कोई क्वार्टर्स की व्यवस्था है या नहीं ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म दत्त वैद्य)---जी नहीं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "जी नहीं" के कौन कौन से कारण हैं ?

श्री धर्म दत्त वैद्य---चूंकि रोडवेज की गाड़ियां प्रायः १० बजे रात के बाद से नहीं चलतीं। ऐसी दशा में कर्मचारियों के रात को ठहरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रात को १० बजे के बाद गाड़ियां नहीं चलतीं, किन्तु जिन कन्डक्टर्स की ड्यूटी रात को दूसरी जगह पड़ जाती है वहां उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---इन लोगों के लिये कुछ स्थानों पर १४ रूमिंग रूम्स इस समय तैयार हैं और शेष सन् ६०-६१ के वित्तीय वर्ष में बनाने की योजना है।

राज्य उद्योग बोर्ड से कथित अनुदान मिलना तथा वर्किंग ग्रूप का प्रतिवेदन

*१०---**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य उद्योग बोर्ड द्वारा अभी तक किन किन मुख्य उद्योगों के लिये कितना ऋण अथवा अनुदान स्वीकार किये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्टेट इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बोर्ड (State Industries Development Board) द्वारा किसी उद्योग के लिये ऋण अथवा अनुदान नहीं स्वीकृत हुआ।

*११—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त स्वीकृत धनों में कितना धन अब तक दिया जा चुका है और कितना अभी देना अवशेष है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न नहीं उठता।

*१२—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार उद्योग के संबंध में निर्धारण करने वाले इस वर्ष के working group का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रतिवेदन अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाये हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य उद्योग बोर्ड किस प्रकार के उद्योगों की वृद्धि का कार्य करता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—यह अब काम नहीं करता।

श्री मोती लाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रान्तीय उद्योग समिति जो ऋण वितरित करती है, उसने कितना ऋण अब तक दिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह प्रश्न भिन्न है। इस प्रश्न से उस प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। वह दूसरी संस्था है। अगर इस संबंध में वे प्रश्न देंगे तो उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रतिवेदन किन किन बातों के संबंध में तैयार किया जाता है और यह कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया उद्योग के संबंध में निधारित होने वाली बातों के लिये इन सब के संबंध में अभी बिचार हो रहा है। उद्योग विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में प्रदेश के औद्योगीकरण के विभिन्न पहलुओं को लेकर अलग अलग वर्किंगग्रूप हैं जो अलग अलग बातों के संबंध में अपनी राय सरकार के सामने पेश करते हैं।

परिवहन विभाग के लखनऊ क्षेत्र में पंखों का क्रय

*१३—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ से ३० दिसम्बर, १९५९ तक परिवहन विभाग के लखनऊ रीजन में कितने टेबुल फैन व सीलिंग फैन खरीदे गये और यह फैन किन किन मेक के थे ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—इस अवधि में ६ टेबुल फैन व ११४ सीलिंग फैन खरीदे गये। इनमें से सब टेबुल फैन आई० ई० डब्लू० मेक के हैं, ५२ सीलिंग फैन आई० ई० डब्लू० मेक के हैं और बाकी ६२ ऊषा मेक के हैं।

*१४—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—इन फैन्स में से कितने फैन अब भी काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—११७।

*१५—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—इन फैन्स में से कितने फैन खराब हो गये और नीलाम कर दिये गये ?

डाक्टर सीताराम—केवल ३ फैन मरम्मत तलब दशा में हैं। जो मरम्मत के बाद काम में लाये जायेंगे। कोई फैन नीलाम नहीं किया गया।

चुर्क सीमेण्ट फैक्टरी का उत्पादन तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*१६—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी ने इस वित्तीय वर्ष में कितनी लागत का सीमेंट बनाया और उसकी तादाद कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में चालू वित्तीय वर्ष के ११ महीनों में (अप्रैल, १९५९ से फरवरी, १९६० तक) १,८१,५०८ टन सीमेन्ट का उत्पादन हुआ जिसकी लागत (Ex-works price) से १,०३,४९,९४६ रुपये होती है।

*१७—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी से संबंधित प्रधिकारियों और कर्मचारियों के लिये कितने लागत के भवन निर्माण इस वित्तीय वर्ष में किये गये तथा किये जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वित्तीय वर्ष में चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी की विस्तार योजना से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये २०९ क्वार्टर ६,०२,१६० रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित किए जा रहे हैं।

चीनी मिलों पर सेस के बकाया की वसूली

*१८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१–१२–५९ तक राज्य की चीनी मिलों पर कुल कितने रुपये Cess बकाया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—३१–१२–५९ तक राज्य की चीनी मिलों पर सेस (Cess) का ३१२.३५ लाख रुपया बकाया था।

*१९—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—क्या सरकार उपर्युक्त बकाया Cess की रकम का ब्यौरा (प्रत्येक मिल पर कितना बाकी है) सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रत्येक मिल पर ३१–१२–५९ को बकाया धनराशि का ब्यौरा संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९–९० पर)

*२०—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त बकाया रकम क्यों नहीं वसूल हो सकी है और वसूल करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१९५८–५९ सीजन के पूर्व वर्षों की बकाया धनराशि की वसूली के लिये प्रदेश की केवल आठ चीनी मिलें जिन पर सेस की रकम बकाया है रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिए गए हैं। सीजन १९५८–५९ के बकाया सेस की वसूली के लिये २१–३–६० तक समय दिया गया है परन्तु इस बीच मिलों को ब्याज के अतिरिक्त अर्थ दन्ड भी देना पड़ेगा। उक्त तिथि के बाद सेस की अदायगी न करने वाली मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टीफिकेट्स जारी किए जायेंगे। चालू सीजन १९५९–६० के सेस की वसूली के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस रकम की मोहलत ३१-३-६० तक देने की थी, जब कि कानून के अन्दर गन्ने के पेरने के १५ दिन के अन्दर मालगुजारी ड्यू होती है तो उसकी वसूली के संबंध में क्या कार्यवाही गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा अभी प्रश्न के उत्तर में बताया गया जो सेस की रकम विभिन्न मिलों में बाकी है उसको वसूल करने की कोशिश की जा रही है। कई दिक्कतें मिलों के सामने भी रहीं, लेकिन सरकार ने यह तय किया कि जो मिल समय के अन्दर नहीं देगी तो वह दंड की और पीनल इंटेरेस्ट की भागी होगी, क्योंकि पैसा तो वसूल करना ही है, वह होगा रिकवरी सर्टिफिकेट लेकर, कुर्की नीलाम कराकर। ये मिलें ऐसे उद्योग से संबंध रखती हैं जो पेरिशेबिल कमोडिटी को रा मैटिरियल की किस्म से लेती हैं। बहरहाल, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दूसरे सूबों, बिहार, मद्रास, बम्बई, आंध्र इन सब से विपरीत हमने अर्थ दंड की व्यवस्था अपने नियमों में रखी है, एक सैकड़ा से लेकर १० सैकड़ा तक दंड डालने की व्यवस्था हमने रखी है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले सालों की सेस की वसूली में इतनी देर हो जाने के बाद जितनी दंड की व्यवस्था पहले से थी-नये जो बनें हैं-उनको छोड़कर उसके अनुसार उनमें से कितने लोगों की जांच की है और क्या क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पीनल इंटेरेस्ट का दंड है। ऐसी व्यवस्था है कि इतनी देर करेंगे तो २ परसेंट हो जायगा, इतनी से और ज्यादा करेंगे तो इतने परसेंट हो जायगा, इस तरह से १० परसेंट तक पीनल इंटेरेस्ट वसूल करने की बात हो गयी है और जिन्होंने देर की है उनके खाते में वह जुड़ गया है। सभी मिलों से इसी प्रकार से वसूल होगा।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ३,१२,३५,००० रुपये की जो रकम बाकी है उसमें १९५९-६० के सीजन की भी रकम बाकी है ? अगर हां, तो कितनी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१९५९-६० की १,१५,८२,००० ह० थी ३१-१२-५९ को, लेकिन इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके बाद काफी रकम इसमें से सेस की १९५८-५९ और १९५९-६० की मिल गयी है और मिल भी रही है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो पेनाल्टी लगायी गयी उसको माफ करने का भी कोई नियम सरकार के पास है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, पेनाल्टी की माफी का सवाल नहीं उठता।

*२१-२२—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)—[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये]

गोरखपुर मन्डल की बुनकर सहकारी समितियों को सहायता

*२३—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ व १९५८-५९ में प्रदेश में बुनकरों के करघा उद्योग के लिये उन्नतिशील करघा यंत्रों (improved implements for looms) के लिये कितना कितना धन सरकार ने प्रति वर्ष स्वीकृत किया था, कितना धन वितरित किया गया और कितना धन लैप्स हो गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में २,१८,००० रु० और १९५८–५९ में ५८,७०० रू० की धनराशियां उन्नतिशील करघा यंत्रों के लिये स्वीकार की गई थीं। यह धन उद्योग संचालक ने यू०पी० इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन को दिया था जो सहकारी बुनकर समितियों की शिखर संस्था (apen-organisation) है और जिसके द्वारा उसे वितरित किया जाता है। अतः इस धन में से कोई भी भाग लैप्स (lapse) नहीं हुआ है।

*२४—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त वर्षों में गोरखपुर रीजन में बुनकरों की सहकारी समितियों को उन्नतिशील यन्त्र के निमित्त कहां कहां और कितना धन दिया गया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उपर्युक्त धनराशियों में से गोरखपुर मंडल के चार जिलों में २०,५२७ रु० की धनराशि निम्नलिखित प्रकार से बुनकर सहकारी समितियों को बांटी गई हैं :

जिले का नाम	१९५७–५८ रु०	१९५८–५९ रु०
बस्ती	१३,३७७.४४	..
देवरिया	२१४.००	२,३९८.००
आजमगढ़	३,२५४.५०	..
गोरखपुर	१,२८४.००	..
योग ..	१८,१२९.९४	२,३९८.००

श्री मुक्तिनाथराय—माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८–५९ में बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, में कुछ भी धन नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, धन दिया जाता है आवश्यकता पर, मांग पर और उचित मांग पर। अब इन तीन बातों में से यू० पी० कोआपरेटिव एसोसिएशन के सामने कौन कौन बात नहीं आई उसके लिये अलग अलग हुआ होगा, मैं इस समय कह नहीं सकता।

श्री मुक्तिनाथराय—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सहकारी समितियों ने प्रार्थना पत्र ठीक समय पर दिया किन्तु अधिकारियों ने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया और सरकार के पास रिपोर्ट नहीं भेजी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ की अपेक्षा १९५८–५९ में सारे प्रदेश में कम सहायता दी गई, इसका मुख्य कारण क्या है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सारे प्रदेश का उत्तर तो मैंने इस प्रश्न में दिया नहीं, सिर्फ पूरब के चार जिलों की बात थी। इन चार जिलों में क्यों नहीं दिया गया, इसके लिये जैसा मैंने कहा कि पैसा हम खुद ही देते नहीं हैं, पहले तो पैसा लेने वाला आये, ठीक वक्त पर आये, उचित काम के लिये आये और उनकी मांग को हम देख लेवें और अगर वह जेनुइन हो, इन सारी बातों के आधार पर पैसा बटता है, एरिया वाइज पैसा बाटने की कोई व्यवस्था नहीं है।

मथुरा–गोवर्धन मार्ग पर बस का किराया बढ़ाने पर आपत्ति

*२५--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल(जिला आगरा)--क्या सरकार को यह मालूम है कि गोवर्धन जिला मथुरा के पिछली दीपावली के मेले के अवसर पर सरकारी बसों ने मथुरा से गोवर्धन का किराया नौ आने प्रति यात्री के बदले एक रुपया प्रति व्यक्ति लिया था ? अगर हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस वृद्धि का क्या कारण था ? और यह वृद्धि किस नियम के अनुसार की गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--यह सही है कि पिछले दीपावली के मेले के अवसर पर प्रतिदिन चलने वाली बसों के अतिरिक्त जो स्पेशल बसें चलाई गई थीं उन पर मथुरा से गोवर्धन तक का किराया १ रुपया प्रति यात्री के दर से लिया गया था। सरकारी विज्ञप्ति संख्या ४९६१(१) टी/३०--२३ टी--४९ दिनांक २७-१०-१९४९ के अन्तर्गत मेले आदि के अवसरों पर चलायी जाने वाली स्पेशल बसों का किराया १ आना प्रति यात्री प्रति मील लिया जा सकता है। चूंकि मथुरा से गोवर्धन का फासला १६ मील है, इसलिये स्पेशल बसों का किराया १ रुपया प्रति यात्री के दर ले लिया गया।

मथुरा से गोवर्धन तक साधारणतया चलने वाली बसों का द्वितीय श्रेणी का किराया ९ आने नहीं प्रत्युत १० आने प्रति यात्री है।

*२६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मथुरा के पत्रकार श्री मोहन स्वरूप भाटिया ने नवम्बर,१९५९ के अन्त में आगरा रीजन के आर० टी० ओ० के पास कोई शिकायती-पत्र भेजा था ? अगर हों, तो उन्होंने उस पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्म दत्त वैद्य--जी हां। शिकायत की जांच की गई और शिकायतकर्त्ता को यथोचित उत्तर भेज दिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि विज्ञप्ति के अनुसार एक रुपया तक किराया लिया जा सकता था, एक रुपया लेना लाजमी नहीं था ऐसी हालत में किराया दस आने से एकदम एक रुपया बढ़ाने का निर्णय क्यों किया गया। आना दो आना ही किराया क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--महोदय, ऐसे मेले के अवसरों पर प्रायः बसें एक ही ओर से यात्रियों को ले जाती हैं। दूसरी ओर से खाली ही आती हैं। इसलिये इस मेले के अवसर पर एक आना प्रति मील के हिसाब से किराया लेने का निश्चय किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा से गोवर्धन तक के रूट पर केवल सरकारी बसें ही चलती हैं या प्राइवेट बसें भी चलती हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दस आने से एक रुपया केवल उन्हीं बसों पर किया गया जो मेले के उद्देश्य से चलाई गईं या उनपर भी बढ़ा दिया गया था जो मेले से पहले भी चला करती थीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--जी नहीं, जो स्पेशल बसें खाली मेले के कारण से चलाई गई उन्हीं पर एक आना प्रति मील के हिसाब से किराया लिया गया। जो बसें पहले से चल रही थीं उनपर कोई किराया नहीं बढ़ाया गया।

सूरजपुर के जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी पाठशाला के हिसाब से सम्बन्धित शिकायत

*२७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट विकास खंड के ग्राम सूरजपुर ,जिला आजमगढ़ में विकास खंड अन्तरिम परिषद तथा गांव सभा के धन से बनने वाले जूनियर हाई स्कूल और अपर प्राइमरी पाठशाला के हिसाब-किताब की गड़बड़ी के सम्बन्ध में २५-६-५६, ५-१०-५६,२०-१०-५६, २८-१०-५६ तथा २-११-५६ को क्रमशःजिला नियोजन अधिकारी,जिलाधीश , परगनाधीश तथा प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र दोहरीघाट के आचार्य को गांव वालों के कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां तो उनपर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

नियोजन उप-मंत्री श्री सुल्तान आलम खां--जी नहीं, गांव वालों के शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुए।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किसी भी व्यक्ति की दरख्वास्त प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा कराई गई और कब कराई गई ?

श्री सुल्तान आलम खां--एक शिकायती पत्र श्री रघुराज किशोर सिंह, मेम्बर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, सूरजपुर की तरफ से प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेंटर के पास ३-११-५६ को आया था। उसकी जांच असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर, पंचायत के जरिये से कराई गई और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वहां सब डिवीजनल आफिसर, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ़ स्कूल्स और अन्तरिम जिला परिषद् मुनासिब कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पान्डेय--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इतने दिनों तक जांच न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--सिर्फ़ एक दरख्वास्त आई और जांच हो रही है।

गुड़ विकास योजना के व्यय में कमी

*२८--श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि गुड़ विकास पर जितना धन व्यय करने की पहली तथा दूसरी योजना में व्यवस्था थी, खर्च नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है और क्यों नहीं खर्च हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा--(क) जी हां।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना में ८ लाख रुपये में से ६ लाख ७८ हजार रुपया व्यय किया गया तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में २६ लाख ४६ हजार रुपये के लक्ष्य में से १४ लाख ४४ हजार रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है और उसमें से १२ लाख ६५ हजार रुपया व्यय किया जा चुका है। खर्च में कमी का प्रमुख कारण खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से कम धन की स्वीकृति प्राप्त होना है।

*२९--श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गुड़ विकास विभाग को अब तक स्थायित्व क्यों नहीं प्रदान किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--गुड़ विकास विभाग को स्थायी करना अभी तक आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खली उद्योग का ही कसूर है या इतनी कम रक़म खर्च होने की कोई जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है ? यदि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिस्से में कुछ कसूर मानती है तो क्या वह बाक़ी समय में इस रकम को खर्च करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कम खर्च होने में ह्यूमन फैक्टर भी कहीं आगया होगा। लेकिन यह रुपया आयोग से आने वाला है। हमारे रुपये को जोड़ लिया जाय तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५.४३ लाख रुपया कुल खर्च करना था। आयोग का हिस्सा २९ लाख ४९ हजार वाला है। हम अपने हिस्से को तो जोरदारी के साथ खर्च कर रहे हैं। हमारे अफ़सर अभी बम्बई गये थे और हमारी बड़ी इच्छा है कि गुड और खांडसारी के लिये अधिक अनुदान दें।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार इस समय ऐसा आश्वासन देने की हैसियत में है कि यह रक़म पूरी अगली पंचवर्षीय योजना में खर्च कर दी जायगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—आश्वासन जैसी कोई बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन कोशिश हमारी पूरी होगी।

कुमायूं क्षेत्र में विकास कार्य बढ़ाने की प्रार्थना तथा पर्यटन उद्योग पर व्यय

*३०—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचसाला योजना के शेष समय के अन्दर सरकार का टिहरी गढ़वाल में क्या-क्या विकास कार्य करने का इरादा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३१—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वे कुमायूं डिवीजन के ४ पर्वतीय जिलों में उनके सीमान्तिक इलाके होने के कारण सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को और अधिक तेज़ गति प्रदान करने के सुझाव पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

*३२—**श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कुमायूं केपर्वतीय इलाकों में पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिये विगतवर्ष के अन्दर केन्द्र से कितना रुपया मिला और सरकार ने उस रुपये का कैसे और कहां-कहां इस्तेमाल किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केन्द्र से विगत वर्ष में कुमायूं के पर्वतीय इलाकों में पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिए ३०,५०० रुपये मिले। सरकार ने उस धनराशि को उक्त क्षेत्र में लाग कैबिन्स (Log Cabins) बनवाने में खर्च किया।

लखीमपुर में अस्थायी सिनेमाओं की आज्ञा न मिलना

*३३—**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर लखीमपुर, जिला खीरी में दिनांक १ जून, १९५९ से ३० सितम्बर सन् १९५९ तक नगर के सिनेमाओं से सरकार को कुल कितनी आय हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१७,६३९ रु० ३० नया पैसा।

*३४—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अक्तूबर, सन् १९५९ से ३१ जनवरी, सन् १९६० तक सिनेमा इन्टरटेनमेंट टैक्स से नगर लखीमपुर में सरकार को कितनी आय हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२४,५६२ रु० ६५ नया पैसा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले ४ महीने में में ७,००० रुपये कम आमदनी का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––पहले २ अस्थायी सिनेमाघर चल रहे थे, वे इस समय नहीं चल रहे थे।

श्री शिवप्रसाद नागर––उनकी इजाजत क्यों नहीं दी गई जबकि बहुत सी दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं'?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––किन्हीं कारणों से डी० एम० ने उचित नहीं समझा होगा।

पर्वतीय सीमांत क्षेत्र के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये प्रार्थना

*३५––**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)––क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-तिब्बत बार्डर जो हमारे सूबे में है उसके कितने परिवारों पर तिब्बत से रोजगार बन्द होने के फलस्वरूप असर पड़ा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––निश्चित रूप से अभी यह सूचना उपलब्ध नहीं है, केवल यह कहा जा सकता है कि तिब्बत के अभी व्यापार बिलकुल बन्द नहीं हुआ है ।

*३६––**श्री प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)––क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि उपरोक्त क्षतिग्रस्त लोगों के आर्थिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और क्या कदम उठाने जा रहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––इस क्षेत्र की समस्त जनता की सामाजिक आर्थिक तथा औद्योगिक सुव्यवस्था के लिये यहां के विकास कार्यों को अधिक सघन किया गया है और अब विकास कार्यक्रम की प्रगति के लिये वहां तीन नये जिलों का निर्माण किया गया है।

चीनी मिलों के संबंध में सूचना

*३७––**श्री गेंदासिंह**––क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर एक ऐसी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जिनमें निम्नलिखित सूचनायें अंकित हों :

प्रदेश में चीनी मिलों के नाम, उनके इस वर्ष चलने की तारीख और अब तक गन्ना पिराई की मात्रा तथा तैयार चीनी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा–– वांछित तालिका संलग्न है जिसमें १५–२–६० तक पेरे गए गन्ने तथा उत्पादित चीनी की मात्रा का विवरण है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१–९२ पर)

श्री गेंदासिंह––क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १५ फरवरी की सूचना अब ३१ मार्च को क्यों दी गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––सारी फ़ीगर्स को जमा करने और सही सूचना इस सदन को देने में जो लिमिटेशन है उसी के कारण यह किया गया है।

श्री गेंदासिंह––यह मन्त्री जी ने कब से तय किया है कि अब सही सूचना सदन को दी जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––जब से यह सरकार आई है।

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स, नागपुर में कथित गबन

*३८—श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि नागपुर स्थित गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट के शो रूम के स्टाक में भारी कमी है तथा कोई गबन है? यदि हां, तो कितने धन की कमी १५ फरवरी, सन् १९६० तक हो गई है तथा कितने का गबन है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स के नागपुर स्थित शो रूम में न तो स्टाक में कमी है और न कोई गबन है।

*३९—श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (अनुपस्थित)— क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कमी तथा गबन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है?

डाक्टर संपूर्णानन्द—प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत निरीक्षकों की पदोन्नति पर विचार तथा गोरखपुर रोजगार दफ्तर से नौकरी मिलना

*४०—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पंचायत निरीक्षकों की पदोन्नति विकास अधिकारी के पद पर करने का वह विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*४१—श्री गौरीराम गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में १ जनवरी, १९५९ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कितने व्यक्तियों ने अपने नाम जिला रोजगार कार्यालय, गोरखपुर में रजिस्टर्ड कराये और उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजी दिलायी गयी और कितने को इन्टरव्यू में किन-किन विभागों में भेजा गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक उप प्रादेशिक सेवा योजना कार्यालय, गोरखपुर में २३,०९० व्यक्तियों ने अपने नाम सेवा योजना सहायता हेतु पंजीकृत करवाये, २,१५८ व्यक्तियों को रोजी दिलाई गई तथा १०,६६१ व्यक्तियों को साक्षात्कार हेतु विभिन्न विभागों में भेजा गया। उक्त १०,६६१ व्यक्तियों में से ९,५९८ व्यक्ति जिन जिन विभागों में साक्षात्कार हेतु भेजे गये उनकी †तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष व्यक्तियों के "आर्डर कार्ड" समाप्त कर दिये गये हैं।

फैजाबाद–लखनऊ बस सर्विस की मांग

*४२—श्री मुक्तिनाथराय—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद से लखनऊ तक रोडवेज की बसें चलती हैं कि नहीं? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं। कारण यह है कि इस मार्ग के बाराबंकी, फैजाबाद भाग का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस लाइन के राष्ट्रीयकरण करने की एवं इस पर राजकीय बसें चलाने की किसी व्यवस्था पर विचार सरकार कर रही है?

---

†तालिका छापी नहीं गई।

डाक्टर सीताराम—इस रूट को लेने के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त योजना बना रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्रातिशीघ्र वह ले लिया जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि रोडवेज के एक जनरल मैनेजर प्राइवेट आपरेटर हैं और उनकी गाड़ियां इस लाइन पर चलने के कारण इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम—यह बात बिलकुल निराधार और झूठ है।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने "झूठ" कहा है। क्या यह कहा जा सकता है ?

इलाहाबाद में पीतल के कोटे का वितरण

*४३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने कितना पीतल (ब्रास) का कोटा कंट्रोल रेट से १९५८-५९ तथा १ अप्रैल, १९५९ से जनवरी, १९६० तक प्रदेशीय सरकार को दिया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१९५८-५९ में ब्रास का कुछ भी कोटा केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को नहीं दिया। अप्रैल, १९५९ से सितम्बर, १९५९ की छमाही में १४० टन कोटा तथा अक्तूबर, १९५९ से मार्च, १९६० तक की छमाही के लिये २०० टन का कोटा केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार को दिया।

*४४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त जो कोटा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हुआ उसे जिन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई है उन्हीं व्यापारियों को दिया गया या व्यक्तिगत व्यापारियों को भी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अप्रैल से सितम्बर, १९५९ की छमाही के १४० टन के कोटे को केवल पंजीकृत सहकारी समितियों तथा एसोसियेशनों में ही बांटा गया किन्तु अक्तूबर, १९५९ से मार्च, १९६० की छमाही में मिले हुये कोटे को पंजीकृत सहकारी समितियों तथा एसोसियेशनों के अतिरिक्त व्यक्तिगत व्यापारियों में भी बांटा गया।

*४५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में १९५८ से जनवरी, १९६० तक कितने व्यापारियों को कितना-कितना पीतल कंट्रोल रेट से दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१९५८-५९ में पीतल न केन्द्रीय सरकार से मिला और न बांटा गया। अप्रैल, १९५९ से सितम्बर, १९५९ की छमाही में इलाहाबाद में किसी भी व्यापारी को कुछ भी पीतल नहीं दिया गया। अक्टूबर, १९५९ से मार्च, १९६० तक की छमाही में इलाहाबाद में व्यापारियों को दिये गये पीतल की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ का कोटा केन्द्रीय सरकार ने क्यों नहीं दिया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—काफी लड़कर तो वही लिया जो कुछ ले रहे हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—जो कोटा दिया गया वह कितने दिनों के लिये दिया गया था और किन जगहों के लिये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कोशिश यह रही है कि जिन जिन जिलों में पंजीकृत सहकारी समितियां और उत्पादकों की समितियां रही हैं, जैसे मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी और एटा में एक स्थान है, और कई स्थान हैं वहां हम सहायता अवश्य करें।

*४६-४७---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४८---श्री शिवप्रसाद नागर---[हटा दिया गया ।]

जिला उद्योग समिति अलीगढ़ की बैठकें

*४९---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ की जिला उद्योग समिति की बैठकें कितने महीनों से नहीं हुई हैं क्या इस समिति की बैठकों के लिये कोई समय निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अन्तिम बैठक २४-२-६० को हुई थी।

जी हां, तीन महीने में एक बैठक होनी चाहिये ।

*५०---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस, जिला अलीगढ़ में तृतीय योजना में बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों में से कौन-कौन से उद्योगों को सरकार खोल रही है अथवा बढ़ावा दे रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जैसा कि माननीय सदस्य को चौथे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्न सं०७३ के उत्तर में बताया जा चुका है---तृतीय पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। अतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---जब असेम्बली कई महीने तक बन्द थी, उन दिनों कई बार आग्रह करने पर भी जिला उद्योग समिति की बैठक नहीं हो पाई और असेम्बली चालू होने पर यह मीटिंग बुलाई गई, तो क्या भविष्य में इस सम्बन्ध में पूरा ध्यान दिया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमने आदेश प्रसारित किये हैं कि जब यह माननीय सदन बैठा हो, सिवाय छुट्टियों के दिन को छोड़ कर, इस तरह की समितियां न बुलाई जावें तो अच्छा है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ब्लाक लेबिल पर छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मूल प्रश्न सिर्फ अलीगढ़ के बारे में था और यह सारे प्रदेश की नीति से सम्बन्धित है इसलिये इसका तुरन्त उत्तर नहीं दिया जा सकता।

सार्वजनिक समारोहों में विधायकों का स्थान

*५१---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार द्वारा जो सार्वजनिक समारोह आयोजित होते हैं उनमें विधायकों का क्या स्थान है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई हिदायतें जारी की हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न अभी विचाराधीन है, तथापि यह आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसे अवसरों पर विधायकों के लिये विशेषरूप से उनको प्रतिष्ठानुकूल स्थान सुरक्षित रखे जायं।

*५२---श्री गौरीशंकर राय---[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी काटन मिल चलाने की प्रार्थना

*५३---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी काटन मिल पूरी तरह से कब तक चलने लगेगी ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही अब तक की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वाराणसी काटन मिल पूरी तरह से कब तक चलने लगेगी। मिल का प्रबन्ध न्यायाधीश, वाराणसी के अधीन होने के कारण सरकार द्वारा कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी वाराणसी के न्यायाधीश से इस बारे में विचार-विमर्श करेंगे कि अगर कोई पूरी मिल को चलाने के लिये तैयार हो जाय तो उसको दे दी जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कोई अर्जी न्यायाधीश के सामने दी जाय और उस वक्त उत्तर प्रदेशीय सरकार जवाब देने के लिये 'call up on' हो, उस वक्त देखा जा सकता है।

*५४---श्री ऊदल---[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

एलेक्ट्रिक फर्नेस

*५५---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाये जायेंगे, उनकी क्षमता क्या होगी और वे कहां-कहां लगाये जायेंगे ? उनके लिये कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और उसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तीसरी पंचसाला योजना का निश्चित स्वरूप अभी तैयार नहीं है, इसलिये इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

*५६---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---[१२ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ५६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

देवरिया, पडरौना तथा तमकुही रोड बस स्टेशन

*५७---श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---रोडवेज बस स्टेशन, देवरिया के महिला विश्रामालय के तोड़े जाने के सम्बन्ध में १८ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के क्रम में क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देवरिया बस स्टेशन को किसी दूसरे स्थान पर बनाने का है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और कब से ?

डाक्टर सीताराम---जी हां। इसके लिये देवरिया-बरहज मार्ग पर कलेक्टरी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालयों के मध्य स्थित जमीन तजवीज की गई है। जमीन प्राप्त होते ही बस स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

*५८---श्री ब्रजनारायण तिवारी (अनुपस्थित)---क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के पड़रौना व तमकुही रोड में बस स्टेशन के लिये, कहां-कहां स्थान चुना गया है तथा उसमें कहां तक प्रगति हुई है ?

डाक्टर सीताराम---पडरौना के लिये चुना गया स्थान वर्तमान बस स्टेशन के दक्खिन में देवरिया पडरौना तथा कप्तानगंज तमकुही रोड के जंक्शन पर है। इस भूमि को हस्तगत करने के लिये लैन्ड एक्वीजीशन अधिकारी, देवरिया से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

तमकुही रोड के बस स्टेशन के निर्माण के लिये जमीन मौजा सेवरही तथा पकड़ियार पूरब पट्टी की सीमा पर चुनी गई हैं, इस भूमि को हस्तगत करने के लिये सम्बन्धित लैंड एक्वीजीशन अधिकारी से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

कालपी–झांसी सड़क पर बस सर्विस की मांग

*५९—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि जालौन जिला में कालपी-झांसी सड़क पर सरकारी रोडवेज बस चलाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कालपी से झांसी के यातायात को देखते हुए जनता की सुविधा के लिये बस चलाने का विचार करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—निकट भविष्य में कोई विचार नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कालपी-झांसी रोड पर बस चलाने के लिए माननीय विचित्र नारायण शर्मा जब इस विभाग के मिनिस्टर थे, उन्होंने आदेश दे दिये थे लेकिन फिर उनको स्थगित कर दिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

जालौन जिले के आबकारी कर में वृद्धि

*६०—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में आबकारी विभाग से सन् १९५९–६० में कितना रुपया वसूल हुआ तथा १९५८–५९ में कितना वसूल हुआ था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इस जिले में आबकारी विभाग के अन्तर्गत १९५९–६० में, अब तक अर्थात् मार्च ९, १९६० तक ४,५५,०८४ रु० ८८ न० पै० वसूल हुआ, तथा सन् १९५८–५९ में ३, ८५,५६६ रु० ३५ न० पै० वसूल हुआ था।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १९५८–५९ और १९५९–६० में जो रकम बढ़ी, उसकी बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं? क्या सरकार की जो नीति है उससे मद्यनिषेध में बढ़ोत्तरी हो रही है या कमी हो रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—वृद्धि का मुख्य कारण लाइसेंस फीस का बढ़ना ही है, जो १९५८–५९ में ३३,३०० रुपया और १९५९–६० (अग्रिम वर्ष) में ५१,८०० रुपया की वृद्धि हुई।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन जिलों में पीने वाले लोगों की वृद्धि हो गयी, इसलिये उनके रेवेन्यू में वृद्धि हुई है या इसका और कई कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—बोली बोली जाती है, उस वक्त बोली के बढ़ जाने से वृद्धि हुई है।

झांसी स्थित महारानी लक्ष्मी बाई के मंदिर के पुजारी का प्रार्थना-पत्र

*६१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह झांसी में लक्ष्मी दरवाजे के बाहर महारानी लक्ष्मीबाई के मन्दिर के रख-रखाव के लिये कब से कितना रुपया वार्षिक व्यय कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गयी सूचना नीचे दी हुई है :

वर्ष	व्यय की गई धनराशि रु०
१९५६–५७	५००
१९५७–५८	५००
१९५८–५९	१,०००

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी के पास उक्त मन्दिर के पुजारी के पास से कोई इस आशय का प्रार्थना-पत्र आया है कि पूजा के लिये जो सुविधा और रियायतें महारानी के समय से उसको मिलती थीं, उनके देने की सरकार कृपा करे ? यदि हां, तो क्या विलीन रियासतों के मन्दिरों के पुजारियों की तरह उसको भी वे सुविधायें सरकार देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे इस वक्त याद नहीं है कि पुजारी की तरफ से कोई दरख्वास्त आयी हुई, या नहीं, इसको देखूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वहां राजनीतिक लोगों के भी कुछ फोटो मन्दिर में लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार की तरफ से सजेस्ट किया गया है कि इस मन्दिर में ये फोटो भी लगाये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं कभी उस मन्दिर में गया नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं है कि किस-किस के चित्र उसमें हैं तथा मुझे यह भी नहीं मालूम है कि किस देवता की मूर्ति उसमें है।

*६२---श्री लक्ष्मणराव कदम---[६ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बरेली रोजगार दफ्तर से नौकरी मिलना

*६३---श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली के रोजगार के दफ्तर में १ जनवरी सन् १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कुल कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं और उनमें कितने ग्रेजुएट थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उप प्रादेशिक सेवा योजन कार्यालय, बरेली में १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक २२,७०३ व्यक्तियों ने अपना नाम पंजीकृत करवाया तथा उनमें ६८४ ग्रेजुएट थे।

*६४---श्री शिवराजबहादुर (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अवधि में इन लोगों में से कितने व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिल सकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त अवधि में १,७७५ व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिली।

तिर्वा-दिबियापुर सड़क पर बस सर्विस की मांग

*६५---श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला फर्रुखाबाद में कन्नौज तिर्वा-दिबियापुर रोड पर बस चलाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---इस मार्ग के कन्नौज-तिर्वा भाग पर रोडवेज की बसें पहले से ही चल रही हैं, शेष भाग के राष्ट्रीयकरण का विचार अभी नहीं है।

श्री द्वारिकाप्रसाद---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शेष स्थानों की तरफ तिर्वा-दिबियापुर रोड पर बस न चलाने के कौन कौन कारण हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---विशेष रूप से धनाभाव।

श्री द्वारिकाप्रसाद---क्या सरकार को यह जानकारी है कि तिर्वा-दिबियापुर रोड पर कालेज, स्कूल भी हैं तथा कन्नौज शहर भी है, तो इसे सूचना मान कर वहां शीघ्र बस चलाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---सरकार को कालेज व स्कूलों की जानकारी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य लिखेंग तो उस पर विचार किया जायगा।

मुंडेरवा चीनी मिल का सेस कर

*६६--श्री रामलाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत ५ वर्षों में कितना धन जिला बस्ती के शुगर मिल, मुंडेरवा के द्वारा इक्साइज ड्यूटी का तथा कितना धन सेस का सरकार को प्राप्त हुआ है और कितना अभी पिछले दिनों का मिल पर बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बस्ती के शुगर मिल मुन्डेरवा से पिछले ५ वर्षों में सेस से सरकार को १७.१९ लाख रुपया प्राप्त हुआ और १-३-६० को ०.९० लाख रुपया मिल पर बाकी था। विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

इक्साइज ड्यूटी की आय भारत सरकार को प्राप्त होती है इसलिए इस मद के आंकड़ों की सूचना देना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९४ पर)

*६७--श्री रामलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धन का कितना हिस्सा इस मिल के क्षेत्र में सड़क तथा पुल के निर्माण में लगाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सेस की आय सामान्य राजस्व (General Revenues) में सम्मिलित हो जाती है अस्तु इस धन के किसी अंश का सड़कों तथा पुल बनाने पर खर्च करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हाकिम परगना, भोगनीपुर से स्पष्टीकरण की मांग

*६८--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि हाकिम परगना, भोगनीपुर, जिला कानपुर के विरुद्ध जिला जज श्री एस० डी० सिंह ने दिनांक १३-१-६० को शिवराम बनाम स्टेट, मिसलेनियस केस नम्बर ४५ आफ १९५९ में यह लिखा है--

"The original application is on the file and it shows that the Magistrate did actually change the date from 28th to 27th. copy of the order was issued to the accused on 30th November and it shows the date as 28th November. This indicates that the change in the date was made by the Magistrate after 30th November. This also amounts to fabrications of the record."

यदि हां, तो उक्त फैसले की नकल आवश्यक कार्यवाही के लिये जिलाधीश के पास भेजे जाने पर क्या कार्यवाही उक्त परगनाधीश के विरुद्ध की गई ?

*६९---क्या उक्त फैसले में श्री जिला जज महोदय ने यह भी लिखा है:--

"Normally the Magistrate should not have allowed the Station Officer of the Police Station concerned to be any where near the witness. When he was being examined and if the witness was caned by the Sub-Inspector the act was a very serious one, amounting to contempt of Court. Rather than taking action against him immediately and taking serious note of the same the Magistrate tried to persuade the counsel for the accused not to move an application with an allegation of that nature."

यदि हां, तो परगनाधीश के इस कार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । फैसले की कापी हाल ही में सरकार को प्राप्त हुई है, जोकि जिलाधीश क पास जांच क लिये भज दी गई है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि माननीय हाईकोर्ट के जज के फैसले की जांच कौन सज्जन करेंगे, अथवा यह विचार करने के लिये भेजा गया है कि सम्बन्धित अधिकारी को क्या दण्ड दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो सम्बन्धित अधिकारी है उसका जवाब मांगा गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि जब जज महोदय ने मैजिस्ट्रेट के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया और उसकी कापी सम्बन्धित जिलाधीश के पास भेज दी गयी तो जिलाधीश ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हाईकोर्ट से १९ मार्च को इसकी नकल मिली और आज ३१ मार्च है, तो इतनी जल्दी किसी का जवाब नहीं आ सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना प्राप्त हुई है कि सम्बन्धित परगना हाकिम ने प्रश्नकर्ता से भी सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की है ? यदि हां, तो यह वांछनीय है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इस वाक्य का अर्थ समझा नहीं। सम्बन्धित अधिकारी एक महिला हैं और माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, भगवान जाने उनका क्या अर्थ होता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सम्बन्ध स्थापित करने से मेरा मतलब खतोकिताबत करने से है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*७०-७१—**श्री नत्थूसिंह**—[हटा दिये गये।]

महिला ए० डी० ओ० तथा बी० डी० ओ०

*७२—**श्री झारखंडेराय**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कितनी महिला ए० डी० ओ० तथा बी० डी० ओ० काम कर रही हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां—प्रदेश में इस समय १६० महिला ए० डी० ओ० तथा एक महिला बी० डी० ओ० काम कर रही हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो महिला ए०डी०ओ० और पुरुष ए० डी० ओ० तथा महिला बी० डी० ओ० और पुरुष बी० डी० ओ० हैं उनका पे-स्केल बराबर है ?

श्री सुल्तान आलम खां—वह तो ए० डी० ओ० की पोस्ट अलग है और बी० डी० ओ० की पोस्ट अलग है।

श्री झारखंडेराय—मेरा मतलब है कि महिला ए०डी०ओ० और पुरुष ए०डी० ओ० तथा महिला बी० डी० ओ० और पुरुष बी० डी० ओ० के पे-स्केल में कोई फर्क है ?

श्री सुल्तान आलम खां—कोई फर्क नहीं है।

*७३—**श्री काशीप्रसाद पाण्डेय** (जिला सुल्तानपुर)—[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

हाथरस में फर्टिलाइजर फैक्टरी खोलने का विचार

*७४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस जंकशन पर फर्टिलाइजर फैक्टरी खोलने के सम्बन्ध में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर अब फैक्टरी खोलने का स्थान कौन-सा निश्चित किया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अभी कोई फैसला नहीं हुआ है ।

राजकीय बुनाई विद्यालय, मऊ

*७५--श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय बुनाई विद्यालय, मऊ में इस वक्त कितने विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तथा ट्रेनिंग कितने दिन की है? क्या विद्यालय की कोई अपनी इमारत है और यह विद्यालय कितने दिन से चल रहा है ? इस पर सरकार प्रति वर्ष कितना खर्च करती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---राजकीय बुनाई विद्यालय, मऊ (आजमगढ़) में इस समय ४८ विद्यार्थी हैं। इस संस्था में प्रशिक्षणकाल दो वर्ष का है। विद्यालय का अपना भवन नहीं है। यह विद्यालय सन् १९१७ से चल रहा है। सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों (१९५७-५८ तथा १९५८-५९) में इस विद्यालय पर, ४८,१०० रु० तथा ४९,९०० रु० व्यय किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९५९-६०) में इस विद्यालय के लिये ४८,५०० रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इतने दिन से वहां विद्यालय चल रहा है तो वहां भवन न होने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कारण यही है कि भवन नहीं बनाया गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ में बुनकरों की बड़ी संख्या को देखते हुये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वहां प्रशिक्षण के लिये विद्यार्थी अधिक संख्या में आते हैं, सरकार इस विद्यालय की कोई योजना बना रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस समय तो कुछ भी कहना सम्भव नहीं है ।

पिपराइच में कागज मिल का न चलाया जा सकना

*७६---श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---दिनांक ३-९-५९ के विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर जिला अन्तर्गत पिपराइच में कागज बनाने की मिल अब तक चालू नहीं की गई है ? यदि नहीं चालू की गई है, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---जी नहीं, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है ।

श्री रामसूरतप्रसाद---३-९-५९ को जो उत्तर दिया गया था कि आगामी अक्तूबर मास तक मिल के चालू होने की आशा है, तो उस समय वह मामला किस कोर्ट में विचाराधीन था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जिस वक्त की यह बात थी उस वक्त हाईकोर्ट ने वह बन्दिशें नहीं लगाई थीं जो अब लगा दी हैं २४-४-५९ के बाद और उनके कारण अब सम्भव नहीं हो पा रहा है कि वह पार्टनर्स भी चला सकें कि जिनका चलाने का इरादा था ।

गोरखपुर जिला संयम समिति की बैठक

*७७—श्री गौरीराम गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ फरवरी, सन् १९५९ से २९ फरवरी, सन् १९६० ई० तक गोरखपुर जिला मद्य निषेध बोर्ड व गोरखपुर जिला टेम्परेन्स बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं ? उक्त विभागों में कितने कर्मचारी हैं और इनके ऊपर कितना वार्षिक खर्चा पड़ रहा है ?

डाक्टर सीताराम—गोरखपुर नम जिला है इसलिए यहां पर जिला संयम समिति (Temperance Society) बनी है, जिला मद्यनिषेध बोर्ड नहीं है। उसकी केवल एक बैठक हुई है ।

यह सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की बनी एक समिति है, विभाग नहीं । इसके अन्तर्गत कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त नहीं है । खर्चे का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*७८—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[७ अप्रैल, १९६० के प्रश्न १६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सिंचाई के विभिन्न साधनों के लिये तकावी

*७९—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न सिंचाई के साधनों को इस वित्तीय वर्ष में क्या तकावी या अनुदान जिलेवार स्वीकृत हुये है—

(अ) पक्के कुयें, (ब) पर्शियन रहट, (स) पम्पिग सेट, (द) बोरिंग ?

श्री सुल्तान आलम खां—पक्के कुएं, पर्शियन रहट, पम्पिग सेट तथा बोरिंग के लिए दो प्रकार की तकावी दी जाती है—

(१) अधिक अन्न उपजाओं योजना के अन्तर्गत, तथा

(२) ब्लाक फण्ड से ।

दोनों की सूचना †संलग्न है ।

*८०—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त एलाटमेंट में कितना जिलेवार वितरण अभी तक हो चुका है ?

श्री सुल्तान आलम खां—उपरोक्त सूची में अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत चारों योजनाओं का जिलेवार विवरण भी शामिल है ।

ब्लाक में खर्चा एक मुश्त किया जाता है न कि हर योजना के लिए अलग-अलग । इसलिए ब्लाक का खर्चा नहीं बताया जा सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह पक्के कुओं के बारे में जो सहायता दी गई है वह लिस्ट के अनुसार इलाहाबाद डिवीजन की मंजूरशुदा रकम कुछ भी नहीं है, इसका कारण क्या है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इलाहाबाद डिवीजन में काफी रुपया दिया गया है, कानपुर में भी दिया गया है । माननीय सदस्य किसके बारे में कह रहे हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह रकम जो खर्च नहीं हुई इसका क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जितनी रकम खर्च नहीं हुई उसके माने यह हैं कि कुओं के लिये तकावी नहीं ली गई ।

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

उद्योगों की प्रगति के लिये श्री ब्रजमोहन बिड़ला के सभापतित्व में समिति

*८१---श्री गेंदासिंह---क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रदेश में किस प्रकार उद्योगों की प्रगति हो इस पर जांच कर रिपोर्ट देने के लिये एक समिति सरकार ने श्री ब्रजमोहन बिड़ला के सभापतित्व में बनाई थी जिसने एक रिपोर्ट भी दे दी है ? क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई विचार किया ? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां । सरकार को इस समिति के सुझावों से प्रदेश के उद्योगीकरण के प्रोग्राम (Programme) को निश्चित करने में यथेष्ट सहायता मिलती रही है ।

*८२---श्री गेंदासिंह---इस समिति के कार्य में सरकार का कितना धन खर्च हुआ और कौन-कौन व्यक्ति इसके सदस्य रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस समिति के कार्य पर ६,४७४ रुपया व्यय हुआ। समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९५ पर)

श्री गेंदासिंह---इस रिपोर्ट पर कभी विचार हुआ और यदि हुआ तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ? इसको स्पष्ट करें मंत्री जी कि इस पर विचार हुआ या नहीं और हुआ तो किस-किस विषय पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यही विचार हुआ कि उसको देखा गया और उस पर विचार के बाद यह निर्णय हुआ कि रिपोर्ट में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो औद्योगीकरण के प्रोग्राम के सम्बन्ध में आ जायंगी, जो हमारे कामों का विस्तार हुआ है, चुर्क की नई रेलवे लाइन, या हमारा जो बिजली बढ़ाने का प्रोग्राम है, जो हमारी टेक्निकल संस्थायें है और जो हमारे यहां हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट आया है । बिजली के फैलाव के सम्बन्ध में भी यह राय है कि बिजली का हाई टैरिफ है और सुझाव दिया गया था कि उसमें भी जो ड्यूटी वगैरह लेते थे उसके कम करने के संबंध में---इन सारी बातों को जब-जब किया है उस समिति की सिफारिशें हमारे सामने रही हैं । कुछ बातें उन्होंने ऐसी भी कहीं जिन्हें नहीं माना गया ।

श्री गेंदासिंह---उसकी सिफारिशों में से किन सिफारिशों पर विचार हुआ, किनको माना गया और किनको नहीं माना गया, इसको हाउस के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जितने डिटेल में प्रश्न है उसमें तो समय लगेगा । लेकिन जैसे यह है कि मिनरल की सर्वे होनी चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज की डायरेक्टोरेट बन गई । साइंटिफिक टेक्निकल एजूकेशन के प्रसार के लिये कहा था, उसके लिये बजट लिटरेचर में माननीय सदस्य ने देखा ही होगा । पावर बढ़ाये जाने की बात कही गई थी कि ५ हजार किलोवाट सरप्लस कर दिया जाय । वह हम नहीं कर पाये लेकिन बिजली बढ़ाने के लिये जितना भी कर सकते थे, वह किया गया । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये कहा गया था, वह हो गया । स्टेट के सदर्न में रेलवे लाइन के बारे में बात कही थी, गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात की, चुर्क-गड़ुआ रोड एक निकाली गई है । तो इस तरह से बहुत सी बातें थीं । समिति की सिफारिशों से पूरा-पूरा फायदा सरकार ने उठाया है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---बिजली के संबंध में उन्होंने जो सिफारिश की क्या उसमें रिहन्द की बिजली के बंटवारे के संबंध में सिफारिश की थी ? अगर हां, तो वह मानी गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---रिहन्द की बिजली के बारे में सिफारिश करने का न सवाल था और न यह टर्म आफ रेफरेंस में था । भगवान् चाहेगा तो मिर्जापुर के इलाके में इतनी बिजली होगी कि हम सबकी आंखें चकाचौंध हो जायेगी ।

आगरा तथा अन्य अन्तरिम जिला परिषदों के विकास कार्यों पर व्यय

*८३---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि भूतपूर्व जिला प्लानिंग कमेटी के कार्य का वर्तमान अन्तरिम जिला परिषदों से क्या सम्बन्ध है और जिलों में विकास के लिये सरकार द्वारा मंजूर हुई धनराशियां किस प्रकार व्यय होती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---भूतपूर्व जिला नियोजन समितियों के सभी कार्य अब अन्तरिम जिला परिषदों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं । नियोजन विभाग स्थानीय विकास कार्यों के लिये धनराशि स्वीकृत करता है जो अंतरिम जिला परिषद् के वैयक्तिक लेखे में जमा कर दी जाती है । अंतरिम जिला परिषद् इस में से गांव सभाओं, सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत करती है । अनुदान स्वीकृत करने की प्रणाली वही है जो पूर्ववत जिला नियोजन समिति के कार्य-काल से चली आ रही है ।

*८४---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बोर्डों के भूतपूर्व सेक्रेटरी और जिला प्लानिंग अफसर के सम्बन्ध क्या हैं और उनका कार्य किस प्रकार विभाजित किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा ११ के अनुसार यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में उल्लिखित सेक्रेटरी के समस्त अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों तथा कर्तव्यों का सम्पादन जिला नियोजन अधिकारी, जो अंतरिम जिला परिषद् का मुख्य कार्याधिकारी होता है, करता है, और परिषद् का सेक्रेटरी उसकी उन कृत्यों के सम्पादन में सहायता करता है ।

*८५---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा जिले में गत तीन वर्षों में विकास के लिये क्या-क्या धनराशि स्वीकृत हुई और उनका किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खेद है सूचना एकत्र नहीं हो सकी ।

मिर्जापुर जिले की कालीन उद्योग सहकारी समितियों को सहायता

*८६---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालीन उद्योग सहकारी समिति, भदोही, ज्ञानपुर, वाराणसी, कछवां, जिला मिर्जापुर के लिये सरकार ने अलग-अलग कितना अनुदान, व कितना कर्ज के रूप में रुपया देना स्वीकार किया है ? क्या उपरोक्त तीनों सहकारी समितियां संगठित हो गई हैं ? यदि हां, तो कब से इन्होंने काम शुरू कर दिया है ?

*८७---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दि कारपेट कोआपरेटिव फेडरेशन, भदोही के लिये कितना अनुदान व कितना कर्ज के रूप में सरकार ने रुपया मंजूर किया है और उसमें से कितना दिया जा चुका है ?

*८८---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कोआपरेटिव फेडरेशन के लिये एक मैनेजर तथा उक्त तीनों सहकारी समिति के लिये एक-एक सहायक मैनेजर तथा तीनों समितियों में सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सूचना एकत्र की जा रही है ।

उद्योग विभाग से ऋण का वितरण

*८९---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में उद्योग विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में कितना रुपया ऋण के रूप में जिलेवार दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है ।

हैन्डीक्राफ्ट, हजरतगंज, लखनऊ में आग लगने की घटना

*९०---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक १६--८--५९ को गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स, हजरतगंज, के शो रूम की क्वालिटी मार्किंग स्कीम के बोर्ड में कितनी बार आग लगी थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां । गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डीक्राफ्टस, हजरतगंज शो रूम की क्वालिटी मार्किंग स्कीम के बोर्ड में दो बार आग लगी थी ।

*९१---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार को पता है कि उक्त अवसर पर फायर ब्रिगेड की तरफ से गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट को कोई आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो यह इंस्ट्रक्शन क्या था ? उसके पहले तथा बाद में भी क्या इस प्रकार के इंस्ट्रेक्शन दिये गये थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---फायर ब्रिगेड की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया ।

*९२---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स में १६--८--५९ के पहले भी आग लग चुकी है । यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह आग कब-कब लगी थी तथा उससे होने वाली हानि एवं उसका कारण क्या था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां ।

(१) गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स मेन स्टोर लखनऊ में १९--१०--५२ को बिजली के तार में शार्ट सर्किटिंग के कारण आग लगी थी, जिसमें रुपये ४३,४०१ रु० ५ आ० १ पा० की हानि हुई ।

(२) २ मई, सन् १९५७ को हजरतगंज शो रूम में बिजली के तार जलने से आग लगी थी जिसमें २४५ रु० ६५ न० पैसे की हानि हुई ।

(३) १६ अगस्त, १९५८ को नियन साइन बोर्ड जो हजरतगंज शोरूम के ऊपर क्वालिटी मार्किंग स्कीम द्वारा लगाया गया है, में आग लगने के कारण केवल १० या १२ गज तार जल गया था । इसके अतिरिक्त इसमें कोई हानि हुई नहीं ।

(४) १६ अक्तूबर, सन् १९५८ को हजरतगंज शोरूम में बिजली के तार में शार्ट सर्किटिंग के कारण आग लग गई थी जिसमें ६७६६ रु० ३१ न० पै० का सामान जल गया और रु० ८६३५ रु० १४ न० पै० का सामान आग व आग बुझाने के यंत्र के कारण विक्रय के लिये अयोग्य हो गया ।

श्री मदन पांडेय---अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि फायर ब्रिगेड की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई थी तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि हजरतगंज के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर श्री डी० एम० सिंह ने एक पत्र स्पेशल मैनेजर को लिखा था जिसका नम्बर १८७।एच० एस० आई० ए० और दिनांक १८--८--५८ है और जिसमें यह लिखा है :

"The 'Fire Brigade' atonce reached the spot and controlled the fire, and they made a thorough inspection of the spot and informed me that there is a great apprehension and danger of fire due to leakage in wire and as just on the above roof of show room some family is living and they have

newly erected wooden blocks, rooms, etc. and even cook their food in the open; hence the show room is surrounded by the materials which can easily catch fire."

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय सदस्य ने स्वयं पत्र पढ़ कर सुनाया जिससे स्पष्ट है कि सूचना लेने को शायद उनकी इच्छा है नहीं। इसलिये कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय लेखा १९६०-६१*

श्री अधिष्ठाता---सार्वजनिक निर्माण मंत्री राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय लेखा १९६०-६१ सदन की मेज पर रखेंगे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---महोदया, मैं आपकी आज्ञा से इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय लेखा १९६०-६१ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६०

श्री अधिष्ठाता---अब सचिव, विधान सभा घोषणा करेंगे।

सचिव, विधान सभा---मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५५ के अन्तर्गत घोषणा करता हूं कि १९६० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक जो विधान सभा द्वारा २५ मार्च, १९६० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २८ मार्च, १९६० को वापस प्राप्त हो गया है।

प्राक्कलन समिति के नवम एवं दशम प्रतिवेदन*

श्री अधिष्ठाता---सभापति प्राक्कलन, समिति उक्त समिति का नवां और दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९५७-६०) का नवम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९५७-६०) का दशम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नवम प्रतिवेदन गवर्नमेंट प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी से संबंधित है और दशम प्रतिवेदन पशुविभाग से संबंधित है।

जहां तक प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है इनके विषय में अधिक न कह कर केवल दो-एक बातें कहना चाहता हूं। चूंकि वर्तमान समिति का समय समाप्त हो रहा है, मैं आपके द्वारा सदन को केवल इतना ही सूचना देना चाहता हूं कि अब तक १० प्रतिवेदन इस हाउस के सामने पेश हो गये और दो प्रतिवेदन ११वां और १२वां, जिनका सम्बन्ध क्रमशः चुर्क सीमेंट फैक्टरी और टांडा पम्प कैनाल, से है, वे समिति ने पास कर दिये हैं और प्रेस में हैं। जैसे ही वहां से आ जायेंगे सदन के सामने पेश कर दिये जायेंगे। और एक प्रतिवेदन और भी

---

* छापा नहीं गया।

[श्री नवलकिशोर]

तैयार हो गया है, जिसका सम्बन्ध कृषि विभाग से है, चूंकि वह पास नहीं हुआ अतः उसके आने में कुछ समय लगेगा । मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं क्योंकि उन्होंने समय-समय पर हमारी समिति के काम में काफी सहायता दी है और हमारा पथ-प्रदर्शन किया है । इसके साथ मैं यह भी अपना फर्ज समझता हूं कि उन तमाम विभागों के लिये, जिनके सम्बन्ध में हमने प्रतिवेदन अब तक दिये हैं और जिन्होंने इनके तैयार करने में सामग्री भेजी है और समय-समय पर जब उनके कर्मचारियों को बुलाया विचार-विनिमय करने के लिये, हमको उन्होंने सहयोग दिया, अपना आभार प्रकट करूं। और अन्त में जो हमारा स्टाफ है, प्राक्कलन समिति का, जिसने बड़े परिश्रम और सहयोग के साथ यह प्रतिवेदन तैयार किया है उनका आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ अपने साथियों को जो समिति के सदस्य थे, जिन्होंने काफी परिश्रम किया और जिनका सहयोग मुझको प्राप्त रहा है, मैं उनका भी आभारी हूं । इन शब्दों के साथ मैं यह प्रतिवेदन सदन के सामने पेश करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, जिसमें एक तार भी लगा हुआ है । मैं इसको लोक महत्व का नहीं समझती हूं । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं । अतः मैं इसको अस्वीकृत करती हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर नायब-तहसीलदार ने किसानों को रिवाल्वर दिखा कर उनसे लगान वसूल किया और लोग काफी भयभीत हैं. . . . .

श्री अधिष्ठाता---मैं इस सम्बन्ध में अपनी रूलिंग दे चुकी हूं । आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दे दीजिये । अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचना

श्री अधिष्ठाता---नियम ५२ के अन्तर्गत दो प्रश्न मेरे पास आये हैं जिनमें से एक प्रश्न पहले ही रिजेक्ट हो चुका है और दूसरा प्रश्न भी इतने महत्व का नहीं है जिसको स्वीकार किया जाय । इसको भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के द्वारा माननीय सदस्य पूछ सकते हैं ।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । हजारों काश्तकारों से सम्बन्धित है ।

श्री अधिष्ठाता---आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के द्वारा पूछ सकते हैं ।

सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के ४०० मजदूरों की छटनी के कारण श्री रमापति दुबे के अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता---श्री झारखंडे राय द्वारा दी गई सूचना पर अब माननीय मंत्री नियम ५२ के अन्तर्गत कोई वक्तव्य देना चाहें तो दें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---इस समय वक्तव्य तैयार नहीं है । सम्पर्क स्थापित किया गया था उसको प्राप्त करने के लिये, लेकिन अब तक प्राप्त नहीं हो सका है । इसलिये इसके प्राप्त करने के लिये दो तीन दिन का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---कब तक प्राप्त हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह---सोमवार को हम दे सकेंगे ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर श्री कालीप्रसाद की नियुक्ति के संबंध में दी गयी याचिका के बारे में जानकारी

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--- पिछली १८ मार्च को सदन के २५ माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर करके कालीप्रसाद जी, लखनऊ विश्वविद्यालय, के सम्बन्ध में जो चार्ज लगाया है उसके सम्बन्ध में एक याचिका भेजी थी, तो याचिका समिति ने क्या निर्णय किया ? कल वे चार्ज लेने जा रहे हैं तो उनको चार्ज लेने से रोकने की कोई व्यवस्था की गई है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---वह पेटीशन कमेटी के सामने है । जब विचार हो जायगा तो उसकी सूचना दे दी जायगी ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---यह पेटीशन कमेटी के सामने है जो बनी हुई है या जो दूसरी बनेगी उसके सामने जायगी ?

श्री अधिष्ठाता---जो पुरानी है, उसके सामने है ।

श्री राजनारायण---२५ तारीख को पत्र लिखा लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका जवाब आज तक नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता---आता होगा । (हंसी)

वर्तमान पुलिस संगठन व्यवस्था में परिवर्तन हेतु कमीशन की स्थापना के संबंध में संकल्प (क्रमागत)*

श्री अधिष्ठाता---अब श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विचार होगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्री मोतीलाल जी अवस्थी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है इस सदन में उस पर विचार जारी है । इसमें दो संशोधन भी थे मगर वे संशोधन उपस्थित नहीं हुये हैं । मोतीलाल जी अवस्थी का जो प्रस्ताव है इसे प्रस्तुत किये काफी अरसा हो चुका है । बहुत से सम्मानित सदस्यों को इसकी पृष्ठ भूमि का स्मरण नहीं होगा । अगर वे पढ़ लेंगे तो उन्हें मालूम हो जायगा कि यह पुलिस से सम्बन्धित है । "इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश का शासन ग्राम व जिला स्तर पर शीघ्र विकेन्द्रित करना अत्यन्त वांछनीय है. . . . . "

श्री अधिष्ठाता---यह दूसरा है । पहला चल रहा है, उसी पर आप बोलिये ।

श्री राजनारायण---पहला ही चल रहा है । लेकिन पहले में दो संशोधन हैं श्री गेंदा सिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी के और वे प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, तो पहले उनको पेश करवाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---जब उन्हें कोई मूव नहीं कर रहा है तो क्या किया जाय ?

श्री राजनारायण---गेंदा सिंह जी मौजूद हैं और तिवारी जी भी मौजूद हैं ।

श्री अधिष्ठाता---कोई मूव करे तभी तो । उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ ।

---

*९ फरवरी, १९६० की कार्यवाही से। इस विषय पर विवाद स्थगित होते समय श्री मुरलीधर कुरील भाषण दे रहे थे; आज अनुपस्थित होने के कारण वह अपना भाषण पूरा नहीं कर सके ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---आपके सामने नाम मौजूद हैं । आप काल कर लेतीं तो मैं खड़ा हो जाता ।

श्री अधिष्ठाता---अच्छी बात है । अब माननीय गेंदासिंह जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

*श्री गेंदासिंह---यह जो प्रस्ताव श्री मोतीलाल जी अवस्थी द्वारा प्रस्तुत है उसमें मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"साथ ही सदन इसे भी आवश्यक समझता है कि कमीशन अपनी नियुक्ति के तीन महीने के अन्दर एक अन्तरिम रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत करे जिसमें आवश्यक जनहित के प्रश्नों पर अविलम्ब कार्यवाही की जा सके ।"

श्रीमन्, इस संशोधन को रखने का असली मतलब मेरा यह है कि कमीशन जो मुकर्रर होते हैं उनकी रिपोर्टों के आने में प्रायः विलम्ब होता है । उसको बहुत लम्बे-चौड़े तरीके से जांच करनी होती है और उसके बाद वह राय कायम कर के ही सरकार के सम्मुख अपनी रिपोर्ट रख सकता है । लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि आज ही परिवर्तन होना चाहिये और इनमें जनहित का बड़ा भारी संबंध है । पुलिस का जो इस समय संगठन है, वह आगे भी बना रहेगा और बहुत दिनों से बना हुआ है और इसका सम्बन्ध शहर वालों से भी है लेकिन ग्रामीण लोगों से अधिक है । इसलिये ग्राम स्तर पर पुलिस में क्या परिवर्तन कर दिया जाय, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारे गृह मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं लेकिन बजट स्पीच में उन्होंने स्वयं कबूल किया था कि हमारे प्रदेश के गांवों में असुरक्षा की भावना फैल गई है । इस बात को हम तो बहुत पहले से कहते थे लेकिन गृह मंत्री जी ने इसको स्वीकार करके एक जिम्मेदारी सरकार के ऊपर और डाल दी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका प्रबन्ध किया जाय । जब सरकार समझती है कि असुरक्षा की भावना देहातों में है तो ऐसी हालत में तुरन्त कोई बन्दोबस्त कमीशन को करना चाहिये कि इस भावना को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है । मैंने कमीशन की रिपोर्ट के लिये तीन महीने की बात रखी है लेकिन वह रिपोर्ट दो दिन में भी दे सकता है और एक हफ्ते में भी दे सकता है । तीन महीने के अन्दर देनी चाहिये ।

श्रीमन्, इस संबंध में दो-तीन बातें मैं आवश्यक समझता हूं । एक तो यह कि कमीशन दो-तीन महीने में रिपोर्ट दे कि गवर्नमेन्ट को क्या कार्यवाही करनी चाहिये । जो कमीशन बैठेगा उसको इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि पुलिस की जो नीचे की श्रेणी है उसकी हम क्या मदद कर रहे हैं, उसके खाने पीने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या हम उसको इस लायक रख रहे हैं कि वह जवान आदमी की तरह से बन्दूक अपने कंधे पर रख कर दुश्मन के साथ साहस से लड़ सके ? इसके लिये सरकार ने सामान मुहय्या किया है या नहीं ? मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव का बड़ा अपमान है कि गृह मंत्री जी मौजूद नहीं हैं । मैं राम स्वरूप जी को कम नहीं समझता लेकिन उधर से डिसक्शन होता है और पार्लियामेंटरी पद्धति में सुना है कि बैक बेंचर्स होते हैं, तो मैं उनको होम मिनिस्टर का बैक बेंचर अवश्य मानूंगा । इसलिये मैं जरूरी समझता हूं कि जब पुलिस कमीशन जैसे विषय पर चर्चा हो रही हो तो उनको सदन में जरूर होना चाहिये था लेकिन नहीं हैं । मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन का आदर करेंगे और वह बैठकर भी सुनना चाहते हैं लेकिन वह कुछ दूसरी बात कर रहे थे । ज्यों ही विष्ट जी ने छट्टी दी त्यों ही वह उठ कर चले गये । इस वक्त स्टेट मिनिस्टर जरूर मौजूद हैं । डाक्टर साहब हैं, और नेगी जी भी हैं लेकिन इन लोगों का पुलिस से मतलब नहीं है । अगर उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानकारी न हो तो वह डिपार्टमेन्ट से पूछ लें। पुलिस डिपार्टमेन्ट वाले तो हैं नहीं जो हमारी बात सुन सकें।

छः आने प्रति दिन भत्ता कांस्टेबिल को दिया जाता है। अगर यह गलत हो तो डिप्टी मिनिस्टर साहब सुधार कर दें। यह छः आने का भत्ता उसको थाने में एक सीमा तक घूमने पर नहीं दिया जाता। जब रात को रहेगा तभी छः आने प्राप्त हो सकेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि छः आने में किस प्रकार वह गुजर कर सकता है, खाना खा सकता है? जब तक कमीशन की रिपोर्ट आये तब तक इस मामले को टाल नहीं रखना चाहिए। शीघ्र ही नियमों में ऐसा परिवर्तन कर देना चाहिये कि छः आने की जगह पर उसको कम से कम इतनी रकम मिल सके जितने में वह दोनों वक्त खाना खा सके। मैं समझता हूं कि नेगी जी इसको समझ लें और समझा दें तो अच्छा होगा कि कितना पैसा दो वक्त के खाने में खर्च होगा, और किस प्रकार का खाना वह कांस्टेबिल को देना चाहते हैं। इसके लिए कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार समझे कि कमीशन की रिपोर्ट होनी चाहिये तो कमीशन को हिदायत करे कि भत्ते के सिलसिले में वह अपनी रिपोर्ट जल्दी दे, हालांकि टर्म्स आफ रेफरेंस में सारी बातें हैं।

दूसरी बात यह है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेन्ट के पास ही पुलिस नहीं है। पुलिस सेंट्रल गवर्नमेन्ट के पास भी है। रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया है। जहां तक मेरा खयाल है, उनका न्यूनतम वेतन ७५ रुपये है। और इतनी बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि हमारा जो कांस्टेबिल पुलिस का है, थाने का है, मुलजिम पहुंचाने वाला है, या जो बैरकों में रहता है, सबको रेलवे-प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स से ज्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है, चोर डाकुओं से लड़ना भी पड़ता है। इसलिये उसके वेतन के लिये भी कमीशन की रिपोर्ट आने तक इंतजार नहीं करना चाहिये। जब पिछले वर्षों में सेंट्रल पे कमीशन बैठा था तो बीच में लोगों को इंटरिम रिलीफ दे दी गयी थी, तार टेलीफोन वालों को और रेलवे वालों को। इंटरिम रिलीफ से मेरी मंशा यह है कि उनको वेतन और भत्ते दोनों में इंटरिम रिलीफ मिलनी चाहिये।

हम लोग कांस्टेबिल की शिकायत भी करते हैं हाउस में कि वह गांव वालों को सताता है, तंग करता है। तो भूखा भेड़िया क्या करेगा? असल में बड़ी तनख्वाह वालों का पाला पड़ता है डिप्टी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से, बातचीत करने का। गांव वाला जो निरक्षर आदमी है उसका पाला पड़ता है कम तनख्वाह वालों से। कम तनख्वाह पाने वाला सरकार से नाराज है कि छः आने भत्ता देते हो, खाने भर को भी नहीं है। उसके मन में गुस्सा रहता है। उसका गुस्सा राम स्वरूप जी के ऊपर और पंडित जी के ऊपर नहीं उतरता। उसका गुस्सा उतरता है गांव वालों पर। गलती तो है राम स्वरूप जी की, पंडित जी की लेकिन उस गलती का खमियाजा भुगतता है गांव वाला। डिप्टी मिनिस्टर साहब और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी से तो बात करेगा वह आदमी जो पढ़ा लिखा और खाया पिया आदमी होगा। गांव वालों को तो उस आदमी से डील करना पड़ता है जो कि बिना पढ़ा लिखा और भूखा है। इसलिये मैं चह चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके यह तौर तरीका और व्यवस्था बदले। वेतन और भत्ते के बारे में जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए सेंट्रल पे-कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करना आवश्यक है।

सेंट्रल पे कमीशन के अलावा नैनीताल में जो एक ट्रिपार्टाइट कान्फेंस हुई थी उसकी मैं याद दिलाना चाहता हूं। उसमें कुछ नार्म्स बना दिये गये थे कि इतने कैलोरीज भोजन मिलना चाहिये, इतना कपड़ा मिलना चाहिए। इन नार्म्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने जिस वक्त हिसाब लगाया उस वक्त निकला कि १२५ रुपये महीने में वह

[श्री गेंदासिंह]

नार्म्स मिल सकेगें। १२५ रुपये एक कांस्टेबिल को देना हम समझते हैं कि आज सम्भव नहीं है उसको १२५ रुपये देने पर यह जरूरी हो जायगा कि देश की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाना पड़े। हम उस टैक्स को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन एक तरफ हम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते तो दूसरी तरफ किसी तरह से हम अपने निम्न कर्मचारी को असन्तुष्ट भी नहीं रखना चाहते। उसके लिये किसी न किसी तरफ से रकम निकाल कर इतना तो कम से कम उसे मिलना ही चाहिए जिसमें वह भूखा न रहे। उस ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में नैनीताल में स्टेट गवर्नमेन्ट के रेप्रेजेन्टेटिव, सेंट्रल गवर्नमेन्ट के रेप्रेजेन्टेटिव, मजदूरों के रेप्रेजेंटेटिव और एम्प्लायर्स के रेप्रेजेंटेटिव, सभी के रेप्रेजेंटेटिव थे, सब ने बैठकर वह नार्म्स तय किये थे कि इतने कैलोरीज खाने में होनी चाहिये, इतना कपड़ा होना चाहिये, इतना मकान होना चाहिये, यह सारी चीजें उन्होंने तय की हैं। उसी आधार पर सेंट्रल गवर्नमेन्ट नें १२५ रुपये कम से कम निकाला था। लेकिन उतना उन्होंने नहीं रखा है। उन्होंने ८० रुपया रखा है। हम उस ८० रुपये से सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कांस्टेबिल १०० रुपये से कम न पावे। लेकिन वह भी हमारे स्टेट एक्सचेकर पर अधिक भार डालने वाला होगा। इसलिये इतना हम अवश्य चाहते हैं कि जो आर० पी० एफ० का कांस्टेबिल पाता है, वह तनख्वाह कम से कम, हमारे कांस्टेबिल को भी शीघ्र से शीघ्र मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं पुलिस वालों के मेस सिस्टम के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। उनके मेस सिस्टम में भी कुछ सुधार होना चाहिये। इस संबंध में नेगी जी से मैं खासतौर से कहना चाहता हूं, वह मेरी बात सुन लें। मैं चाहता हूं कि जहां कहीं भी पुलिस का मेस हो, उस मेस के लिए माकूल अनाज का बन्दोबस्त जरूर होना चाहिये। अनाज सस्ते दामों में वहां पहुंचा दिया जाय जिससे ठीक से उनको खाना मिल सके।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि रपट लिखाने के सम्बन्ध में जो शिकायत है उसको मिनिमाइज करने के लिए अगर कमीशन कोई सलाह दे सके तो ज्यादा अच्छा है। आज एक बड़ा भारी प्राबलम है मुकदमों का लिखा न जाना। इस मामले में कमीशन को सलाह देनी चाहिये जिससे कि सही मुकदमें दर्ज हो सकें और लोगों को राहत मिल सके।

एक बात और कहकर मैं आपसे छुट्टी लूंगा। पुलिस वाले भी कुछ लड़ कटकर मरते हैं और डकैती में खासतौर से ईमानदार पुलिस वाले मरते हैं। तो ईमानदार पुलिस वाला कोई गोली खाकर मरे या किसी और बात में उसकी मौत हो तो उसके परिवार वालों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिये, जनता को लेनी चाहिये क्योंकि जनहित के कार्यों में उसकी मौत होती है। उसके लिये अब तक जो प्रबंध है वह नाकाफी है। इसलिये उसका प्रबंध जरूर होना चाहिये।

इन्हीं तीन-चार बातों की तरफ मुझे आपका ध्यान दिलाना था। अन्तरिम रिपोर्ट देने की फौरन व्यवस्था की जाय और अगर न वह व्यवस्था हो तो सरकार स्वतः इस पर कार्यवाही करे, यश की भागी सरकार होगी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय मोती लाल जी अवस्थी के संकल्प का समर्थन करता हूं। इसके सम्बन्ध में चन्द बातों की चर्चा मैं इस आदरणीय सदन में करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वह प्रस्तावित पुलिस कमीशन मेरे इन सुझावों को अपने सामने रखेगा जब वह अपना निर्णय इस सम्बन्ध में करेगा।

मोटे तौर पर समय-समय पर पुलिस के सम्बन्ध में वार्तालाप करते समय या विवाद करते समय यहां पर, जो बातें सामने आई हैं, उनमें एक बात की ओर सब से अधिक ध्यान देना है कि यह जो पुलिस का संगठन है, जो पुलिस का ढांचा है उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिये कि पुलिस का संगठन कोई बहुत पुराना इस देश में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब से

समाज की रचना हुई है तब से पुलिस का संगठन हो । यह संगठन नया है । पहले फौज से काम चलता था । सन् १९२९ में पहली बार हाउस आफ कामन्स में एक प्राइवेट मेम्बर सर राबर्ट फील ने यह महसूस किया था कि यह जो शोरगुल होता है और लोगों की लाइफ और प्रापर्टी का सवाल आता है, उसके लिये कुछ इन्तजाम होना चाहिये । इसके पश्चात् दुनिया के विभिन्न देशों में पुलिस का संगठन हुआ । उसी के अनुसार हमारे देश में भी पुलिस का संगठन, जहां और बातों के लिये था वहां, साम्राज्यवाद की रक्षा के लिये भी था कि साम्राज्यवाद की रक्षा के लिये किसी प्रकार से प्रशासन की मशीन गांव-गांव में पहुंच सके । इस व्यवस्था के लिये ही यह मशीन बनाई गई । यही कारण है कि आज पुलिस के सिपाही को देखकर गांव का किसान ऐसा नहीं समझता है कि वह उसका मित्र है । बदकिस्मती से आज देश के स्वतंत्र होने के बाद भी गांव का किसान पुलिस के सिपाही को देखकर ऐसा नहीं समझता है कि हमारा मित्र आगया । उसको देखकर आज वह समझता है कि यह कोई ताड़क आ गया है । पुलिस के सिपाही को देखकर वह डरता है । उसको मित्र नहीं समझता है । इस सम्बन्ध में यहां पर समय-समय पर सुझाव दिये गये कि उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये और उनके नियमों में भी परिवर्तन करने की बात कही गई ।

कुछ मोटी-मोटी बातों के विषय में मेरा भी यह सुझाव है कि उनकी ड्रेस में परिवर्तन किया जाय । मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जो ड्रेस है, मेरी राय में देश में सब प्रदेशों की पुलिस ड्रेस से बढ़िया है । बम्बई की पुलिस ड्रेस तो ऐसी है जैसी कि हमारे यहां की चौकीदार की ड्रेस है; लेकिन उस ड्रेस से, यह मानना चाहिये कि गांव का आदमी सन्तुष्ट नहीं होता । वह ड्रेस ऐसे समय बनाई गई थी कि उस भावना से गांव के आदमी सुरक्षा का अनुभव नहीं करते। उनको ऐसा मालूम होता है, किसी सिपाही के वहां पर गांव में आने पर, कि वह उनको मारेगा और तंग करेगा । इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोग यह समझें कि वह उनका हमदर्द है और उनकी सुरक्षा करने वाला है । पुलिस के प्रति मानसिक स्थिति में और उनकी कार्यविधि में परिवर्तन की आवश्यकता है । दूसरी तरफ यह भी सोचने की बात है कि पुलिस का रवैया भी बदले । इन सब बातों का ध्यान रखते हुये पुलिस कमीशन को इन सारी समस्याओं की ओर विचार करना है ।

इस सम्बन्ध में जब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं तो उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न अप्वाइन्टमेन्ट का आता है कि उनके अप्वाइन्टमेंट कैसे हों । इस बात को देखने की जरूरत है कि पुलिस के महकमे में सारी दुनिया के देशों में नियुक्ति किस प्रकार होती है । दूसरे देशों में, जो प्रजातांत्रिक देश हैं, वहां पर पुलिस के नीचे के आफिशियल बहुत काफी योग्य होते हैं । वे काफी योग्यतापूर्ण नियुक्त किये जाते हैं और आगे उनको बहुत बड़ी तरक्की दी जाती है । इसका कारण पुलिस महकमे के अथारिटेटिव राइटरों ने यही लिखा है कि इस महकमे में छोटे कर्मचारियों को यदि प्रोत्साहन नहीं मिलता है अच्छा काम करने के लिये तो वे अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मिसाल के लिये एक थानेदार है, वह आजीवन थानेदार ही रहता है। ९० परसेन्ट थानेदार ही रहते हैं, कभी कोई इन्सपेक्टर भी हो जाता है, लेकिन जनरली उसके प्रमोशन का स्कोप बहुत कम है ।

आई०पी०एस० में जितना स्टाफ है वह बहुत ज्यादा है । उनमें इतने ज्यादा लोग ले लिये जाते हैं कि नीचे के लोग ऊपर नहीं जा पाते। एक थानेदार के दिमाग में यही बात रहती है कि उसको उसी जगह पर रहना है । यदि उसको कुछ प्रोत्साहन मिलता तो वह ऐसा सोचता कि तरक्की मिलेगी, उसके लिये उसको ईमानदारी से काम करना चाहिये। इसलिये पुलिस कमीशन इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में इन बातों को भी देखे और महकमे में नियुक्तियों के सम्बन्ध में और पदोन्नति के सम्बन्ध में पहले निश्चित नियम बनने चाहिये ।

अधिष्ठात्री महोदया, समय-समय पर हम लोग सरकार पर अभियोग लगाया करते हैं कि पदोन्नति के सम्बन्ध में पक्षपात होता है । दूसरे व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया जाता है, इस प्रकार के आक्षेप होते हैं। यह बात सरकार के और सरकार

[श्री गौरीशंकर राय]

में जो लोग बैठे हैं उनके व्यवहार की है। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नियम ऐसे बनने चाहिये कि जिनमें इतनी छूट न हो कि कोई मनमानी कर सके और एक को दूसरे से बहुत ज्यादा घटा बढ़ा सके। बात बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस के जो टाप आफिशियल्स हैं, जितने डी० आई० जी० हैं--करीब १०, १२, उन सब में एक हार्ट बर्निंग है क्योंकि किसी एक सज्जन को ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया था, और दूसरे लोग देखते हैं कि हमारी नौकरी ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। इन सबको हम कह लेते हैं और सरकार सुन लेती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उसका चमड़ा इतना मोटा हो गया है कि उस पर कोई असर नहीं होता। तो पुलिस कमीशन को पदोन्नति के सम्बन्ध में भी नियम बनाने चाहिये और वे ऐसे वैज्ञानिक ढंग पर होने चाहिये ताकि डिजर्विंग लोगों को उसके बाद असंतोष होने की कोई बात न रहे।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पुलिस के सम्बन्ध में एफ०आई०आर० की आती है। इसके सम्बन्ध में एक समय में हम लोगों ने सुझाव दिया था; लेकिन मुझे अफसोस है कि उस सम्बन्ध में भी उस समय और आज भी हम नहीं बता सकते कि उसकी जगह पर कौन-सा सिस्टम अपनाया जाय। इसके लिये तो विशेषज्ञ बैठाये जायं, लेकिन यह निश्चित है कि मौजूदा सिस्टम दोषपूर्ण है और व्यवहार में वह और दोषों के साथ मिल कर महादोषी हो जाता है और इससे महा अनर्थ हो जाता है।

रेफरेंस के तौर पर मैं बतलाऊं। गांवों में डकैतियां होती हैं और ३९५ का केस लिखाने के लिये वे थाने पर जाते हैं। मैं हर जिले की बात कहता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, ९० फीसदी केसेज तो ३९५ के ४५७ में लिखे जाते हैं। जो लिखे जाते हैं उनका यह फीसदी है और ७५ प्रतिशत केसेज जांच तलब रिपोर्ट के लिख लिये जाते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से कहा, पुलिस की स्टैंडिंग कमेटी में कहा, और एक जगह जहां होम सेक्रेटरी और आई० जी० महोदय थे, उनसे कहा कि यह जांच तलब रिपोर्ट का सिस्टम बन्द किया जाय। बहुत से लोगों ने समय-समय पर यह मांग की है। इसमें वह एक कागज पर रिपोर्ट लिख लेते हैं और जांच करते हैं। अगर मामला सही मालूम हुआ तो रिपोर्ट लिख लेते हैं। क्राइम नम्बर न बढ़ जाय इसके लिये वह पहले रिपोर्ट नहीं लिखते और यह जांच तलब रिपोर्ट लिखी जाती है और नतीजा यह होता है कि डकैती होने पर या तो ४५७ में रिपोर्ट लिखी आती है या जांच तलब रिपोर्ट लिख ली जाती है और इसके बाद पुलिस को मोल तोल करने का खुला अवसर मिल जाता है और जो करप्ट मीन्स एडाप्ट किये जाते हैं उनसे केसेज इंजर हो जाते हैं और जनता को कोई फायदा नहीं होता। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा कि जांच तलब रिपोर्ट के सिलसिले में सर्कुलर चले गये हैं और मुझे तो आई० जी० महोदय ने दो,-दो सर्कुलर दिखाये भी, लेकिन मुझे यह पता नहीं चला कि यह सर्कुलर केवल 'सीन, फाइल' होने के लिये जाते हैं अथवा उन पर कोई अमल भी होता है। तो इसलिये इस एफ० आई० आर० में पूरा सुधार और परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही पुलिस का सम्बन्ध दूसरे महकमों से, कानून आदि से भी है। हमारे कानून भी परिस्थितियों के अनुसार होने चाहिये। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके बारे में बार-बार कहा जा चुका है, जैसे १०९ की धारा है। ऐसी धाराओं को रखना प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिये एक बड़ा अभिशाप है। एक दियासलाई या एक चाकू किसी के पास मिल जाय, पुलिस वाला उसको झट १०९ में बन्द कर देता है। इस सम्बन्ध में एक किस्सा मुझे याद आ गया, जो सही है। एक आफिसर ने मुझे बताया कि एक प्रोफेसर साहब एक डिप्टी कलेक्टर के दोस्त थे और डिप्टी कलेक्टर के यहां वे ताश खेलने जाते थे। एक दिन देर तक वे ताश खेलते रहे और जब वह वहां से चले तो एक पुलिस वाले ने उनको १०९ में बन्द कर दिया। उन्होंने कहा भी कि भाई मैं प्रोफेसर हूं, मैं वहां से आ रहा हूं---लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। मालूम हुआ कि एस० पी० साहब के

यहां से पूछा गया था कि इस महीने में कितने केसेज १०९ में पकड़े गये हैं? उस महीने में कुछ कमी रह गयी थी और वह उनको पूरी करनी थी किसी तरह इसलिये यह प्रोफेसर साहब ही नजर आ गये, इनको ही बन्द कर दिया। जब वे पकड़ कर डिप्टी साहब के यहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा—अरे भाई! तुम यहां कैसे आ गये, तब उन्होंने सारी बात बतायी। बाद को उनको छोड़ दिया गया। तो यह हालत है पुलिस के कामों की।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—यह पता आपको कैसे हुआ? किसने बताया?

श्री गौरीशंकर राय—यह एक गजेटेड आफिसर ने मुझे बताया। अगर आप कहेंगे तो मैं दिन और तारीख तक उनको खत लिख कर पूछ सकता हूं और बता सकता हूं।

इसके अलावा यह सामने जो गृह मंत्री जी के दल के सदस्य बैठे हुये हैं, अगर इनकी कुदृष्टि किसी के ऊपर हो जाती है तो उसकी हिस्ट्रीशीट खोल दी जाती है। ऐसे-ऐसे फैक्ट्स मुझको मालूम हैं, लेकिन मैं उनको यहां सदन में बतलाना नहीं चाहता। एक पोलिटिकल रीजन्स पर, इनके कहने पर हिस्ट्रीशीट खोल दी जाती है।

खैर, इन बातों के अलावा मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस प्रकार के परिवर्तन आपके यहां होने चाहिये। मैं इसके लिये बहुत दिनों से कहता चला आ रहा हूं। गृह मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया जाता है कि हमारे पास पैसा कम है, हम पुलिस की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। सारी दुनिया के जो जानकार लोग हैं उनका यह कहना है कि पुलिस की संख्या इस बात के लिये जिम्मेदार नहीं है। किस देश की पुलिस संख्या कितनी है, इस बात पर यह चीज निर्भर नहीं करती बल्कि देखना तो यह होता है कि वह संगठन किस प्रकार का है। एक बहुत बड़े स्टेन्डर्ड राइटर, लियेनर्ड (Leonard) का कहना है—

"Thus, in police operations, the numerical strength of a police department is not a true measure of the combat strength of the organization. The intelligence, education, professional training, mental health and career interests of the individual officer combine with expert organization and management superimposed from above to amplify the combat power of a police organization far beyond the point attainment by sheer numerical strength alone."

उन्होंने कहा है कि संख्या के अलावा यह सब चीजें हैं जो काउन्ट करती हैं। आज एक ही उत्तर है गृह मंत्री जी के पास कि पैसा नहीं है, संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, तादाद कम है। संख्या इतनी तो बढ़ाई नहीं जा सकती है कि हर गांव में, हर घर के पीछे एक-एक पुलिस वाला बिठा दिया जाय। ऐसा तो हो नहीं सकता और न इस तरह से ही कुछ काम हो सकता है। आपको तो उसका संगठन ऐसा बनाना है जिससे कि जनता को उनमें विश्वास हो। तभी कुछ हो सकता है, संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो बराबर मैं कहता रहता हूं, वह है छोटे पुलिस कर्मचारियों और बड़े आफिसरों में व्यक्तिगत भेद की बात। गृह मंत्री जी कहा करते हैं कि प्रजातांत्रिक देशों में उनका कोई संगठन नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं और बार-बार मैंने कहा भी है, उनका संगठन है। अमेरिका में जो पुलिस के छोटे कर्मचारी हैं उनकी ग्रीवान्सेज को दूर करने के लिये, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिये, उचित व्यवस्था है। अधिष्ठात्री महोदया, फौज के अन्दर वहां फौज का एक कमान्डर अपने सिपाही के साथ हाकी खेलता है। वहां एक छोटा कर्मचारी अपने उच्चाधिकारी—आई० जी० से मिल सकता है। यहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अपनी परेशानियों को दूर करने के लिये अगर यहां के छोटे कर्मचारी कुछ करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। ६०—६० आदमियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। इसलिये इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना है।

[श्री गौरीशंकर राय]

साथ ही, एक बात मैं उनकी सुविधाओं वेतन और भत्ते के बारे में भी कहूंगा। इसके लिये भी बार बार कहा गया है। आज उनके लिये क्या सुविधायें हैं? आज अगर कोई कान्सटेबिल बनारस का रहने वाला है तो उसकी पोस्टिंग झांसी में की जाती है। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जिस रीजन का रहने वाला है, उसी में रहे। ४ महीने के बाद अगर घर जायगा तो १ महीने की तनख्वाह उसकी आने-जाने के किराये में लग जाती है, तो वह बच जायगी। मगर बार-बार करने पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

अन्त में यह कहना है कि दूसरे देशों में जो प्रयोग हो रहे हैं--कारपोरेशन इत्यादि के सम्बन्ध में उसी प्रकार यदि वह विकेन्द्रीकरण न कर सकें तो उस तरफ चलना अवश्य चाहिए और ऐसा हमको महसूस हो कि पुलिस लोगों को सरकार की तरफ से दबाने की मशीन नहीं है, बल्कि लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए, उनके जान-माल की रक्षा के लिए और उनके हकों की हिफाजत के लिए है। पुलिस कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं, आशा है कि वह पूरे तौर से छानबीन करेंगे और बदली हुई परिस्थिति और मान्यताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन लायेंगे।

श्री रामदीन (जिला मैनपुरी) हाउस में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी, कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)--आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, यह जो अवस्थी जी का प्रस्ताव है और हमारे आदरणीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है, उन दोनों का विरोध करने के लिए हम खड़े हुए हैं। पहली बात तो यह है कि सदन के हर सदस्य को यह मालूम है कि पुलिस कमीशन सरकार नियुक्त कर चुकी है, वह विचार उस पर कर रही है। दूसरे, बजट में जिस संशोधन पर आदरणीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि ६ आना मिलते हैं तो उन्होंने कर दिया १२ आने से १ रुपया तक। तो मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि नान-आफिशियल दिन इस प्रकार के प्रस्ताव रखे जायं। लेकिन आपने जब आज्ञा दी है तो उस पर कुछ कहना ही उचित है।

महोदया, कहा गया है कि १०९ की दफा बन्द कर दी जाय क्योंकि उसमें कोई मैजिस्ट्रेट और जज साहब पकड़ लिये गये। मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि वह दफा जरूर रखनी चाहिए, चाहे १०९ में जज आ जाय या मैजिस्ट्रेट आ जाय। कोई पुलिस वाले के पास आला नहीं है कि समझ जाय कि कौन आदमी जज है, कौन क्या है। जैसा कि गौरीशंकर राय जी ने कहा, १२ बजे रात तक फ्लश खेले तो अगर इतनी रात तक जुआ खेल कर चलते हैं तो गिरफ्तार करना तो उसका फर्ज हो जाता है और मैं इस राय का हूं कि उस पुलिस वाले को इनाम देना चाहिए, क्योंकि उसमें मारेल करेज है। यहां पुलिस वालों के लिए कहा गया कि वह ठीक काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हुआ, वह बड़ा योग्य व्यक्ति था जिसने अपनी समझ से काम लिया कि फ्लश खेल कर रात के बारह बजे सड़क पर चलते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाय।

अधिष्ठात्री महोदया, कहा जाता है कि पुलिस का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मैं भी इस राय का हूं कि रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिए। किसी न किसी रूप में पुलिस हर देश में रहती है और हर सिविलाइज्ड कंट्री में पुलिस का फार्मेशन है। मैं यह भी मानता हूं कि कहीं पुलिस से गलत काम भी हो सकते हैं, एफिशियेंसी मेनटेन करने में गलती हो सकती है, लेकिन उसके यह माने नहीं हैं कि पुलिस का सारा काम गलत होता है। हमारे यहां तो बड़े बहादुर, कर्मठ और सोचने वाले लोग हैं।

पुलिस के बजट पर काफी विवाद हो चुका है जिस पर काफी सदस्यों ने प्रकाश डाला है। आज आप देखें कि हमारा एफ० आई० आर० का जो फार्म बना हुआ है उसके अलावा कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज हो नहीं सकती। यह हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा बहुत चेञ्ज कर लें, उसकी एक कापी सब इन्सपेक्टर को दे दें, एक एस० पी० को दे दें, एक कम्पलेंट आफिसर को दे दें और एक कापी ग्राम सभा या पंचायत को दे दें। ऐसा तो किया जा सकता है, लेकिन एफ० आई० आर० किसी फरिश्ते के पास तो नहीं लिखाई जा सकती, सिर्फ यही हो सकता है जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन लोगों के पास कापी भेजी जा सकती है। जिला परिषद् को भी एक कापी दी जा सकती है। लेकिन फार्म तो वही रहेगा, कोई दूसरा फार्म हो नहीं सकता।

कुछ यह कहा गया कि एक फलाने थानेदार ने एफ० आई० आर० इसलिये नहीं लिखी क्योंकि एक अमुक प्रकार के जुर्म में बढ़ोत्तरी होती तो मैं यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता। हुआ होगा, लेकिन किसी ने उसका साल्यूशन नहीं बताया। पुलिस कमीशन बैठा हुआ है, हम देखेंगे कि आप लोग क्या साल्यूशन देते हैं। मेरी राय में तो एक कापी सब-इसन्पेक्टर को दे दें, एक कमप्लेन्ट आफिसर को दे दें और एक कापी सरपंच अदालत को दें दे। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा और क्या हो सकता है।

कहा जाता है कि पुलिस एफीशियेन्ट नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी पुलिस एफीशियेन्ट है। १२ साल पहले, अंग्रेजों के जमाने में पुलिस में क्या खराबियां थीं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। बहुत से माननीय सदस्य अंग्रेजों के जमाने की पुलिस से भुगते हुए हैं और मैं भी भुक्तभोगी हूं। आज पुलिस बड़े उमदा तरीके से मूव करती है। आप देखें कि आजकल जो पोलीटिकल स्पीचेज हो रही हैं उसपर १२४-ए के मुकदमे चल सकते हैं, लेकिन हमारी पुलिस नहीं चाहती कि किसी का इस तरह से हैरेसमेंट किया जाय। आप बतला दीजिये कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में १२४-ए के कितने मुकदमे चलाये गये और पहले अंग्रेजी राज्य में कितने चले।

मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्य आवेग में आकर बहुत सी बातें सदन में और सदन के बाहर कर देते हैं। सदन की तो कोई बात नहीं लेकिन बाहर भी जो किया जाता है उसको भी पुलिस ड्राप कर देती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी पुलिस में किसी तरह से देशभक्ति में कोई कमी है।

दूसरी बात तनख्वाह बढ़ाने के लिये कही जाती है। पुलिस की डिमाण्ड आपके सामने थी उसमें आपने कटमोशन पेश कर दिया, आपने बढ़ोत्तरी का कोई मूव नहीं रखा। तो फिर यह कैसे माना जाय कि आप पुलिस की तनख्वाह में कोई बढ़ोत्तरी चाहते हैं ? अगर आप बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखते तब यह समझा जाता कि आप पुलिस की बहबूदी चाहते हैं।

तीसरी बात यह कही जाती है कि मुकदमे के चलाने के लिये पुलिस को साधन जुटाने पड़ते हैं। आप खुद जानते हैं कि जब पुलिस वाले किसी मुकदमे को चलाते हैं तो उनको गवाहों को बुलाना पड़ता है, किस तरह से सिफारिश और खुशामद करके वह तैयारी करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि पुलिस आर्गेनाइजेशन में जो कोर्ट इन्सपेक्टर होते हैं उनको अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। आखिर कोर्ट इन्सपेक्टर भी उतने ही पढ़े लिखे होते हैं जितने कि मैजिस्ट्रेट। उनको भी ला ग्रैजुएट होना जरूरी होता है लेकिन उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। उनको मैजिस्ट्रेट के मुकाबले में केस करना होता है। तो मैं इस राय का हूं कि आप जिस तरह से कोर्ट में सरकारी वकील रखते हैं वह तो रखें लेकिन क्रिमिनल केसेज के लिये, जो अच्छी से अच्छे कोर्ट इन्सपेक्टर हों, उनको जजेज कोर्ट में जाने के लिये एलाऊ कर दिया जाय ताकि पुलिस के खर्चे में भी कुछ हो जाय। कुछ ऐसे एफीशयेन्ट कोर्ट इन्सपेक्टर हो सकते हैं जिनको आप जजेज कोर्ट में जाने के लिये अलाऊ कर दें ताकि वह अच्छे तरीके से केस कर सकें। आज होता तो यह है कि गवाहों की तैयारी तो कोर्ट इन्सपेक्टर करता है लेकिन जजेज के कोर्ट में सरकारी वकील को केस करना पड़ता है इस तरह से उसमें काफी फर्क आ जाता है। इसलिये

[श्री लालबहादुर]

म मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कोर्ट इन्सपेक्टर को भी सरकारी वकील के साथ जजेज कोर्ट में जाने की आज्ञा दें, इससे कुछ सहूलियत हो जायगी।

यहां पर यह जो बात कही गई कि एफ० आई० आर० की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, यह सत्य है लेकिन यह भी देखा जाता है कि बात-बात में लोग आपस में जूता थप्पड़ चला देते हैं। तो सब इन्सपेक्टर के सामने भी यह दिक्कत रहती है कि अगर वह ३९४, ३९५ या ३९६ का केस एफ० आई० आर० में नोट करले और वहां कोई गवाह न मिले तो उससे अन्नेसेसरिली काम बढ़ता है और जनता में पैनिक होता है। अंग्रेजों के जमाने में तो पुलिस इसलिये थी कि जनता में पैनिक क्रिएट किया जाय लेकिन आज तो पुलिस जनता की सेवा करना चाहती है। आज पुलिस में कुछ आफिसर खराब हो सकते हैं जोकि अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे हों, उन लोगों में कुछ खराबियां हो सकती हैं, लेकिन जो नया कैडर हमारी रिकमेंडेशन पर, हमारे आपके दिये हुए सार्टिफिकेट्स पर रखा गया है, उसमें मैं कैसे मान लूं कि सब के सब खराब हैं।

रिआर्गेनाइजेशन में जो कहा जाता है कि पुलिस अफसरों की सारी खराबियां दूर हो जायं, इस सम्बन्ध में पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दस पांच साल का लिया जाता है उसके अलावा स्कूल और कालेज का भी सर्टिफिकेट लिया जाना चाहिये। अभी तो सर्टिफिकेट में हम और आप यह लिख देते हैं कि हम उनको दो चार साल से जानते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाना चाहिये कि उनकी स्कूल और कालेज की लाइफ कैसी रही। अगर वह शुरू से अच्छा रहा होगा तो बाद में भी अच्छा रहेगा। एक आदमी की जब शुरू से अच्छी आदत पड़ जाती है तो फिर वह खराब नहीं होता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज फोर्स में आ जाने के बाद हर व्यक्ति को मुरादाबाद में ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है उसी तरह से उसको प्रारम्भ में दो तीन महीने जनता की सेवा करने के लिये देहातों में भेजना चाहिये। यह बात मैं सिर्फ पुलिस के लिये ही नहीं कहता बल्कि यह हर विभाग के आदमी पर लागू होनी चाहिये। वह जनता में जाकर जनता से हिलमिल कर काम करे और सहयोग बढ़ावे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने गांवों में रक्षक दल फैलाया है, उनको पुलिस में भी शामिल कर लिया जाता है, उनके लिये सिर्फ यही न हो कि उनको बन्दूकें इनाम में दे दी जायं या कुछ रेवार्ड दे दिया जाय बल्कि उनको आप मन्थली पे किया करें। गांव सभाओं से उनके नाम मांग लिया करें, गांव सभायें जिसको चरित्रवान समझें उसका नाम भेजें और वह गांव में पुलिस का काम करे। यह हो सकता है कि आप रेगुलर पुलिस के मुकाबले में आधी ही तनख्वाह दें। मैं समझता हूं कि इससे आर्गेनाइजेशन काफी सुदृढ़ हो सकता है।

जहां तक पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल है, इसमें तो कोई दो रायें नहीं कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये, उनको सारे अधिकार देने चाहिये और उनको रहने की और दूसरी सुविधायें मिलनी चाहिये। कांस्टेबुलों को कुछ न कुछ वर्दी अलाउन्स मिलना चाहिये जिस तरह से बड़े अफसरों को मिलता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव और संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--माननीय, आज जो गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत है, उसपर आपने मुझे जो अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया उसके लियें मैं आपका बड़ा आभारी हूं। यह बात सर्वमान्य है कि आज जो पुलिस का ढांचा है उसका निर्माण उस समय किया गया था जिस समय हमारे देश पर विदेशी शासन का राज्य था। उन्होंने जनता का शोषण करने के लिये इस ढांचे का निर्माण किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। आज हर आदमी जो इस मुल्क की बहतरी चाहता है वह इस बात को स्वीकार करेगा कि उस ढांचे में आमूल परिवर्तन होने चाहिये। सरकार की ओर से इसके सुधार के लिये चाहे कितने ही प्रयास क्यों न किये गये हों परन्तु इस बात को सभी जानते हैं---मैं मंत्रियों की बात तो नहीं जानता---लेकिन गांव का हर आदमी ऐसा समझ बैठता है, लाल साफे को देखकर गांव वालों को यह शंका होती है कि न जाने कौन सा अनर्थ आज गांव में होने वाला है।

पुलिस वाले इस बात पर विचार नहीं करते कि उनको किस तरह से जनता की सेवा करनी है, बल्कि सुबह होते ही उनके सामने यह सवाल होता है कि आज कौन सा ऐसा नाटक रचा जाय जिससे अधिक से अधिक लोगों का शोषण सम्भव हो सके। आज यह बात जिस तरह से सत्य है, ठीक उसी तरह से यह भी बात सत्य है कि आज हमने पुलिस को जो साधन दे रखे हैं, हमने हाल में नौकरियों में जो पुरस्कार देने का फैसला किया है वह भी उनके लिये पर्याप्त नहीं है। मैं इस बात को भी नहीं मानता कि तनख्वाह बढ़ा देने से पुलिस कर्मचारी अच्छे हो जायेंगे और पुलिस संघटन का जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा हो जायगा।

आज पहला प्रश्न यह देखना है कि पुलिस के प्रति जनता में जो प्रेजुडिस फार्म हो गया है, वह कैसे समाप्त किया जाय ? मैं मानता हूं कि प्रेजुडिस का आधार हमेशा रेशनल नहीं हुआ करता, बौद्धिक नहीं हुआ करता; लेकिन उसके लिये इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले जिम्मेदार हैं। पहले जो बातें इस संघटन के बारे में कही जाती थीं कि लाल साफा फेंक दो और न जाने क्या-क्या कहा जाता था, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन हमने मिल करके स्वाधीनता संग्राम में विदेशी सरकार का सामना किया था और उसके प्रति एक दुर्भावना का सृजन किया था। वह भावना आज भी विद्यमान है और वह तबतक दूर नहीं हो सकती जबतक कि पुलिस संघटन में अपेक्षित परिवर्तन नहीं किये जाते।

आज पुलिस द्वारा जो कार्य किये गये हैं, उनकी चर्चा करके मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। सभी जानते हैं कि आज पुलिस चोरी आदि को रोकने में कतई समर्थ नहीं हो सकी है। हां, एक काम उस ने नया शुरू किया है और वह यह कि शासक पार्टी के विरोधी लोगों के खिलाफ नाना प्रकार के षड़यंत्र खड़े करने में वह अपनी कामयाबी दिखा रही है। मैं उसका भक्तभोगी हूं लेकिन मैंने कभी भी उन बातों की चर्चा यहां सदन में करना ठीक नहीं समझा। लेकिन इन पिछले ढाई सालों से, जब से मैं यहां सदन में हूं, न जाने कितने अभियोग पुलिस के द्वारा लगाये गये हैं, उनको मैं अपने जाती तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि आज पुलिस कानून की रक्षा करने में नहीं लगी हुई, आज पुलिस शिक्षा की व्यवस्था करने में लगी हुई नहीं है, बल्कि अगर आज उस संगठन का कोई काम रह गया है तो वह यही कि कोई न कोई राजनैतिक हथकंडा बना कर समय समय पर विरोधी पार्टियों पर प्रहार करे।

एक साहब ने कहा कि पुलिस वालों ने आधी रात को प्रोफेसर की गिरफ्तारी की। मैं जानता हूं, मेरे एक मित्र विधान परिषद् के सदस्य हैं उनको १९४२ के पहले दफा १०९ में गिरफ्तार होना पड़ा, अंग्रेजी जमाने में, बाद को चल कर वे डी० एस० पी० हो गये। तो जिस दरोगा साहब ने उसको गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा कि मुझको आपकी शक्ल कुछ कुछ याद आ रही है। उन्होंने जबाब दिया 'याद क्यों न आयेगी, धारा १०९ में मुझे आपने बन्द किया था"।

आज जो लोग भी जेलों में जाते हैं उनको यह मालूम है कि वहां इन दफाओं के कैदी सब से ज्यादा होते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारी पुलिस चोरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। कहा जाता है कि मानसिंह को मारा, पूर्वी इलाके में भी कमाल दिखाया। मैं इन इक्का दुक्का घटनाओं को मानता हूं, लेकिन यह भी सही है कि इस पुलिस संगठन के द्वारा नाना प्रकार के ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे जन जीवन में अशान्ति फैली हुई है। गांवों में जो लोग रहते हैं वे कहते हैं कि आज के जमाने में तीन चीज ही सस्ती हो गयी हैं--नून, खून और कानून। नमक तो इसलिये सस्ता है कि उसके लिये गांधी जी ने आन्दोलन किया था।

[श्री रामायणराय]

कानून में रोजाना परिवर्तन हो रहे हैं और तीसरे कत्ल बहुत हो रहे हैं। पुलिस के खिलाफ इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि आज पुलिस कमीशन की बात कही जा रही है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पुलिस कमीशन का श्रेय उन मुट्ठी भर लोगों को है जिन्होंने त्याग किया। फ्रेनर ब्रेकवे के अनुसार कमीशन को बनवाने का श्रेय उन लोगों को है जिन्होंने अनुशासन के लौह दंड के सामने आने का साहस किया और अपनी आहों को बाहर निकालने में समर्थ हो सके। उन्होंने एक आन्दोलन करने का प्रयास किया, अपना एक संगठन बनाने की उन्होंने चेष्टा की, उन ऐसे ८०–९५ आदमियों पर मुकद्दमा चलाया गया। उन्हीं लोगों को इस कमीशन का श्रेय है चाहे हम उसके लिये अपनी पीठ क्यों न ठोक लें।

इंग्लैण्ड के एक विचारक-फ्रेनर ब्रेकवे ने कहा कि अगर जनता में कोई विद्रोह होता है तो कोई चिन्ता की बात नहीं है, लेकिन जब पुलिस में या फौज में विद्रोह होता है तो वह इस बात का साफ साफ सबूत है कि जनता शासन को पसंद नहीं कर रही है और शासक को अपने आपको दुरुस्त करना चाहिये। यह कमीशन बनना इस बात का साक्षी है कि राज्य की पुलिस के साथ ऐसे काम हो रहे हैं जिनको अन्याय कहा जा सकता है, जिस अन्याय का प्रतिरोध करने के लिये कुछ लोगों को अपनी रोजी से हाथ भी धोना पड़ा। लेकिन उनके इस बलिदान के फलस्वरूप कमीशन बनने जा रहा है।

मैं आपके द्वारा उनसे यह आग्रह करूंगा कि उनका सबसे पहला काम यह होगा कि आज जो मनोभावना है इस संगठन के संबंध में लोगों की, उस मनोभावना को बदलने का प्रयास करें। केवल वर्दी बदल देने से मनोभावना नहीं बदलने वाली है। मनोभावना बदलने के लिये युग के नये मूल्य के अनुरूप उस संगठन को बनाना होगा।

हिन्दी में "पुलिस" शब्द के लिये ट्रांसलेशन है, "आरक्षक"। मैं समझता हूं कि यदि जनता से पूछा जाय कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या है तो वह यही कहेगी कि "भक्षक", "शोषक"। तो जहां वे भक्षक हैं वहां उनको रक्षक और सेवक बनाने का पहला प्रश्न कमीशन के सामने होगा। जिन लोगों के द्वारा हम देशसेवा का काम लेना चाहते हैं, उनको हम कौन-कौन पुरस्कार दें, किस प्रकार के पुरस्कार दें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, जिससे वे ठीक-ठीक अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सकें, यह दूसरा सवाल उस कमीशन के सामने होगा। तीसरा सवाल होगा और जिस सवाल का संबंध कमीशन से ही नहीं, हमारी सरकार से भी है कि दण्ड के संबंध में आखिर हमारी नीति क्या हो। हम दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख वाले सिद्धान्त को मानें या माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कहा कि हम रिफार्मेटरी थ्योरी, यानी सुधार करने की थ्योरी में विश्वास करते हैं, इस प्रश्न के संबंध में कोई निश्चित राय हमारी जरूर बननी चाहिये।

पुलिस वालों से अगर पूछा जाय कि आखिर क्या लक्ष्य है दंड का तो वे इसको बतलाने में असमर्थ रहेंगे। मैं जनता हूं कि बहुत से एस० पी० ऐसे हैं जो डंडे के बल पर अपराधों का पता लगाना प्रिफर करते हैं। कानून का सिद्धांत यह है कि हजार गुनाहगार छूट जायं पर एक बेगुनाह को सजा न हो। बरखिलाफ इसके होता यह है कि हजारों बेगुनाहों को तो सजा हो जाती है और भूले भटके से एक गुनाहगार पकड़ में आ जाता है। तो दंड का क्या आदर्श होना चाहिये, क्या सिद्धान्त होना चाहिये, इसके ऊपर भी कुछ फैसला करना होगा।

उधर के एक सदस्य दफा १२४(/)ए के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं ऐसा समझता हूं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने निहारेन्दु मजुमदार केस के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें इसकी मिसाल उनको मिल जायगी। उन्होंने जोरदार अलफाज में इस बात को कहा है कि स्वाधीन भारत में दफा १२४(/)ए का इस्तेमाल राजद्रोह के नाम पर नहीं किया जाना चाहिये, और मैं ऐसा समझता हूं कि अब इस दफा को यहां अमल में नहीं लाया जा रहा है, इसलिये मैं इसके ऊपर चर्चा करके सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। साथ ही साथ मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस

संगठन को अगर आप सचमुच जनसेवी संगठन बनाना चाहते हैं तो इसके संबंध में विकेन्द्रीकरण अवश्य होना चाहिये और पुलिस का जो आज ढांचा है उसको बदल कर आवश्यक सुरक्षा संस्था बनाने का भार कमीशन के ऊपर देना चाहिये। अगर आज हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज का जो पुलिस है वह दूसरी फौज के रूप में हमारे सामने बनी रहेगी और जिस उद्देश्य से हमने कमीशन की रचना करने की बात सोची है, वह उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो सकेगा।

अन्त में, मैं आपके द्वारा पुनः आग्रह करता हूं कि इस कमीशन के लिये यह जरूरी होगा कि जहां और बातों के ऊपर वह सोचे वहां पर यह भी सोचे कि आज जहां आई०जी० के घोड़े के लिये और खर्च मिलता है और दारोगा जी के घोड़े के लिये और खर्च मिलता है, तो यह जो घोड़े घोड़े के खर्च में फर्क है, समाजवादी समाज की कल्पना करने वालों को घोड़ों के फर्क को दूर करना चाहिये और सब को आदमी की हैसियत देनी चाहिये तभी यह कमीशन अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, माननीय मोतीलाल अवस्थी ने जो संकल्प उपस्थित किया है, यह बहुत ही महत्व का संकल्प है। बहुत से लोगों ने इसके सिलसिले में अपने-अपने विचार रखे। अभी एक सदस्य जो बोल चुके हैं, उनसे पहले सरकारी पक्ष के श्री लाल बहादुर सिंह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पुलिस ने जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक बहुत से अच्छे काम करके दिखाये हैं और उस की सेवायें सराहनीय रही हैं और उन्होंने जुए के सम्बन्ध में भी चर्चा की थी। वह ठीक है, लेकिन जो आदमी जुआ खेलते हैं और उनके १९ और १०९ की दफा के चालान होते हैं तो यह कहां तक उचित है? आजकल आम तौर से यही पुलिस के लोग कर रहे हैं।

दूसरे उन्होंने कहा था कि विरोधी पक्ष के लोग जब यहां पर वेतनों के सम्बन्ध में टीका करते हैं और वेतन बढ़ाना चाहते हैं तो कहा गया कि सरकारी पक्ष से जब यहां ग्रान्ट रखी गयी तो कट मोशन क्यों रखे गये? मैं इतना चाहता हूं कि वह कौन-सी व्यवस्था हो सकती है जिससे लोग एक व्यवस्थित ढंग से अनुदानों को स्वीकार कर सकते हैं। वेतनों के बारे में हमारा एक से दस गुने का सिद्धान्त ही मान लिया जाय, यानी ज्यादा से ज्यादा १०० और अधिक से अधिक १,००० की व्यवस्था वेतनों की हो तो कोई भी माननीय सदस्य इसका विरोध नहीं करेगा और हम सभी उससे सहमत होंगे।

अभी यहां पर इन्स्पेक्टरों और कोर्ट इन्स्पेक्टरों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। मैं भी उस विषय में उन को बताना चाहता हूं कि आज कल आम तौर से यह होता है कि कत्ल होते हैं और डकैतियां होती हैं। अभी माननीय गौरी शंकर राय ने बताया कि ३९५, ३९६ व ३९७ के केसों को ४५७ और ३८० बना दिया जाता है और जहां डकैतियों में कत्ल होता है वहां डकैतियां नहीं केवल कत्ल ही लिखा जाता है, और यह भी होता है कि कत्ल और डकैती होती है, एफ० आई० आर० लाज होती है, लेकिन जब केस चलता है तो कत्ल करने वालों से पुलिस पैसा ऐंठ लेती है और जो मुलजिम नहीं होते, जिन पर रंजिश होती है उनकी जगह उनको फंसा दिया जाता है। जैसा कि अभी श्री रामायण राय जी ने बताया कि दूसरे लोग रंजिश पूरी करने के लिए फंसा दिये जाते हैं और बाद में जब केस चलने लगता है तो पैसा लेकर सही कातिल निकाल दिये जाते हैं और निर्दोष लोग फंसाये जाते हैं और उनको सजा होती है। कोर्ट इन्स्पेक्टर और थानेदार मिलकर इस तरह से केसेज को खराब करते हैं और मुलजिम छूट जाते हैं। हर आदमी जो समझदार होगा और कुछ विचार रखता होगा वह जरूर महसूस करेगा कि आम तौर से इस तरह की आदत पुलिस की हो रही है और यह सब पुलिस कर रही है।

अब जो संकल्प प्रस्तुत है मैं उस पर आता हूं। यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले दस बारह साल में जो सेवायें पुलिस की रही हैं उनसे तो यही फैसला होना चाहिए कि अब इस विभाग को ही समाप्त कर दिया जाय।

[श्री हरदयालसिंह]

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह पीठासीन हुए।)

यदि इस बात पर जनमत ले लिया जाय कि पिछले बारह साल में क्या सचमुच पुलिस की सेवायें रही हैं तो स्थिति का सही पता लग सकता है।

आज जनता का ही विचार है जैसा कि बताया गया कि पुलिस की सेवायें भक्षक, शोषक और तक्षक के रूप में हमारे सामने आई हैं, यदि जनमत संग्रह किया जाय तो यही बात सिद्ध होगी। जब हम इन तमाम बातों को देखते हैं तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज की सरकार तानाशाही और नौकरशाही के बल पर ही चल रही है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, हर माननीय सदस्य और भारत का प्रत्येक नागरिक इस बात को मानेगा कि यह सरकार आज पुलिस के डंडे के बल पर ही टिकी है और शासक दल अपनी जगह पर मौजूद है।

तानाशाही और नौकरशाही की जो सब से ज्यादा मार आज जनता पर पड़ रही है वह पुलिस विभाग के द्वारा ही पड़ रही है। मेरा विचार है कि पुलिस और माल विभाग यदि ठीक काम करने लगें तो आज कांग्रेस, जिसके नाम पर जनता छिः छिः करती है और जो आदर और सम्मान उसे सन् ४७ से पहले प्राप्त था वही उसे आगे मिल सकता है यदि ये दोनों सही तरीके से काम करने लगें, नौकरशाही और तानाशाही निकल जाय, भ्रष्टाचार चला जाय और ईमानदारी से शासन करने लगें। आज जिस प्रकार से काम हो रहा है उसको देखते हुए अगर हममें से कोई आदमी संतुलित बुद्धि से इस बात पर विचार करेगा तो जरूर सोचेगा कि इस मुल्क में सुधार होना जरूरी है।

ठीक है, आपने कमीशन बैठाया। वह कमीशन क्या करता है, यह देखा जायगा; लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उन पर तो हम प्रकाश डाल ही सकते हैं। आज पुलिस का मुहकमा बहुत बदनाम है, उसके नाम से जनता को नफरत है। हो सकता है थोड़े से दलाल किस्म के लोग या वह सरकारी लोग जो पुलिस द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसकी तारीफ करें। जब ऐसी दशा है तो सबका धर्म है कि अपने हृदय को टटोलें और सही चीज से इन्कार न करें। सरकारी पक्ष के लोग हृदय से इस बात को समझते हैं कि मौका पड़ने पर पुलिस उनके साथ भी वही अमानुषिक व्यवहार करती है, वही तानाशाही का व्यवहार करती है; लेकिन चूंकि यह एक गैर-सरकारी संकल्प है इसलिये वाद-विवाद में पुलिस की तारीफ करेंगे और मतदान के समय खिलाफ ही मतदान करेंगे। तो सही चीज का आदर करना चाहिये। हृदय में उठी हुई आवाज को जो बाहर नहीं निकलने देना चाहते वह सचमुच इंसानियत से गिरे हैं।

जो कमीशन नियुक्त है, आज की जनतांत्रिक पद्धति में हमारी यह दरख्वास्त होगी कि दो-चार चीजों के सम्बन्ध में जरूर सुझाव रखे। विकेन्द्रीकरण के आधार पर व्यवस्था हो। आज पुलिस का एस० पी० सोचता है कि डी०आई०जी हमारा खुश रहे तो हमें जिले के दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं। डी० एम० जिले में है लेकिन एस०पी० उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य नहीं है। अगर एस०पी० अपने डी०आई०जी० को खुश रख कर मनमानी कर सकता है तो कैसे उसकी निरंकुशता निकाली जा सकती है? जब तक हम इस व्यवस्था में तब्दीली नहीं करेंगे तब तक आज जिस तरीके से गलत काम हो रहा है उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार खुद सिफारिश करे उस कमीशन से विकेन्द्रीकरण के बारे में। आज हर आदमी महसूस कर रहा है कि विकेन्द्रीकरण के आधार पर व्यवस्था हो, कुछ थोड़ा सा प्रतिबंध नीचे से रखा जाय जिससे कि उन पर कंट्रोल रहे। मैं समझता हूं कि सरकार को अभी सही मानों में विकेन्द्रीकरण से मुहब्बत नहीं है।

मेरा सुझाव यह है कि अगर किसी प्रकार से यह मामला हल हो सकता है तो इसी तरह से हो सकता है, जब विकेन्द्रीकरण के आधार पर चौखंभा सरकार हो और पुलिस नीचे से लेकर ऊपर तक स्थानीय संगठन के नियंत्रण में रहे। इसी तरह से पुलिस की निरंकुशता समाप्त की जा सकती है। आज एस०पी० जिस तरह से अपने रीजन के डी०आई०जी० को खुश करके मनमानी

करता है, वह समाप्त हो सकता है। जब तक स्थायी रूप से स्थानीय संगठन नहीं बनते तब तक अंतरिम जिला परिषद् के अन्दर ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे एस०पी०और उससे नीचे के कर्मचारी जिला परिषद् के नियंत्रण में काम कर सकें।

आज दफा १०९,१०७ और ११० की काफी चर्चा हुई, जो अपराध निरोधक धारायें हैं। मैंने आज तक यह देखा है कि इन धाराओं के अनुसार पुलिस ने गुण्डों को बढ़ावा ही दिया है। जो भले आदमी हैं उनको दफा १०९ के अन्दर पकड़ कर गुण्डा बनाया है और जो सचमुच गुण्डे हैं, उनसे पुलिस पैसा लेती है। अब पुलिस व जनता के बीच सहयोग की बात कहूंगा। जनता का भी सहयोग पुलिस को इसलिये नहीं मिलता कि वह समझती है कि अगर आज हमने इन गुण्डों के खिलाफ शहादत या गवाही दी तो कल को जब वही गुण्डे उसको परेशान करेंगे तो पुलिस उनकी रक्षा करने में असमर्थ होती है, इसलिये जनता का सहयोग नहीं मिलता। इसलिये पुलिस कमीशन को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिये कि जो पुलिस की मनोवृत्ति गलत चली आ रही है उसको किस तरह समाप्त किया जाय ।

मजिस्ट्रेट न्याय का कार्य करता है। पुलिस वाले मुकदमे को भेजते हैं। पुलिस और मैजिस्ट्रेट का सम्पर्क निहायत खतरनाक होता है। मैंने देखा है कि पुलिस वाले मैजिस्ट्रेटों को घी, लकड़ी, दूध के जानवर—भैंसें आदि सप्लाई करके मन चाहा न्याय ले लेते हैं। थानों में मैजिस्ट्रेट लोग जाकर गप्प लड़ाते हैं। थानेदार और मैजिस्ट्रेट का एक जगह बैठना न्याय के लिये कहां तक हितकर है ? इसके कारण न्याय ठीक नहीं मिलता है।

एफ०आई०आर० के सिलसिले में भी कहा गया। यह बात बिल्कुल साफ है कि आज जितनी रपटें दर्ज की जाती हैं उन सब में पैसा लिया जाता है। इस बीमारी को भी खत्म करने के लिये कमीशन तरीका निकाले।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस प्रदेश में २०० साल तक अंग्रेजी शासन रहा। पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपना शासन स्थापित किया और अपनी रक्षा के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के विभागों की स्थापना की। उन विभागों में छोटी जगहों पर भारतीय, और बड़ी जगहों पर अंग्रेज अफसर रहते थे। हम सब ने मिल कर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश स्वतंत्र हुआ लेकिन जैसे उनके विभाग थे वैसे ही वे उनको छोड़कर चले गये और उन्हीं विभागों के जरिये हमने अपना भी शासन चलाया।

चाहे कोई भी पार्टी हो, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ सब एक ही मत की थीं कि हमारा देश स्वतंत्र हो। देश जब आजाद हुआ तो सबकी राय से इस देश का संविधान बना और उसके अनुसार इस राज्य की स्थापना हुई और विधान सभा के माननीय सदस्य भी निर्वाचित हुए। इसके साथ ही साथ मुझे यह भी याद पड़ता है कि जितने अंग्रेजी राज्य के शासक थे, विशेषकर पुलिस विभाग में, वे सभी रिटायर हो चुके और इस विभाग में अब आजादी के टाइम के बाद के लोग हैं। प्रत्येक वर्ष ७०,८० पुलिस सब-इंस्पेक्टर लिये जाते हैं, डी०एस०पी०, कोर्ट इंस्पेक्टर लिये जाते हैं और इसी तरह से प्रत्येक वर्ष एस०एस०पी०, डी०आई०जी० और आई०जी० नियुक्त किये जाते हैं। वे तभी बने जब कि देश स्वतंत्र था। उनके विचार—स्वतंत्र थे और वे भी देश को उसी तरह से बनाना चाहते हैं जैसे हम बनाना चाहते हैं, उनमें और हममें कोई फर्क नहीं है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस का शासन पुलिस अधिकारियों पर है। यह तो उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि की बात कही। हमारा स्वार्थ ही हमसे यह कहला रहा है क्योंकि हम स्वयं स्वार्थी हैं। कांग्रेस का शासन पुलिस अधिकारियों पर नहीं है। पुलिस म हमारे भी भाई-बन्धु हैं। हमारे इस देश के रहने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं उनका भी उतना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीसिंह]

ही हक है कि वे देश की रक्षा करें जितना कि हमारा है। लेकिन जब हमारी स्वार्थ सिद्धि हो जाती है तो पुलिस की प्रसंशा की जाती है और जब हमारी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती तो कांग्रेस मिनिस्ट्री खराब, कांग्रेस के कर्मचारी खराब। बजाय इसके कि हम अपने कर्मचारियों को खराब कहें हम स्वयं बैठ कर सोचें कि हम कितने ठीक हैं, हम क्या करने जा रहे हैं?

आप आज हर बात के लिये अनशन करते हैं। जो कांग्रेस का शासन है वह भी इस बात को जानता है कि क्या-क्या कमियां हैं। उसके लिये आप सुझाव दे सकते हैं। लेकिन आप उल्टे लोगों को बुरा कहते हैं जिससे कटुता और बढ़ती है और उसका नतीजा यह है कि उसका फल सबको भोगना पड़ता है। आप विरोध करने खड़े हो जाते हैं इससे कोई प्रान्त का लाभ होने वाला नहीं है।

मेरा निवेदन है कि जो पुलिस आज कायम है उसे आप खत्म कर दें। अपना काम हम स्वयं करें। इससे पहले जब देश स्वतन्त्र हुआ था तभी स्वयं सेवक दल की स्थापना की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकती। अगर हमको अच्छा काम पुलिस से लेना है तो सर्व-प्रथम हमको पे अच्छी बढ़ानी चाहिये। कोई भी आदमी ६ आने रोज की खुराक पर काम नहीं कर सकता। आप एक कांस्टेबिल को ६ आने खुराक के देते हैं जो दिन भर मारा मारा फिरता है और गोली का मुकाबला करता है। आपको उनकी तनख्वाह बढ़ान चाहिये। आप ६० रुपये एक सिपाही को देते हैं जब कि ६० रुपये पुलिस सब-इंस्पेक्टर के घोड़े को देते हैं, और उसका दाना--घास अलग रहा।

माननीय सदस्य पुलिस को क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन यह नहीं कहते कि उनका पेट भरा जाय। मैं अपने माननीय सदस्यों से कहता हूं कि बजाय उनको बुरा भला कहने के उनके हृदय में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें। अगर आप उनके हृदय को बदल देंगे तो वही सही काम करने लगेंगे। उनको आज इतना मिलना चाहिये जिससे वह अपने बाल-बच्चों की शिक्षा, दवा-दारू और रहन-सहन का प्रबन्ध कर सकें। जब हम उनको पेट भर कर भोजन देंगे और बच्चों की शिक्षा तथा दवा-दारू का इन्तजाम करेंगे तो वह क्यों खराब होंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी की पार्टी का कोई सदस्य, यदि पार्टी की बात नहीं मानेगा तो क्या वह उसके ऊपर अनुशासन की कार्यवाही नहीं करेंगे? कोई भी पार्टी हो, अगर उसका कोई सदस्य पार्टी की बात नहीं मानेगा तो उसको क्या निकाला नहीं जायगा? क्या उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही नहीं की जायेगी?

जब आपके यहां प्रतिबन्ध है तो शासक वर्ग के लिये कैसे ऐसा कहते हैं? बल्कि मैं समझता हूं कि जो रक्षा के लिये नियुक्त हैं वह अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कोई भी शासक ऐसा नहीं करता है, बल्कि उसको तो अपने देश पर शासन करना होता है और यह तभी हो सकता है जब जनता उसके हित में हो और जनता तभी उसके हित में होगी जब जनता की भलाई के लिये शासक काम करेगा। आज आप पुलिस का हवाला देते हैं लेकिन कल को आपकी पार्टी की हुकूमत होगी तो आपको भी पुलिस रखनी होगी। इसलिये यह कहना कि पुलिस के बल पर शासन है, यह गलत चीज है। न पुलिस के बल पर शासन है, न रहा है और न कभी रहेगा। आप हमेशा उसको दोष ही देते रहेंगे, यह कभी नहीं कहेंगे कि जो हममें कमियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिये। आपको उनके हृदय को परिवर्तित करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अच्छे-अच्छे सुझाव दें।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिये जिससे यह मालूम हो सके कि किस पुलिस वाले ने कहां-कहां गलतियां की हैं। कोई सब जगह नहीं जा सकता है, दूसरों के कहने पर ही मामले तय करने होंगे। इसलिये ऐसी नीति निर्धारित की जाय जिससे सही वाकयात मालूम हो सकें और सही कार्यवाही हो सके और आज जो विषमता फैली हुई है वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो।

यह बात भी सही है, लेकिन जो लोग यहां विरोध करते हैं, गांव में बड़े-बड़े चौधरी और नम्बरदार हैं, वे इस बात के लिये उन्हें बाध्य करते हैं कि तुम शोषण करो। जैसे माननीय राजनारायण जी हैं, दुनियां भर के शोषक हैं, गरीबों का गला घोटने वाले हैं। जमींदार यह, सारा करप्शन करने वाले यह, लेकिन दूसरों पर दोष लगाने वाले .....

श्री अधिष्ठाता—वह आपको सुनने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री हरीसिंह—(श्री भूपकिशोर के बोलने पर) मुझसे बात कर रहे हो । रोजाना भ्रष्टाचार फैलाते हो।

मैं आदरणीय राजनारायण जी से बात कर रहा हूं, जिनकी रियासतें रही हैं, जिनके यहां दारोगा रोज चाय पीते हैं। हमारे यहां क्या चाय पियेंगे ? हमारे यहां चाय के बर्तन तक नहीं हैं। ये सारे राजे, महाराजे भरे हैं, इन की कोठी पर जायेंगे डी० एस० पी० और डी० आई० जी०। हमारे यहां कौन जायगा ? यहां पर सरकार को दोष दें, मिनिस्टरों को गाली दें, कांग्रेसी और शासकों को बुरा कहें, इससे काम नहीं चलेगा। सर्वप्रथम हमें अपना सुधार करना होगा; जितने आदरणीय सदस्य हैं, सब को अपने को ठीक करना होगा, सही रास्ते पर अपने को लाना होगा।

मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप सुधार कीजिये। पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह जरूर बढ़ाइये और पुलिस की वर्दी बदल दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—रंग क्या रहे ?

श्री हरीसिंह—वर्दी खद्दर की होनी चाहिये और रंग खाकी हो। टोपी की जगह दुपट्टा हो, राजपूतों की तरह, जैसे शेर रहता है। यह कायरों की वर्दी है, इस वर्दी को देखकर घृणा होती है। इसलिये इस वर्दी को जरूर बदलना चाहिये और पे बढ़ानी चाहिये।

श्री राजनारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि जो संकल्प माननीय मोतीलाल जी अवस्थी ने प्रस्तुत किया है उसकी गम्भीरता की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं गया । हम भटक गये घोड़े में, घोड़े के चने में, फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट में और तनख्वाहों में । यद्यपि यह बात सही है कि एस० पी० के घोड़े को जो राशन मिलता है, वह दरोगा के घोड़े को भी मिलना चाहिए, यह बात भी बिल्कुल निर्विवाद है कि हमारे यहां कांस्टेबिलों को तनख्वाह कम मिलती है । उसकी तरक्की होनी चाहिए ।

यह बात भी सही है कि हमारे यहां पुलिस कर्मचारियों में तनख्वाह की जितनी असमानता है, उतनी शायद कहीं न देखने को मिलेगी, क्योंकि चौकीदार जो हमारे परिवार से आता है, हरिजन परिवार से, वह पांच रुपये महीना पाता है । हम हरिजन हैं जन्म से । अगर हरीसिंह न पहचानें तो क्या करूं ? सूरज की रोशनी में अगर कोई जानवर नहीं देखता तो सूरज का दोष नहीं माना जायगा । तो मैं यह कह रहा हूं कि उसी के साथ-साथ २५ रुपया पाता है कांस्टेबिल, १२० रु० से भरती होती है दरोगा की और उसी से आगे बढ़ें तो १,७०० रु० पाता है डी० आई० जी० और २,५०० रु० पाता है आई० जी० । किसी भी समझदार आदमी को यह समझने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि आखिर हिन्दुस्तान में इस प्रकार ढांचा है, क्यों ? कहां ५ रुपया और कहां २५ सौ रुपया । अगर उनके भत्तों और दूसरे खर्चों को जोड़ा जाय तो ५०० गुने से भी ज्यादा बढ़ोत्तरी या अन्तर मिलेगा । खैर, इस समय मैं उस ऐस्पेक्ट पर जाना नहीं चाहता हूं ।

[श्री राजनारायण]

मैं यह प्रस्ताव पहले पढ़ देना चाहता हूं :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि वर्तमान पुलिस संगठन व्यवस्था तथा निर्माण व उसके कर्त्तव्यों में आमूल परिवर्तन करने हेतु विशेष कमीशन का संगठन किया जाय, जो पुलिस संगठन को जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर उसे कुशल, समर्थ और जनप्रिय एवं विकेन्द्रित बनाने की योजना उपस्थित करे ।"

कहा जा सकता है सरकारी पक्ष की ओर से कि हमने एक कमीशन की नियुक्ति कर दी है । सही है, एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति हुई है । उसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, १९६० । मगर जो नियुक्ति हुई है १९६० में पुलिस कमीशन की, यह है क्या ? इसको भी देखना पड़ेगा, वरना सम्मानित सदस्यों के मन में यह भ्रम रह जायगा कि जब एक कमीशन की नियुक्ति हो ही गयी है तो माननीय मोतीलाल अवस्थी का संकल्प अनावश्यक है और अभी भाई लाल बहादुर सिंह जी जब यहां पर बोलने के लिए प्रस्तुत हुए थे तो शायद कुछ इस तरह की बातें कह भी गये ।

श्री लालबहादुर—यही मैंने कहा ।

श्री राजनारायण—ठीक कहा । आपने पढ़ने की कृपा की थी ? क्या उसके टर्म्स आफ रेफरेंस हैं, यह देखा था ? बिना पढ़े हुए बातें यहां कह दीं और इस संकल्प को अनावश्यक बता दिया । इसलिए मैं आपके द्वारा श्रीमन्, सदन के सम्मानित सदस्यों की जानकारी के लिए उसी को पढ़ देना चाहता हूं । आयोग के अभिदिष्ट विषय निम्न होंगे—वह क्या विषय हैं ? श्रीमन्, जरा समय का ध्यान रखें । हम चाहते हैं कि यह विषय खुल जाय जरा ।

श्री अधिष्ठाता—पन्द्रह मिनट आपके हैं ।

श्री राजनारायण—प्रश्न यह है कि माननीय मोतीलाल अवस्थी का जो संकल्प है, उसे जो अभिदिष्ट किया गया है, इस कमीशन का विषय वह बिल्कुल ही विपरीत है, उससे भिन्न है । किसी स्तर पर यह नहीं लिखा गया है कि पुलिस के संगठन में आमूल परिवर्तन करने हेतु या जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करने हेतु इस संगठन को क्या-क्या सुझाव देना है ? जो लिखा गया है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"क्या सशस्त्र तथा निःशस्त्र दोनों प्रकार की प्राविधिक (टेक्निकल) और अप्राविधिक (नानटेक्निकल) शाखाओं में पुलिस दल के लोगों की संख्या अपर्याप्त है ? क्या पुलिस दल के विभिन्न कोटि के पदों के लिए कर्मचारियों की वांछित संख्या के सम्बन्ध में कोई विशेष मापदंड निर्धारित किया जा सकता है और क्या पियर्स कमेटी द्वारा १९४५ में समुपस्थित मापदंड आज सुसंगत कहा जा सकता है ? यदि पुलिस दल के वर्तमान उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु उसके विभिन्न स्तरों पर वृद्धि की आवश्यकता है तो कितनी और क्या आगामी दस वर्षों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना सम्भव है ? क्या जो वृद्धि इस समय अपेक्षित है उसे चार या पांच वर्षों में क्रमिक रूप से करना सम्भव है या अपेक्षित है ? इस सम्बन्ध में वित्तीय पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए ।"

और दूसरे में यह है कि क्या पुलिस दल के नियंत्रण में अपेक्षाकृत अधिक विकेन्द्रीकरण वांछ-नीय है ?

श्री लालबहादुर—है न उसमें ?

श्री राजनारायण—जरा ध्यान से सुनिए। क्या पुलिस दल के नियंत्रण में अपेक्षाकृत अधिक विकेन्द्रीकरण वांछनीय है ? पुलिस दल के संगठन में नहीं, पुलिस दल के ढांचे में नहीं, पुलिस दल के नियंत्रण में उसका मतलब होता है । अब इसको जरा ध्यान से समझिये। यह हमने विषय खोल दिया। मैं चाहता हूं कि जरा इंग्लिस्तान की पुलिस का क्या ढांचा है और किस उद्देश्य के लिए वह बनाई गई है, थोड़े में उसको भी आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में रख दूं :

"From the date of its first establishment the modern police force was planned as an instrument of law which was to be almost wholly independent of Government, departmental or party policy."

अब देखा जाना चाहिए कि इंग्लिस्तान की पुलिस का संगठन कैसे होगा—और इंग्लिस्तान की पुलिस किस तरह से नियंत्रित होगी ? माननीय मन्त्री महोदय का ध्हिम (झक) पर उसका संगठन नहीं, आई० जी० के इशारे पर नहीं, सरकार की किसी इच्छा-पूर्ति के दृष्टिकोण पर नहीं, बल्कि उसका संगठन कानून की मर्यादा के अन्दर होगा जो विभाग और पार्टी पालिटिक्स से बिलकुल स्वतंत्र होगी। क्या उसकी कल्पना यहां पर है ? उस कल्पना को साकार स्वरूप प्रदान करने की सरकार की इच्छा नहीं है । मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की इच्छा कतई नहीं है । हमारे यहां आज पुलिस का जो संगठन है उसके विषय में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वह १८६१ के इंडियन पुलिस ऐक्ट के मातहत है। उसी पुलिस ऐक्ट के मातहत अपने प्रदेश में और देश में पुलिस संगठित है। उस पुलिस ऐक्ट में जो अधिकार पुलिस को दिये गये हैं या जो इंडियन क्रिमिनल कोड की धाराओं के अन्तर्गत अधिकार पुलिस को दिये गये हैं वे कितने व्यापक अधिकार हैं। यदि वे अधिकार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सन्निहित हैं जिसका मस्तिष्क खराब है तो आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना तूफान बरपा कर सकता है ? इस बात पर हमें इस संकल्प पर विचार करते समय विचार करना चाहिये ।

अब आप देखें कि १८६१ कौन-सा साल है ? १८५७ का जो जनविद्रोह हुआ, जिसको जनक्रान्ति का प्रथम चरण कहते हैं, अगर उसका सैद्धान्तिक विवेचन किया जाय तो वह भारत की क्रान्ति, प्रथम क्रान्ति थी जो विदेशी हकूमत को समाप्त करने के लिये की गई थी । जब वह क्रान्ति अंग्रेजी शासन को कुचलने के लिये की गई तो इस कारण से अंग्रेजी हुकूमत को आवश्यकता प्रतीत हुई कि हिन्दुस्तान की जन आकांक्षा को समाप्त करने के लिये, जनबल को खत्म करने के लिये और साम्राज्यशाही सत्ता की जड़ अच्छी प्रकार से जमाने के लिये, हिन्दुस्तान में एक पुलिस शक्ति की आवश्यकता है । तब १८५७ के चार वर्ष बाद १८६१ में इंडियन पुलिस ऐक्ट बना और उसी ऐक्ट के अन्तर्गत आज यह पुलिस बनी हुई है और पुलिस का प्रशासन चल रहा है । इसलिये आज हम चाहते हैं कि उसमें आमूल परिवर्तन हो। वह आमूल परिवर्तन किस ढंग से हो ? जहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण हो रहा है वहां आपको पुलिस के विकेन्द्रीकरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

आप सभी लोग चाहते हैं कि गांव पंचायत राज हो, जिला पंचायत राज हो, सूबा पंचायत राज हो और केन्द्रीय पंचायत राज हो। अगर ग्राम पंचायत राज हो तो उसके लिये पुलिस की आवश्यकता नहीं है ? क्यों नहीं पुलिस गांव पंचायत के अधीन हो ? जिला पंचायत के मातहत साधारण पुलिस हो, हथियारबन्द पुलिस सूबे के स्तर पर सूबा पंचायत के अधीन हो। केन्द्रीय पंचायत के मातहत केवल सेना हो। अगर यह कल्पना होगी तो उस कल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिये हम दूसरी तरह का आयोग बनायेंगे और दूसरी तरह की कार्य-प्रणाली चलेगी । अगर इस तरह का हमारा दृष्टिकोण नहीं है तो फिर दूसरे ढंग से, जैसे मकान की कहीं दीवार

[श्री राजनारायण]

गिर गयी और उसको जोड़ दिया, उसी तरह से जोड़ कर काम चलाने की बात है । इसलिये यह पुलिस आयोग जो बनाया गया है वह जोड़जाड़ कर, चकती (पैबन्द) लगाकर काम करने वाला है । आमूल परिवर्तन करने वाला वह आयोग नहीं है । इसलिये मोतीलाल जी अवस्थी ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है कि एक ऐसा आयोग बनाया जाय जो सारी जनशक्ति का विकेन्द्रीकरण करे । मुझे सम्पूर्णानन्द जी के शब्द याद हैं । उन्होंने कहा कि राजनारायण डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, हम उसे डेलीगेशन आफ पावर कहते हैं । जिसके पास पहले पावर पूर्ण रूप से आ जायगी तभी तो वह उसे डेलीगेट करेगा ? डेलीगेशन आफ पावर और डेमोक्रेटाइजेशन में आपस में परस्पर विरोध है । अगर डेमोक्रेटाइजेशन का सिद्धांत नहीं लिया जायगा तो एक व्यक्ति सत्ताधारी होगा, सर्वशक्तिमान होगा और तब वह अपनी पावर हस्तांतरित करेगा और इस तरह से डेलीगेशन आफ पावर होगा । लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन आफ पावर नीचे से होगा, नीचे से अपनी शक्ति निकाल कर ऊपर सत्ता अपने प्रतिनिधि को देता चला जायगा । यही बुनियादी जनतांत्रिक व्यवस्था है । जनतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाही में यही फर्क है । जनतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वशक्ति सम्पन्न होती है और वह अपनी शक्ति का एक हिस्सा निकाल कर अपने प्रतिनिधि को देती है और वह प्रतिनिधि सरकार बना कर उसके मुताबिक कार्य सम्पादन करता है । मगर यहां एक उल्टी चीज है और उसमें परस्पर विरोध है । इसलिये मैं समझता हूं कि अब लाल बहादुर जी के दिमाग में यह बात आ गयी होगी कि यह प्रस्ताव कितना सामयिक और उचित है ।

श्री लालबहादुर—अभी समझ में नहीं आया ।

श्री राजनारायण—यद्यपि तुलसीदास जी की वह चौपाई अब सार्थक नहीं रह गयी है ....

श्री लालबहादुर—मैं तो समझता हूं कि जैसा आप कह रहे हैं, वैसा ही है ।

श्री राजनारायण—"जो गुरु मिलहिं विरंचि सम" मैं इतना ही कहूंगा, लेकिन फिर भी किसी-किसी को चेतना नहीं आती । मैं यह इसलिये कह रहा था कि सही मानों में जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । मैं बताना चाहता हूं कि अगर आई० जी० किसी बात पर अड़ जाय तो हमारे माननीय पुलिस मंत्री जी चाहे जितना चाहें, उसकी आन के सामने उनको झुकना पड़ेगा और अनेकों स्थल इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ....

श्री लालबहादुर—आप की ही जबरदस्ती से सरकार परेशान हो जाती है ...

श्री अधिष्ठाता—लालबहादुर जी, आप जरा सुन लें तो अच्छा हो ।

श्री राजनारायण—यह ठीक है कि आई० जी० की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन वह अपना पुलिस का संगठन किस प्रकार से चलाता है उसको देखा जाना चाहिये । फिर उसके बाद डी० आई० जी० है, एस० पी० है, एस० एस० पी० है, ऊपर से नीचे तक एक जाल बिछा हुआ है और वहां इस तरह से जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण नहीं किया जा सकता । जब वहां आमूल परिवर्तन होगा, जिले के स्तर की पुलिस जिला पंचायत के सुपुर्द की जायगी और उसके लिये कानून की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होगी और केवल आर्डर और डिपार्टमेंट का काम नहीं रह जायगा, तभी यह हो सकता है ।

उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि यहां पुलिस का विद्रोह हुआ और उस सिलसिले में अब तक कुछ लोग जेलों में पड़े हुए हैं । सरकार की तरफ से कहा गया कि पुलिस विद्रोह हुआ । उस समय लाल बहादुर जी कांग्रेस में किस स्थान पर थे, लेकिन यह बनारस की घटना है । बनारस में पुलिस संगठन हुआ और मेरे कुछ दोस्त उनको संगठित करने के लिये, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी पुलिस मंत्री थे, गिरफ्तार किये गये । बड़ा शास्त्रीय विवेचन हुआ कि क्या पुलिस संगठन में यूनियन की स्थापना हो सकती है ? आचार्य नरेन्द्रदेव जी इसके पंच माने गये । आचार्य जी ने बहुत खोज करके अपनी व्यवस्था दी और उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस का संगठन हो सकता है, पुलिस की यूनियन बनायी जा सकती है । मगर आज तक इस संगठन को बनाने का अधिकार नहीं है ।

किताबों में तो लिखित रूप में अधिकार है, लेकिन उसको पंगु कैसे बनाया जाता है, उसे आप देखिये । शर्त है कि उस यूनियन के अधिकारी वही हो सकते हैं कि जो पुलिस कर्मचारी हों । जो सर्विस से अलग हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं वह यूनियन के पदाधिकारी नहीं हो सकते । इस पर झगड़ा हुआ । हम बाहरी आदमी को अधिकारी बनाना चाहते थे, पुलिस अधिकारी बाहरी लोगों को आने देना नहीं चाहते थे और इस पर झगड़ा खड़ा हो गया । भाई हरीसिंह जी चले गये । वह सही कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ हो जो शोषक रहा हो, मैं नहीं जानता । तो कौन किस युग में क्या था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी की ओर से जो विषय प्रस्तुत किया गया है वह महत्वपूर्ण है ।

जब वे कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम हरिजन हैं, तो हमारी बात अगर उनके हित में है तो उसे आप क्यों नहीं मान लेते ? मार्क्स ने भी कहा है कि गरीब चरित्रभ्रष्ट होता है, लम्पट भी हो सकता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा सुझाव आप मानते हैं तो इससे माननीय हरीसिंह जी के घर के लोग भी आफिसर हो सकते हैं । गांव पंचायत में अगर ५० फीसदी यह लोग रहते हैं, उनकी देख-रेख में काम होता है, तो वह भाई हरीसिंह जी सरीखे लोगों के हित में ही होगा । अगर जनतंत्र को साकार करना है तो पुलिस का विकेन्द्रीकरण जनतांत्रिक ढंग पर होना चाहिये । इन शब्दों के साथ में माननीय मोतीलाल अवस्थी के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)---अधिष्ठाता महोदय, श्री मोतीलाल जी अवस्थी के इस संकल्प पर मुझे कुछ थोड़े से शब्द कहने हैं । इसमें कोई शुबहा नहीं कि पुलिस का जो संगठन हमारे प्रदेश में है और जो पहले से बना हुआ है, आज की स्थिति को देखते हुए, आज की आवश्यकताओं को देखते हुए,उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । आज जैसा कि पुलिस का संगठन है उसमें जनता और पुलिस एक दूसरे से कोसों दूर हैं । आज उनमें जो मेल होना चाहिये था, वह नहीं है । आज उनको जो एक दूसरे के सहायक होना चाहिये था, वह भाव नजर नहीं आता है और उस अभाव के नाते पुलिस कुछ दूसरे उपाय काम में लाती है, जिससे सही तरीके से मामलों की तहकीकात नहीं हो पाती और मुकदमों को अदालत तक ले जाने में, उनके संबंध में गवाही पेश करने में, पुलिस को एक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है । यहां तक कि जिस ढांचे पर हम इस देश की व्यवस्था को चलाना चाहते हैं उसके लिये हमारी पुलिस पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है ।

गांव में रहने वाले तथा शहर के रहने वाले कान्स्टेबिलों के पास जुर्मों को रोकने के लिये जो साधन हैं, उससे अधिक साधन जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास हैं और वे उनसे ज्यादा साधनों से भरपूर हैं । उनका पीछा करने में, उनको पकड़ने में, उनको पकड़ कर कानून के दायरे में लाने में तथा उनको दंडित करने में जिस तरह का सामना पुलिस को करना पड़ता है उसके लिये वे उपयुक्त साधन नहीं हैं कि जिनसे हम यह उम्मीद कर सकें कि हम देश को एक ऐसी पुलिस

[श्री उदयशंकर]

व्यवस्था दे सकेंगे कि जहां पुलिस के आदमी को जनसाधारण का आदमी अपना आदमी समझे और यह सोच सके कि जुर्म न करने वाले आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत या कोई डर न हो सकेगा और जुर्म करने वाला, कानून का उल्लंघन करने वाला पुलिस के हाथों से बच नहीं सकेगा---इसके साधन आज बिलकुल हैं नहीं।

मोतीलाल जी का जो यह प्रस्ताव है और जैसा राजनारायण जी कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण करके पुलिस को बांट दो, जिले वालों को तो जिला पंचायत के अधीन कर दो और गांव की पुलिस को गांव पंचायत के अधीन कर दो, यह आज की जैसी स्थिति गांव और शहरों की है उसको देखते हुए, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह एक बार सोचें कि उस स्थिति में अगर आप उनके हाथों में पुलिस को दे दें तो क्या वाकई वह नतीजे, जिनको आप इस प्रस्ताव के जरिये सोचते हैं कि ले आयेंगे, क्या वह संभव हो सकेगा ? क्या उससे बदतर हालत नहीं हो जायगी ? तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरत है कि उसे कुछ और व्यापक-रूप से देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनका यह संकल्प अभी थोड़ा प्रिमेच्योर है।

सरकार की ओर से पुलिस के सारे ढांचों को, पूरे तौर से सारी कमियों को देखने और उनकी छान-बीन करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति हुई है जिसमें हमारे अनुभवी कार्यकर्त्ता जिनको सरकार में और पब्लिक में भी रहने का अवसर मिला है, जो शासन और जनता की दिक्कतों को भी समझते हैं, ऐसे प्रायः सभी लोग उसके मेम्बर हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद अगर यह प्रस्ताव आया होता तो उसको देख करके, उसकी लाइट में तब कहा जा सकता था कि उन्होंने फलां बातें छोड़ दीं, उनको अब हमें ले आना चाहिए; लेकिन उसके पहले दो पैरेलल कमेटियां वर्क करें---एक तो गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दी और एक यह सदन मोतीलाल जी के इस प्रस्ताव पर मुकर्रर कर दे, तो दोनों में एक क्लैश होगा, वह कुछ उचित नहीं मालूम होता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---टर्म्स आफ रेफरेंस बदल दी जायं।

श्री उदयशंकर---जितना उसमें है वह काफी है मौजूदा स्थिति में।

श्री उग्रसेन---वही नाकाफी है।

श्री उदयशंकर---खैर, यह आपकी राय होगी और आप अपनी राय के इन्टाइटिल्ड हैं। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि आज के वातावरण में बिलकुल गांव की पुलिस को गांव पंचायत के अधीन दे देने से वही हालत पैदा होगी जैसी कि पंचायत आज कल की बनी हुई है; और आप देखते रहते हैं कि पंचायतों के मामले में पंचायत ऐक्ट किस तरह काम कर रहा है, और उसका गांव में रहने वाले किस तरह से प्रबन्ध कर रहे हैं। उसकी आलोचना इस सदन के माननीय सदस्य जो उस ओर बैठे हुये हैं वह जब करते हैं तब ताज्जुब मालूम होता है कि वह कैसे उसे इस तरह के अधिकार और देना चाहते हैं, जब वह समझते हैं कि जितने अधिकार उनके पास है उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है।

आज के वातावरण में तो मैं समझता हूं पुलिस का जो संघटन है उस संघटन में यह मैं मानता हूं कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है---उनकी वरदी में, उनकी तनख्वाह में और उनके उन साधनों में जिनके जरिये से वह क्रिमिनल्स का पीछा करें और जनता का उनमें विश्वास हो। आज का ढांचा तो ऐसा है कि साधारण तौर पर पुलिस पर अविश्वास ही किया जाता है। वह कोई काम करता है उसकी डायरी में क्या लिखा हुआ है, वह शहादत की क्या चीजें लिखता है, वह कानून की दृष्टि में अदालत में सबूत ही नहीं होता। वह कुछ अपनी डायरी में लिखे लेकिन कानून की दृष्टि में अदालत में वह सबूत नहीं होता, वह आदमी चाहें कितना ही ईमानदार क्यों न हो।

मैं यह नहीं कहता कि पुलिस में ब्लैकशीप नहीं है। परिस्थितियों के वश आज हमारे देश में जैसा वातावरण है, सही बात की भी कोई गवाही देने के लिये तैयार नहीं होता और अगर पुलिस वाले ने कुछ लिख लिया तो उसको मान लिया जाता है कि यह ठीक नहीं है, यह पुलिस के सामने की चीज है, दाखिल शहादत नहीं है, इस तरह की चीजें हैं। तो अगर पुलिस को हमें ठीक से चलाना है तो हमें उसे अधिकार भी देना है और अधिकार दे कर के उसको वह साधन देने हैं जिनसे वह ईमानदारी के साथ और आजादी के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सके। वह सड़कों पर इक्के, तांगे और रिक्शे के अड्डे पर जाकर यह न कहे कि बीड़ी-पान ले आओ। उसके पास इतना सामान हो कि वह खा सके और अपने बाल-बच्चों को खिला सके।

एक चोर चोरी किये साइकिल पर भागा जा रहा है और कांस्टेबिल डंडा लिये पीछा कर रहा है, लेकिन आज के कानूनी ढांचे में अगर कोई आदमी सही बात जाकर लिख दे तो अदालत में ठीक ढंग से वह मुकदमा नहीं चल पाता और वह छूट जाता है। इन तमाम चीजों पर सरकार को पूरे तौर से सोचना चाहिये, खाली पुलिस को संघटित करने से ही काम नहीं चलेगा। पुलिस को संघटित किया जाय लेकिन साथ ही साथ ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे पुलिस ईमानदार हो सके, और साधारण आदमी को पुलिस से हैरेसमेण्ट का डर न रहे और वह पुलिस के साथ सहयोग कर सके। ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे जनसाधारण पुलिस के मेल में आवे और पुलिस को वह अपना रक्षक समझे, उससे उन्हें कोई डर न हो कि वह उनको किसी तरह से तंग कर सकेंगे। इसके लिये सारा कानून, जिससे पुलिस को चलना है और अदालतों को चलना है उनमें एकदम आमूल परिवर्तन किये जायं तब जाकर कहीं हो सकेगा। मैं सन् १९०१ की अपने जिले की बात कहना चाहता हूं कि उस समय हमारे जिले की आबादी ९ लाख के करीब थी, उस समय हमारे यहां जितने थाने और पुलिस थी वही थाने और पुलिस आज भी हैं जबकि वहां की आबादी २५ लाख हो गई है। तब से वहां पर आबादी बहुत बढ़ गई, जुर्म की टेक्निक बढ़ गई, लेकिन पुलिस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। इसलिये जब तक आप एक ओवरआल पिक्चर दिमाग में रख कर और मौजूदा सामाजिक ढांचे का खयाल रख कर और यह सोच कर कि एक आजाद देश में किस तरह का ढांचा होना चाहिये, सारे कानूनों को बदल कर एक नया ढांचा नहीं बनायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मोतीलाल जी अवस्थी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी माननीय दुबे जी ने कहा कि सरकार ने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया है उसकी रिपोर्ट के लिये अवस्थी जी को इन्तजार करना चाहिये था और यदि उनकी बातों का समावेश उस कमीशन की रिपोर्ट में न होता तो अवस्थी जी को दूसरा संकल्प लाना उचित होता। लेकिन मैं दुबे जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कमीशन को बने जुम्मा-जुम्मा ८ दिन ही तो हुए हैं, अगर मोतीलाल जी ने यह संल्कप प्रस्तुत कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया? अच्छा है कि कमीशन अपनी रिपोर्ट से पूर्व ही इन सुझावों पर विचार करके विस्तृत रिपोर्ट दे और इस संकल्प का मंशा ही शायद पूरा हो जाय।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही जारी हुई।)

श्री जगन्नाथ लहरी---अधिष्ठाता महोदय, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब वर्तमान पुलिस संगठन की रीति-नीति में कोई खराबी महसूस हुई तभी सरकार

[श्री जगन्नाथ लहरी]

का कमीशन की नियुक्ति करने की आवश्यकता महसूस हुई। जन-प्रतिनिधियों को जो कमियां दिखलाई दीं उनको दृष्टिगोचर रखते हुए ही यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है।

अभी मैंने भाई हरीसिंह जी का भाषण सुना। मैं नहीं कह सकता हूं कि वह किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिये या अपनी किसी अन्य विचारधारा का प्रचार करने के लिये अपना भाषण दे रहे थे। जहां तक संकल्प का सम्बन्ध है, उन्होंने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बराबर यह कहा कि पुलिस के कर्मचारियों का वेतन कम है और इसीलिये उन्हें यह रिश्वत लेने का कार्य करना पड़ता है। मैं भाई हरीसिंह जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कई जिलों में मादक वस्तुओं के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया है और उससे सरकारी आमदनी घटी है मगर वह आमदनी गई किसकी जेब में। उदाहरण के लिये गांजा, चरस और अफीम की बिक्री हमारी सरकार ने रोक दी है लेकिन हर ठेके की दूकान पर आप जाकर देख सकते हैं कि भांग के साथ गांजा, चरस और अफीम बिक रहा है। सरकार तो सप्लाई नहीं करती है, फिर यह किसकी कृपा से होता है? पुलिस माहवारी रुपया लेकर इन चीजों की बराबर बिक्री कराती है। मुझे मालूम है कि सट्टे और जुए के अड्डे माहवारी पर पुलिस द्वारा नीलाम किये जाते हैं। इस प्रकार मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार तथा सट्टे, जुए के अड्डे पुलिस की स्थायी आमदनी बन गये हैं।

मैं अपने यहां की बात कहता हूं। फीरोजाबाद की पुलिस सैकड़ों रुपये माहवार नहीं बल्कि रोजाना कोयले से पैदा करती है। आज २० वर्ष हो गये, फीरोजाबाद की पुलिस के लिये यह एक जमींदारी बनी हुई है। जब एक कारखाना अनियमित रूप से अपना कोयले का वैगन दूसरे कारखाने को देता है तो फी वैगन १२५ रुपये फीरोजाबाद के पुलिस इन्चार्ज को दिये जाते हैं और यह बात आई० जी० से भी छिपी नहीं है। लेकिन कुछ नहीं होता है। तो जहां पुलिस ने मादक वस्तुओं की अवैध बिक्री से, सट्टे और जुए से तथा इन कंट्रोल की चीजों से इस प्रकार आमदनी कर रखी हो वहां की पुलिस से क्या आशा की जा सकती है? इस संकल्प द्वारा पुलिस को जन-प्रिय बनाने के लिये और उसके विकेन्द्रीकरण करने के लिये ही तो मांग की जा रही है कि उसमें इन उद्देश्यों से आमूल परिवर्तन किया जाय।

मैं अपनी कान्स्टीट्युएन्सी की बात बताता हूं। उसके पूरे रकबे की लम्बाई करीब २६ मील है और सिर्फ एक पुलिस का थाना है और वह भी शहर में। १ लाख से अधिक वहां वोटर हैं, जिसके माने हुए कि लगभग २ लाख की आबादी, वहां गांव की निरीह जनता अपने को पूरे तौर से सुरक्षित नहीं समझती है। मेरी कान्स्टीट्युएंसी के पास माननीय उपमंत्री, श्री रामस्वरूप जी यादव का भी क्षेत्र है और उन्हें भी मालूम है कि दिन-दहाड़ ३ बजे और ४ बजे डाकुओं का गिरोह आता है गांवों में, और एलान कर देता है कि हम ६ घंटे यहां रहेंगे, जाओ और पुलिस को लाना चाहते हो तो ले आओ। वह गिरोह गांव को लूट कर ले जाता है और उसका चैलेंज यों ही रह जाता है। तो जब गांव की असहाय जनता को इस तरह से लूटा जाता है तो आप पुलिस का विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं करते हैं? शहरों में पुलिस कम करके गांवों में अधिक थानों की स्थापना कीजिये। आज गांवों की जनता अपने को देहात में सुरक्षित न समझ कर ही शहरों की ओर भाग रही है।

आज कुशलता और जन-प्रियता की बात कही जा रही है। क्या भाई हरीसिंह जी को पता है या नहीं या हमारे सभी भाइयों को पता है कि कुम्भ जैसे लक्खी मेले, जिनमें लाखों आदमी आते हैं, हमारे प्रदेश में होते हैं, जिनमें छोटे-छोटे बालक स्वयं-सेवक के रूप में प्रबन्ध करते हैं? उनको कुछ भी वेतन नहीं मिलता है, केवल जनता की सेवा की भावना से वे वहां काम करते हैं। हम जानते हैं कि उस छोटे से बच्चे की आज्ञा कोई भी ठुकरा नहीं सकता है परन्तु जनता उसकी निस्वार्थ सेवा की भावना को देखकर इसकी आज्ञा का पालन करती है और लाखों की भीड़ में हमारे छोटे-छोटे स्वयंसेवक व्यवस्था का काम करते हैं, भूले भटके बच्चों को उनके मां बाप

के पास पहुंचाते हैं, अगर उसको कोई खोयी हुई चीज भी मिलेगी तो वह उस चीज वाले का पता लगायेगा। यही काम हम वेतनभोगी पुलिस से कराते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता।

आज उन्हें इन छोटे-छोटे बच्चों से सबक लेना चाहिये कि किस प्रकार छोटे-छोटे बालक बड़े-बड़े मेलों का प्रबन्ध कुशलता से करते हैं। लेकिन जब पुलिस को इन कामों की व्यवस्था दी जाती है तो वह वहां भी अपने रोब-दाब से काम लेती है। आज से ६ वर्ष पूर्व प्रयाग में कुम्भ की दुर्घटना घटी थी। यह सुबह १० बजे घटी और लाखों लोग अकाल के गाल में चले गये। जब कि सारे देश के लोगों को, विश्व के लोगों को उस दुर्घटना की खबर लग चुकी थी, लेकिन इस प्रदेश की पुलिस ने राष्ट्रपति और मंत्री लोगों को अंधेरे में रखा और ४ बजे तक प्रयाग के कैम्प में भी सूचना तक न दी गयी। राष्ट्रपति और मंत्री लोग नाच-रंग में लगे रहे। अन्त में शाम को पंत जी को कहना पड़ा कि एक दुर्घटना हो गयी है और वह नाच-रंग शोक के रूप में परिणत हो गया। पुलिस का ऐसा खयाल था कि चाहे कितनी ही अप्रिय घटना क्यों न घट जाय मनोरंजन में बाधा नहीं आनी चाहिये। इसीलिये उसने राष्ट्रपति को पहले से सूचना नहीं दी। इससे ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि थानों में किस प्रकार से रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं।

आगरा जिले में मानसिंह, सुल्ताना, पुतली और रूपा आदि अनेकों डाकुओं का जोर रहा और बना ही रहता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिये सरकार लाखों रुपया व्यय करती है लेकिन इस प्रदेश की पुलिस ने आज तक एक भी डाकू न मारा, न पकड़ा है जबकि मध्य प्रदेश की पुलिस इन प्रमुख डाकुओं को मार चुकी है। इससे ही यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि आजकल हमारी पुलिस कितनी सक्रिय है और उसके कारनामे कितने अच्छे हैं कि प्रति दिन लाखों रुपया व्यय करने के बाद भी एक भी डाकू पकड़ा नहीं गया और न मारा गया।

पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह जन-जन के हृदय में विश्वास की और सुरक्षा की भावना पैदा करे। इसके लिये हमें पुलिस में आमूल परिवर्तन करना चाहिये, विकेन्द्रीकरण करना चाहिये, जिससे जनता में विश्वास की भावना हो।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मोतीलाल जी अवस्थी के संकल्प के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद चल रहा है उसमें यह भी कहा गया कि जो पुलिस कमीशन बना है उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में, पुलिस संगठन पर विचार करने के लिये कोई प्राविधान नहीं है। मैं समझता हूं और जहां तक मैंने उसको देखा है उसके टर्म्स आफ रिफैरेंस में पुलिस के संगठन का प्रश्न भी निहित है। इसके अतिरिक्त यह कहना कि आज इस संकल्प की आवश्यकता नहीं थी, मेरे विचार से यह अच्छा ही हुआ कि यह संकल्प इस सदन में प्रस्तुत हो गया, जिससे कि हमारा कमीशन भी कुछ न कुछ फायदा, जो हमारे इस प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, उनकी राय से उठावेगा।

जहां तक पुलिस के संगठन की चर्चा है, मैं समझता हूं कि वास्तव में एक प्रकार का आमूल परिवर्तन लाना आवश्यक है। जो पुलिस मैनुअल है, जो पुलिस की कार्यशैली है, इन सब चीजों के ऊपर पूर्णरूपेण विचार करना है और एक इस प्रकार का वातावरण जैसा कि दुबे जी ने अभी कहा--हमें बनाना है जिससे कम से कम हमारे पुलिस विभाग का दृष्टिकोण बदले, उनके दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है और इसके लिये वे सभी साधन जुटाने हैं, जिससे कि उनके दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हो।

यह सही है कि चाहे वह घोड़े के दाने का प्रश्न हो, चाहे वह उनकी वर्दी का प्रश्न हो और चाहे अन्य प्रश्न हों, यह केवल एक साधन हो सकता है लेकिन केवल इसमें परिवर्तन ला देने से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

आमूल परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। हमें यह भी देखना है कि क्या संगठन हमारे प्रदेश में होना चाहिये। अभी-अभी कुछ आवाज आयी कि पुलिस विभाग को पंचायत के अन्तर्गत या जिला कौंसिल के अन्तर्गत होना चाहिये। इस तरह के कुछ सुझाव आये और मैं तो समझता हूं कि ये सुझाव जिस रूप में आये हैं, आज जो हालत है उनको देखते हुए मान्य नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कोई न कोई ऐसा ढांचा बन सकता है जिससे विकेन्द्रीकरण की भी एक माने में पूर्ति हो सकती है और वह जो भय है हमको उससे भी छुटकारा मिल सकता है।

पुलिस विभाग के तीन मुख्य कार्य हैं—एक कार्य तो है प्रोटेक्शन का, दूसरा कार्य है इनवेस्टीगेशन का और तीसरा कार्य है प्रोसिक्यूशन का। मैं ऐसा समझता हूं कि ये तीन अलग-अलग विभाग मान लिये जाने चाहियें। जहां तक गांवों का सम्बन्ध है, गांव के स्तर पर पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का संगठन किया जाना चाहिये जिसमें कि कम से कम पंचायती अदालत केन्द्र पर एक प्रोटेक्शन चौकी या जो नाम भी आप देना चाहें दें, उसकी स्थापना होनी चाहिये। और वहां पर कम से कम एक सब इन्सपेक्टर हो या अगर वह अवेलेबिल न हो तो हेड कांस्टेबिल की हैसियत का कोई इंचार्ज होकर गांव के स्तर पर विलेज डिफेंस सोसाइटी की स्थापना होनी चाहिये और विलेज डिफेंस सोसाइटी केवल आर्डर से नहीं बल्कि उसका कोई नियम बना कर उनको नियमित रूप से चलाना चाहिये और जो एफ० आई० आर० है वह उन प्रोटेक्शन चौकियों पर ही होनी चाहिये। इसका कोई दूसरा काम—इनवेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये।

जो मौजूदा हमारी पुलिस के थाने हैं, वे केवल इनवेस्टीगेशन संस्था ही बनाये जायं। यहां पर सिर्फ जांच करने और तहकीकात करने का ही कार्य हो और वहां पर एक सब-इंस्पेक्टर हो और उसके साथ ही साथ कुछ सी० आई० डी० के भी आदमी हों ताकि वे शैडो का काम कर सकें। यह कहा जाता है कि इंगलैंड में जहां जरायम होते हैं वहां पहले से कोई न कोई पुलिस का आदमी लगा ही रहता है। अगर इन थानों को इनवेस्टीगेशन सेंटर बना दिया जाय और वहां पर पुलिस शैडो या सी० आई० डी० के आदमी रख दिये जायं तो उनके दृष्टिकोण से पंचायती अदालती केन्द्र पर जो प्रोटेक्शन फोर्स है, वह अपने यहां के किसी जुर्म को समझेगी कि इसका इनवेस्टीगेशन होना जरूरी है तो उसे वे इनवेस्टीगेशन सेंटर पर भेज देंगे और यहां पर जो स्टाफ है इनवेस्टीगेशन के सम्बन्ध में उसे प्रोसीक्यूशन डिपार्टमेंट में भेज देगा।

देखा गया है कि एक ही थानेदार है। वही इनवेस्टीगेशन भी करता है और आये दिन कचहरी में भी हाजिर रहता है, इस वास्ते कि उसको प्रोसीक्यूशन की डे टु डे प्रोसिडिंग्स में बराबर हिस्सा लेना पड़ता है और प्रोसीक्यूशन में सहायता करनी पड़ती है। इस वास्ते यह जरूरी है कि उस बोझ से उसे हल्का किया जाय। सरकार को अगर कुछ सलाह लेने की जरूरत पड़े इनवेस्टीगेशन संस्थाओं से तो एक लिएजों अफिसर मुकर्रर करके प्रोटेक्शन वगैरा सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। इस समय मुझे पूरे डिटेल बयान करने का मौका नहीं है। मैंने केवल एक आधार पर बताया कि पुलिस के जो तीन काम हैं प्रोटेक्शन, इनवेस्टीगेशन और प्रोसीक्यूशन, इनको अलग करके एक छोटा-सा लिएजों का काम अलग कर दिया जाय तो बहुत सी शिकायतें जो आये दिन सुनने में आती हैं वे कम हो जायेंगी।

इसके अलावा यह भी मांग की गई कि चौकीदार की प्रथा खत्म की जाय। लेकिन जैसा कि बताया गया, अगर इस आधार पर संगठन बनाया जायगा तो चौकीदार की प्रथा का स्थान अपने आप ही समाप्त हो जायगा। यही मेरा छोटा सा सुझाव है।

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि जो वेतनों की कमीबेशी है इसका भी असर पड़ता है। मैं भी इसको मानता हूं और यह भी सही बात है कि कम से कम हमारे पुलिसमैन का वेतन इतना होना चाहिये कि जिससे वह तमाम कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने परिवार का भी पालन भली प्रकार कर सके, यह भी एक आवश्यक चीज है कि जिस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

इसक अलावा, मैं एक राय देता हूं, मैं नहीं समझता कि मैं कहां तक ठीक हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जो इंस्पेक्टर जनरल हो वह कम से कम आई० पी० एस० आफिसर के बजाय आई० ए० एस० आफिसर हो।

मैं समझता हूं कि जो कमीशन इस समय बैठा है शायद वह इस प्रश्न पर भी विचार करेगा, सत्ता के विकेन्द्रीयकरण आदि का प्रश्न उसके सामने भी होगा, जैसा कि मैंने सुझाव दिया है कि इस आधार पर पुलिस विभाग अपनी कार्यशैली को ले चले कि गांव स्तर तक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होता चला जाय। इस तरह से वे तमाम मसले हल हो सकते हैं। जहां तक पुलिस मैनुअल का प्रश्न है, उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है और अच्छा हो कि पुलिस ट्रेनिंग कालेज की तरफ सरकार का ध्यान जाय, मुझे तो वहां की ट्रेनिंग देखने का कभी मौका नहीं हुआ लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है कि काफी परिवर्तन सरकार ने किया और काफी कोशिश इस बात की गई कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति विभाग में आयें और जनता की सेवा करें लेकिन जैसे कि नतीजे मिलने चाहिये थे उस प्रकार के नतीजे नहीं मिल रहे हैं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि आज भी जनता और पुलिस के बीच में एक बड़ी खाई है और वह दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

आजकल के युग में यह चीज खतरनाक है, जबकि हम आज एक नियोजन के युग से गुजर रहे हैं उस समय में जनता और पुलिस के बीच में इतनी बड़ी खाई का खुद जाना अच्छी बात नहीं है, निर्माण के युग में अमनोअमान का कायम रहना बहुत आवश्यक है। ऐसी अवस्था में हमें विचार करना होगा कि क्या कारण है कि जो सहयोग जनता से पुलिस को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि अब आयोग बना है, मुझे विश्वास है कि वह इस प्रश्न पर भी अवश्य विचार करेगा और इस समस्या का कोई न कोई हल निकालकर अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा।

जब यह संकल्प आज यहां आ ही गया है तो हमें इसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये, वह लाभ तभी हो सकता है जब आज इस अवसर पर जबकि कमीशन बैठा हुआ है तो माननीय सदस्य अपने-अपने सुन्दर सुझाव और अपनी राय जो पुलिस और प्रदेश के लाभ की हो वह प्रस्तुत करें। जो संकल्प माननीय मोती लाल जी ने प्रस्तुत किया है उस पर अपनी राय देकर उसका, और जो कमीशन इस समय विभाग के लिये बैठा है उसका, लाभ उठाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—(श्री बंशीधर शुक्ल से) आप कृपा करके अपनी बात जल्दी ही समाप्त करें क्योंकि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से बिलकुल प्रत्यक्ष रूप से कहता हूं कि पुलिस की जरूरत देश को नहीं है, इसे जल्दी से खत्म कर दीजिये। जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी ही जल्दी देश आगे बढ़ेगा . . . .

श्री अधिष्ठाता—अवस्थी जी का ऐसा प्रस्ताव नहीं है। उनका प्रस्ताव यह है कि पुलिस रहे और उसमें सुधार हो।

श्री बंशीधर शुक्ल—हमारा भी यही कहना है कि रक्षा का दल होना चाहिये। पुलिस को तो जनता यही समझती है कि यह तो भक्षक है।

(इस समय २ बजकर ३६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पुनः पीठासीन हुईं।)

यहां तक लोगों ने कहा कि पुलिस के पांच दरोगाओं का नाम लेकर उठें तो दिन अच्छी तरह से नहीं बीतेगा और यह सत्य है। ऐसी दशा में, श्रीमान् जी, मैं कहता हूं कि इन तमाम

[श्री बंशीधर शुक्ल]

डिपार्टमेंटों को तोड़ दिया जाय तब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा कहना है कि कोआपरेटिव सोसाइटी, बीमा कम्पनी, पंचवर्षीय योजना, गन्ना सोसाइटी, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर विभाग, कलेक्शन डिपार्टमेंट, पंचायत राज विभाग, प्रान्तीय रक्षा दल, रिजर्व पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, सरकारी फार्मिंग, मलेरिया निरोधक विभाग, मछली पालन, मुर्गीपालन, रोडवेज, बस सर्विस, सूचना विभाग, चकबन्दी विभाग, हरिजन कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड, ग्राम उद्योग विभाग, मार्केटिंग विभाग, तम्बाकू नियंत्रण विभाग, आबकारी डिपार्टमेंट, जूट विकास, सिंचाई डिपार्टमेंट, इरीगेशन विभाग, बिक्री कर विभाग, पशुपालन, इम्प्लायमेंट एक्सचेंज विभाग और बन विभाग यह सब जब सरकार तोड़ देगी तब विशुद्ध सरकार और जनता की सरकार बनेगी। नौकरों को बढ़ाने और तनख्वाह को बढ़ाने से कोई काम नहीं हो सकता। तनख्वाह बढ़ाने का आई० ए० एस० का षड़यंत्र है, जिसको साधारण दिमाग वाला भी यह बात समझता है कि तेजी बनी रहे, तनख्वाह बढ़ाने की बात जरूर होगी।

तहसील निघासन का गेहूं वगैरह लखीमपुर में नहीं आ सकता। तहसील निघासन में शराब की भट्ठी हैं। अगर शराब लखीमपुर में आ जाती है तो पुलिस को मौका मिल जाता है रिश्वत लेने का। दो बोतलें कहीं भी रख दीं और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बोलो भारत माता की जय। इससे पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। रक्षा का दूसरा ढंग अपनाया जाय। मुसलमानी राज्य से पहले का उदाहरण है कि राज्य के हाथ में सब कुछ हुआ करता था। मुसलमानी राज्य में भी राज्य के हाथ में जमीन का प्रबन्ध और रक्षा का प्रबन्ध रहता था। मगर जब से अंग्रेज आये उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया और आप भी उसी के पीछे चले जा रहे हैं। जैसे कोई बैतरणी पार करने के लिये बछिया की पूंछ पकड़ कर चलता है वैसे ही आप भी पुलिस की पूंछ पकड़ कर चल रहे हैं।

गांव पंचायतों को रक्षा का अधिकार देना चाहिये। रक्षा का तो स्वभावतः मनुष्य के अन्दर भाव होता है। यहीं दो आदमी लड़ने लगें तो तीसरा फौरन लड़ाई रोकेगा। ऐसी दशा में, हमारा कहना है कि हम लोग गांव में बिला पैसे के स्वयं सेवक की तरह के आदमी बनावें जो रक्षा कर सकें। हमारे गांव के लोग रात में पहरा देते हैं। इसलिये नहीं कि पुलिस का कोई आदेश हो बल्कि स्वतः अपनी रक्षा के लिये, यह सोच कर कि सरकार न हमारी रक्षा कर सकती और न सरकार से कोई आशा है तो ऐसी दशा में गांव के लोग मिल कर पहरा देते हैं और किसी के ऊपर ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता। एक आदमी की १५ दिन बाद ड्यूटी आती है। मनुष्य के अन्दर स्वतः रक्षा की प्रवृत्ति होती है। इसलिये पुलिस विभाग हटा दें तो रक्षा का निःशुल्क महकमा बन सकता है और एक ढंग हो सकता है जिससे रक्षा हो सकती है।

पुलिस की तारीफ क्या की जाय ? केवल अपराधियों को पकड़ कर जेल भेज देती है और अपने आप दफा लगा देती है जिसको आगे वकील लोग या कोर्ट इंस्पेक्टर बदल दिया करते हैं। कोई भी कोर्ट इंसपेक्टर ऐसा नहीं है जो रिश्वत न लेता हो। जिस मुकदमे में सरकार मुद्दई होती है उसमें बिना रिश्वत के काम नहीं चलता। जिधर रिश्वत मिली उधर ही सरकार का न्याय चल पड़ा। तो यह सब बदलिये। आज जब न्याय और रक्षा का काम पुलिस के मातहत है, तो रिपोर्ट अपनी मरजी से लिखेंगे।

कहा जाता है गांव वाले सहयोग नहीं करते। कैसे करें? मेरे यहां का वाकया है कि २,८०,००० रु० की डकैती दिन को १२ बजे रेल की जंजीर खींच कर हुई, गांव के लोग दौड़ कर सब माल छीन लेते हैं और १२, १३ लड़के १३ मील के फासले पर जाकर ४ बदमाशों में से दो को मार देते हैं और दो को पकड़ लेते हैं और अगर पुलिस न जाती तो शायद चारों को मार देते। चोरों ने कहा कि हमने तुम्हारा माल तो नहीं चुराया, हमको जाने दो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने सरकार के पैसे की चोरी की। कहा गया कि उनको इनाम मिलेगा

लेकिन आज तक किसी को इनाम नहीं मिला। तो कैसे जनता का उत्साह बढ़े और सहयोग की भावना बढ़े? इनाम की जिम्मेदार कौन है? श्रीमती पुलिस भवानी। तो इस तरह से सहयोग नहीं हो सकता। कमलापति के हाथ से बंधा पुलिस का हाथ, जैसे हरहट हस्तिनी फुंसी शशक के साथ। वह बनारस के विश्वनाथ और उनके हाथ में पुलिस जैसी हरहट हस्तिनी बांध दी। यह विभाग उनके बस का नहीं है। इसमें तो कोई ऐसा ही आदमी होना चाहिये जिसकी भावना खूंगर हो।

पुलिस वालों को जब पैसे की जरूरत होती है तो शराब की बोतल व तमंचा बरामद करते हैं। तहसील निघासन से शराब मंगा ली और किसी के घर में रख कर गिरफ्तार करके उससे पैसा लेते हैं और हर आदमी कहता है कि अगर कहीं कत्ल हो जाता है तो पुलिस को बड़ी खुशी होती है, जितनी कि लड़के के होने में होती है और इतना पैसा मिल जाता है जितना किसान जीवन भर नहीं कमा पाता। इसलिये पुलिस के द्वारा कल्याण नहीं होने वाला है। सब लोग प्रार्थना करते हैं कि पुलिस से हमारा पीछा छूटे। जरा इसको हटा कर तो देखिये कि रक्षा होती है या नहीं। यह तो प्रकृति का नियम है कि रक्षा होती चली जायगी। पूरे प्रान्त में ५०० कत्ल और ५०,००० डकैतियां और चोरियां रोज होती हैं, मैं अपने जिले के अनुभव पर ऐसा कहता हूं क्योंकि रपट लिखी जायगी पुलिस के मन की।

अभी थोड़े दिन की बात है। पिछले साल कोआपरेटिव केन सोसाइटी के खजाने से गबन हुआ। एक सेक्रेटरी महोदय तथा एक खजान्ची साहब ने किया था। लेकिन जज महोदय के सामने जब मुकदमा चला तो दो बुत खड़े कर दिये गये जिन पर कोई दोष नहीं था। खजान्ची आई० जी० भल्ला साहब के भाई थे और सेक्रेटरी गुप्ता जी के भाई थे और उनका कुछ नहीं हो सका। इस तरह की बातें हो रही हैं। अपराध कोई करता है, पकड़ा कोई जाता है, मुकदमा किसी पर चलता है, छूटता कोई है। इस तरह से काम नहीं चल सकता। इस तरह से मैं तो अपने जिले की बात जानता हूं और आप तो पूरे सूबे की बात जानते होंगे।

पुलिस के बड़े से बड़े आफिसर आपके पास आते हैं। उनकी मनोवृत्ति आप जानते हैं। मेरी तो करबद्ध प्रार्थना है कि इस विभाग को जितनी जल्दी हो सके तोड़ दिया जाय। आप यह न समझें कि रक्षा नहीं होगी। रक्षा का ढंग बहुत सुन्दर होता है। मुझसे पूछा जाय तो मैं तो रक्षा का उपाय भी बतला सकता हूं लेकिन विरोधी होने के नाते मेरी बात कोई मानेगा नहीं। कविता की बात कही गयी, तो वह इस प्रकार है :

सड़ी सरकार को दुनिया से हटाओ यारो,
देश में शुद्ध प्रजातंत्र बनाओ यारो,

जिस घड़ी देश में गोरों की हुक्मरानी थी,
न ये कंट्रोल न हर चीज की गरानी थी,
न ये अन्धेर, न ये टैक्स, न ये तेजी थी,
न ये चोरी, न ये डाका, न ये खूंरेजी थी,

ऐसे शासन का तराना न सुनाओ यारो।

लड़ाई हमने लड़ी थी स्वतंत्रता के लिये,
लड़ाई हमने लड़ी थी नहीं संस्था के लिये,
हमने कुर्बानी न की थी किसी कुर्सी के लिये,
हमने जो आग लगाई थी तो रोटी के लिये,

रोटियां छीन के पत्थर न चलाओ यारो।

आज दुनियां से हुकूमत का तकाजा निकला,
मुफ्तखोरों का जमाने से जनाजा निकला,

[श्री बंशीधर शुक्ल]

साफ आकाश है, क्या चांद निराला निकला,
देख लो पुलिस का दुनियां से दिवाला निकला,

अब तो इस लाश को मरघट में जलाओ यारो ।

ये देखो सामने जलता, ये अंग किसका है,
ये देखो कुर्सी व बंगलों में रंग किसका है,
ये देखो भूखो तड़पती ये शकल किसकी है,
जमाने साफ बताते ये नस्ल किसकी है,
उसी मजदूर को कुर्सी पे बिठाओ यारो।

तो यह नितान्त सत्य है कि आपको कतई मालूम नहीं है कि किस प्रकार हुकूमत चलाई जाय और किस प्रकार का ढंग चलाया जाय। जो कुछ बापू जी की बताई हुई थाती थी उसको आप लोगों ने चौपट कर दिया, उसका प्रभाव नष्ट हो गया। जनता आज तड़प रही है, उससे आप दर्द की दवा पूछिये, वह सही रास्ता बतलायेगी। इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को, तनख्वाह को, अफसर तथा आफिसेज को बढ़ाने से काम नहीं चल सकता।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्बन्ध में कुछ बातें पढ़ते हुये यह पढ़ा "Parliament is a talking machine"। इस सदन के सम्बन्ध में मेरे हृदय में बड़ी निष्ठा है, बड़ी आस्था है। आज आश्चर्य यह है कि जो कुछ भाषण यहां हो रहे हैं वे जैसे पुलिस बजट के सम्बन्ध में प्रायः हुआ करते हैं वही तरीका अख्तियार किया जा रहा है। हमारे सामने अधिष्ठात्री महोदया, प्रश्न यह है केवल कि क्या पुलिस में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं? और अगर है तो किन-किन बातों में यानी संगठन के सम्बन्ध में, व्यवस्था के सम्बन्ध में, निर्माण के सम्बन्ध में और इसके ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर आवश्यकता है तो क्या विकेन्द्रीकरण एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे जिनके लिये पुलिस फोर्स रखा जाता है। मेरा निवेदन यह है कि एक पुलिस कमीशन बैठा है, उसकी नियुक्ति हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है कि एक कमीशन नियुक्त हुआ है जो पुलिस के संगठन, उसके निर्माण, उसके कृत्यों और उसकी क्या दशा है, इन सबके विश्लेषण करने के लिये नियुक्त हुआ है। अपना प्रतिवेदन उपस्थित करेंगे कि उसकी समझ में कौन-कौन-सी चीजें होनी चाहियें जिससे पुलिस संगठन से जो आशा हम करते हैं उसकी प्राप्ति हो सके।

अब केवल प्रश्न इतना ही रह जाता है कि जब कमीशन नियुक्त हो चुका है तो क्या सरकार ने अनुभव किया या नहीं कि पुलिस में दोष हैं जिनके निवारण करने की आवश्यकता है। अगर सरकार ने अनुभव किया है और कमीशन नियुक्त हो गया है तो केवल प्रश्न इतना रह जाता है कि जो बातें माननीय अवस्थी जी चाहते हैं उनका समावेश इसके टर्म्स आफ रिफरेन्स में है या नहीं। अगर नहीं है तो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकते हैं। इस कमीशन के सदस्य होने के नाते, अधिष्ठात्री महोदया, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कमीशन को परेशानी यह है कि कौन-सी बात पुलिस फोर्स के सम्बन्ध में है जो इसके टर्म्स आफ रिफरेन्स में न आई हो जिस पर कमीशन ध्यान न दे। वैसे बाल की खाल निकालना दूसरी बात है।

माननीय राजनारायण जी ने कहा कि पुलिस की तनख्वाहें तथा जो उनको सुविधायें मिलती हैं उनको देखा जाय। जो वेतन उन्हें मिलता है उसमें क्या कोई मनुष्य पुलिस का कार्य सुचारु रूप से कर सकता है? यह प्रश्न था। मैं इसके टर्म्स आफ रिफरेन्स के पैरा ८ और ९ की तरफ़ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा कि :—

"Whether the present pay structures of the Police Force (excluding the I. P. S. and U. P. P. S.) are adequate and whether they need to be revised?

This question should be examined in the light of pay structures of other cadres of Government servants of similar status employed by the State Government."

इससे स्पष्ट है कि जितने भी पुलिस फोर्स के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनके सम्बन्ध में यह अन्वेषण करना पड़ेगा कि इनके वेतन उचित हैं या नहीं। अब मैं पैरा ६ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं —

"To examine the adequacy of the amenities provided for the police force and their living conditions, and to recommend whether any steps for their improvement are needed."

अब इससे अधिक क्या हो सकता है? कौन-कौन सी सुविधाएं इस समय प्राप्त हैं? वे सुविधाएं आपकी समझ में क्या उपयुक्त और पर्याप्त हैं? अगर और सुविधाओं की आवश्यकता है तो कौन-कौन सी सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं? अब इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं?

इस प्रस्ताव में माननीय अवस्थी जी ने तीन शब्दों का प्रयोग किया है—संगठन, व्यवस्था और निर्माण। अब मैं आपको टर्म्स आफ रेफरेंस पढ़ कर सुना दूं—

"Whether the present structure and pattern of the Police Force is suitable for the present day needs or whether any changes are necessary."

अब इससे अधिक क्या चाहिए? 'पैटर्न' शब्द के अन्दर पुलिस फोर्स का समस्त ढांचा आता है, जिस पर कमीशन को विचार करना है। वह ढांचा केवल विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में नहीं है। उसमें यह बात भी समाविष्ट है कि पुलिस का सम्बन्ध गांव पंचायत से क्या हो, पुलिस के अन्तर्गत जो विभिन्न शाखाएं, इनवेस्टीगेशन, प्रासीक्यूशन आदि हैं, इनका एक दूसरे से क्या सम्बन्ध हो, होम गवर्नमेंट के डाइरेक्ट कंट्रोल में कौन-कौन रहे, आई० जी० के क्या-क्या अधिकार हों—ये समस्त बातें इसके अन्तर्गत आ जाती हैं।

उन्होंने जो 'निर्माण' शब्द का प्रयोग किया है, उसका मतलब 'स्ट्रक्चर' ही होगा। 'पैटर्न' का मतलब 'व्यवस्था' और 'संगठन' होगा। तो कौन-सी बात इसमें नहीं आती?

गांव पंचायत के बारे में इसमें स्पष्ट प्रश्न रखा गया है।

"To examine to what extent Gram Panchayats can usefully be called upon to assist the police for this purpose."

हो सकता है कि ग्राम पंचायत के अधीन पुलिस हो, हो सकता है कि हम इस पर विचार करें कि अगर हम गांव पंचायत को अधिकार देते हैं तो लोकल बाडीज —टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला परिषदों का-सम्बन्ध पुलिस से क्या हो और किस प्रकार से पुलिस का संचालन किया जाय। तो समझ में नहीं आता कि आज जो विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न कर रहे हैं, वह किस प्रकार इसमें नहीं है।

अब माननीय राजनारायण जी ने एक बात कह दी कि साहब, इसमें लिखा है अपेक्षाकृत। २ में लिखा है —

"Whether the present structure and pattern of the Police Force is suitable for present day needs or whether any changes are necessary? Whether greater decentralization in the control of the Force is desirable?"

ग्रेटर तो हम कहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। जो हम इस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, हर एक स्तर पर, तो इस पर भी कमीशन विचार करेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता था, वैसे तो हमारे अवस्थी जी मास्टर हैं। और स्कूलों में तो यह हुआ ही करता है कि गवर्नमेंट ने या किसी ने कुछ भी किया हो, वह तो यह एक डिबेट का आयोजन है और डिबेट होगा। लेकिन मैं समझता यह हूं कि आदरणीय सदन के सदस्य अगर कोई ऐसी बात कहें जो इन टर्म्स आफ़ रेफरेंस में न हो, तो उनको यह अधिकार है कि वह

[श्री मदनमोहन]

गवर्नमेंट के सामने सुझाव रखें इस वास्ते कि इसमें एक बात और लिखी है। अन्तिम पैरा जो कमीशन के टर्म्स आफ रेफेरेंस का है उसमें लिखा है---

"Any other matter which Government may refer for consideration of the Commission."

तो सुझाव आ सकता है और कमीशन के अध्यक्ष के पास पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस समय इस दो घंटेके अन्दर जितनी भी बातें यहां कही गई हैं उनके सम्बन्ध में मेरा ऐसा विचार है कि सारी ही बातें टर्म्स आफ़ रैफ्रेन्स में समाविष्ट हैं।

अब पुलिस का क्या सम्बन्ध पब्लिक से, जनसमुदाय से, होना चाहिए, वह पैरा ५ में है और पैरा ११ में भी है। पैरा ५ में कहा गया है---

"Whether the present methods of recruitment and training of both officers and men require to be altered and improved with a view to widening the knowledge of recruits and creating in them greater awareness of the functions and duties of the police in a democratic society."

प्रजातंत्रीय समाज में कौन-कौन सी बाते हैं जिनको पुलिस फोर्स को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए ताकि वह जनता की अधिक सेवा कर सके? पैरा ११ में दिया है---

"To evaluate and assess the expanding results of the various measures promoted by Government during recent years for the improvement of police morale, behaviour, outlook and responses to the needs of the people and to weed out corruption."

यहां पर स्पष्ट यह संकेत है कि पुलिस और साधारण जनसमुदाय के बीच में जो खाई कही जाती है उसको पाटने के लिये कौन-कौन से तरीके हैं, कौन-कौन सी बातें हम करें कि जिससे जनसमुदाय के तथा पुलिस के सम्बन्ध में अधिक सद्भावनापूर्ण हो सकें।

तो मेरा निवेदन इस आदरणीय सदन से था कि जो मौलिक बात है माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव में, वह तो सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है और अगर कोई खास बात हो तो माननीय अवस्थी जी या और कोई सज्जन बता दें कि इसमें कौन-सी बात नहीं है और उसका समावेश हो जाय। अन्यथा इस प्रस्ताव में तो कोई वादविवाद की गुंजाइश नहीं है। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीया, आज हमें आजाद हुए १३ वर्ष बीत चुके हैं और मुझे खुशी है इस बात के कहने में कि सरकारी पक्ष के अनेक वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन १३ वर्षों में पुलिस के दृष्टिकोण में, पुलिस के अनैतिक व्यवहार में, पुलिस के भ्रष्ट आचरण में, उस आधार में कि जिसके ऊपर पुलिस का संगठन निर्भर है, उसमें कोई भी परिवर्तन शासन की ओर से नहीं हुआ है। यह बात भी सदन के सामने सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने स्वीकार की कि अंग्रेजी शासन काल में पुलिस की रचना अंग्रेजी शासन की रक्षा के लिए, अंग्रेजी शासन को बल देने के लिए, अंग्रेजी शासन के खतरे को मिटाने के लिए की गई थी। उस दृष्टि से क्या आज पुलिस विभाग को कायम रखने की जरूरत है?

आज अंग्रेज नहीं रहे, हमारा देश आजाद हो गया। आज जनतंत्र के आधार पर हमारे देश में हमारे प्रान्त में एक चुनी हुई सरकार है। क्या इसके लिए किसी रक्षा करने वाले विभाग की, किसी बल देने वाले विभाग की या इसको कायम रखने के लिए किसी ऐसे दल की जरूरत है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुलिस विभाग अंग्रेजों ने बनाया था? मैं अपना विचार प्रकट करूंगा कि ऐसी आवश्यकता आज नहीं है। इसको देखते हुए यदि यह कहा जाय कि वर्तमान पुलिस विभाग को न रखा जाय तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। जिस दृष्टि से

पुलिस का निर्माण हुआ था वह दृष्टि आज हमारे सामने नहीं है और हम निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं कि उस दृष्टि से आज हमें पुलिस को रखने की जरूरत नहीं है।

हम इस बात को मानते हैं कि शान्ति व्यवस्था की जरूरत है। शान्ति व्यवस्था कायम रखने वाले दल को आप पुलिस कहें या एक रक्षक संस्था कहें, उसकी जरूरत प्रत्येक शासन को होती है और हमें भी आज है लेकिन क्या इस पुलिस की है जिसको अंग्रेजी शासनकाल में जन्म मिला? वह आज भी उसी तरीके से काम करती है। माननीय सदस्यों ने मुझसे पहले इस बात को कहा है कि जनता में और पुलिस में जो खाई है वह उत्तरोत्तर और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या यह बात हमारे लिये और हमारे प्रदेश के लिये लज्जा की बात नहीं है? जिस पुलिस से आज हम इस बात की आशा करते हैं कि वह हमारे बीच शान्ति और व्यवस्था को कायम रखती और पारस्परिक सद्भावना और सहानुभूति को कायम रखने में सहायक होती वही पुलिस आज जनता से विश्वास प्राप्त न करके उस अविश्वास की खाई को अधिकाधिक चौड़ा करने में सहायक हो रही है। क्या वह पुलिस रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिये, यह प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित है और बहुत गम्भीरता के साथ उपस्थित है।

माननीय अवस्थी जी ने आज जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया है, मैं समझता हूं उसकी बड़ी आवश्यकता थी। यह ठीक है कि आज सरकार की ओर से एक कमीशन नियुक्त हो चुका है और वह कमीशन इस बात पर विचार करेगा कि हमें पुलिस में क्या क्या सुधार करने हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस कमीशन के सामने टर्म्स आफ़ रैफ़रेंस में कहीं भी कोई ऐसी भावना प्रदर्शित होती है कि वह पुलिस के निर्माण में, पुलिस के संगठन में इस मूलभूत सिद्धान्तिक परिवर्तन को कर दे कि वह जनता की भक्षक न बन कर रक्षक बने, जनता की सद्भावना उसको मिले और जनता तथा पुलिस के बीच जो खाई है वह बजाय बढ़ने के पटने की ओर आगे बढ़े।

मैं माननीय वर्मा जी से बड़ी नम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके उन टर्म्स आफ रैफ़रेन्स में कोई ऐसी बात है कि जिसके आधार पर पुलिस के दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन हो सके और वह जन सहयोग प्राप्त करे--मैंने भी उन टर्म्स आफ रिफरेन्स को पढ़ा है, मैं निश्चय-पूर्वक कह सकता हूं कि उनमें प्रकट अथवा अप्रकट रूप से कोई ऐसी बात नहीं है। चाहे आप उनकी तनख्वाह बढ़ायें या उनके घोड़े का अलाउन्स कम करें या ज्यादा करें, उनकी वर्दी काली रखें या पीली रखें ये साधारण बातें हैं। मूलभूत सिद्धान्त के आधार पर टर्म्स आफ रैफ़रेंस में स्पष्ट रूप से इसका जिक्र होना चाहिये था कि जिससे पुलिस का दृष्टिकोण इस प्रकार बदले कि पुलिस शासनवर्ग की रक्षा के लिये नहीं है, वह जनता की रक्षा के लिये है, वह जनता में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये है।

जब तक ऐसे सैद्धान्तिक परिवर्तन वाले टर्म्स आफ़ रेफरेन्स का समावेश नहीं होता तब तक माननीय अवस्थी जी का प्रस्ताव अपनी जगह पर ठीक है। मान भी लिया जाय कि उस कमीशन को यह अधिकार दिया गया है कि उन टर्म्स आफ रैफ़रेन्स के बाहर भी जो सुझाव वह कमीशन सरकार को देना चाहे वह दे सकता है, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि फिर भी आज के इस विवाद से कमीशन का मार्ग सुगम ही होगा और कमीशन को बहुत से सुझाव ऐसे मिलेंगे कि जिनसे कमीशन एक सही नतीजे पर पहुंच सके और पुलिस विभाग में उचित परिवर्तन लाने वाले सुझाव हमारे प्रदेश के सामने रख सकें। मैं समझता हूं कि किसी भी दशा में माननीय अवस्थी जी का प्रस्ताव एक ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में कभी भी दो राय हो सकतीं। माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव की आवश्यकता थी और वह ठीक समय पर आया और उसे पास होना चाहिये।

विकेन्द्रीयकरण के बारे में सरकारी पक्ष की ओर से कुछ बातें कही गयीं। हमारे प्रदेश में पंचायत राज विभाग है। उसे कोई शक्ति नहीं दी गई है कि जिसके द्वारा वह ग्रामों में अपनी

[श्री देवनारायण भारतीय]

कार्यशैली को सुचारु रूप से चला सके। मैं चाहता हूं और मेरा यह सुझाव है कि ग्राम पंचायत और न्याय पंचायतों के स्तर पर पहला पुलिस का संगठन होना चाहिये। आजकल ग्राम में चौकीदार पुलिस का एक अंग माना जाता है और उसे ५ रुपया मासिक वेतन मिलता है, लेकिन क्या यह बात हमारे लिये हास्यास्पद नहीं है, क्या वह हमारे लिये लज्जा की बात नहीं है? इस बात को जानकर दूसरे प्रगतिशील देशों के लोग क्या कहते होंगे कि ऐसा भी हमारे यहां की पुलिस का एक कर्मचारी है और वह गांव की रक्षा करता है जिसको केवल ५ रु० मासिक वेतन सरकार से दिया जाता है।

मैं चाहता हूं कि उसका वेतन ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों की आमदनी के आधार पर निश्चित किया जाय और जिला पंचायतों को जो अधिकार दिये जाने का विधेयक आने वाला है उसमें दी गयी शक्ति के अनुसार वे उस रक्षक या चौकीदार की नियुक्ति करसकें और उसको रखने या निकाल देने का पूरा अधिकार उन पंचायतों को होना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम में एक रक्षा समिति बने और जो व्यक्ति ग्राम सभाओं की ओर से रखा जाय वह उन समितियों का नेता माना जाय। उसे हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाय और उसके द्वारा ग्रामों में ऐसा संगठन कायम किया जाय कि वहां किसी प्रकार का अशांतिकारी आतंक न फैल सके। जब तक पुलिस का वर्तमान ढांचा रहता है तब तक हम इस प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। यह तभी हो सकता है कि जब ग्राम स्तर पर पुलिस की रचना हो और पूरा अधिकार ग्राम पंचायतों को हो।

इसी प्रकार, माननीया, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जिला स्तर पर भी हमें पुलिस में परिवर्तन करना होगा। हमारे सरकारी पक्ष के एक सदस्य ने पुलिस के तीन काम बतलाये—प्रोटेक्शन, इनवेस्टीगेशन और प्रासीक्यूशन। मैं यह उचित समझता हूं कि प्रोटेक्शन का काम ग्राम सभाओं को दे दिया जाय और जहां चुंगी और टाउन एरिया हैं, वहां चुंगी और टाउन एरिया को दे दिया जाय। जो इनवेस्टीगेशन और प्रासीक्यूशन का काम है वह जिला काउन्सिलों के मातहत एक पुलिस के संगठन के द्वारा कराया जाय और उसमें प्रासीक्यूशन के मातहत या उसकी एक सहायक संस्था बना कर उसके द्वारा इनवेस्टीगेशन कराया जाय। इस तरीके पर पुलिस के काम को जिला काउन्सिलों और ग्राम सभाओं में बांटा जाय और ऐसा करने पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि जो आज की स्थिति के सर्वथा विपरीत होगी और उससे जनता और पुलिस के बीच की जो खाई है वह पटेगी और पुलिस जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेगी।

प्रान्तीय स्तर पर आप ऐसी पुलिस रख सकते हैं कि जो आर्म्ड हो, घुड़सवार हो और जिसे आवश्यकता पड़ने पर, जहां जरूरत हो, काम में लाया जा सके। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार बिला वजह एक दूसरा संगठन फौज के आधार पर सूबेभर में कायम रखना ठीक नहीं और इससे एक ग़लत आतंक जनता के हृदय पर पड़ता है और इससे बजाय इसके कि सरकार को कुछ सहायता मिले सरकार के विपक्ष में एक धारणा पैदा होती है। मैं, माननीया, यह कह सकता हूं कि आज इस कांग्रेस शासन को प्रायः १३ वर्ष हो चुके हैं और धीरे-धीरे कांग्रेस की तरफ से जो जनता का विश्वास उठता जा रहा है उसका कारण पुलिस का अनैतिक आचरण भी है, उसमें पुलिस का भ्रष्ट आचरण भी एक हिस्सा रखता है, जो इन १३ वर्षों में जनता के प्रति पुलिस द्वारा व्यकृत हुआ।

मैं समझता हूं कि अगर अब पहले हमारा कांग्रेसदलीय शासन वर्ग उस पर विचार करता और उस सम्बन्ध में एक कमीशन बनाता और पुलिस के उसूलों में परिवर्तन करता तो सम्भव है कि आज उसे जो विश्वास कांग्रेस के प्रति जनता में उठ गया है वह कायम रहता। "देर आयद दुरुस्त आयद" कहावत के अनुसार आज भी जो होने जा रहा है, वह ठीक है। आज आपको यह बात सूझी है कि जनता का विश्वास पुलिस पर से यहां तक उठ गया है कि जनता वर्तमान पुलिस संगठन की अपेक्षा अराजकता (एनार्की) को पसन्द करती है और उसको बेतहर

समझने लगी है। कोई भी पुलिस हमारे यहां न रहे; जनता इसको अच्छा समझती है, बजाय इसके कि वर्तमान पुलिस को कायम रखा जाय।

आज जितने जरायम हैं, उनकी रचना थानों के अन्दर होती है। जितने नाजायज असलाह हैं वे थानों के अन्दर ही जमा रहते हैं और जिस व्यक्ति को वे चाहते हैं उसको वे वह हथियार थमा कर बन्द कर देते हैं। आज जितनी नाजायज नशीली अथवा गैरकानूनी चीजें बिकती हैं उसमें पुलिस का हाथ होता है। आज जितनी चोरियां, डकैतियां होती हैं उन सबका ज्ञान पुलिस को रहता है और जो सही अपराधी होते हैं वे पुलिस की सहायता से बच जाते हैं तथा दूसरे निरपराध लोग पकड़ लिये जाते हैं जिनसे पुलिस वाले पहले से नाराज रहते हैं अथवा उनसे पैसा मिलने की आशा रखते हैं। आज न्याय और शान्ति-व्यवस्था हमारे प्रदेश की ऊपर से लेकर नीचे तक अस्त-व्यस्त हो रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय अवस्थी जी के सुझाव को ध्यान में रख कर पुलिस का जनतांत्रिक ढंग से विकेन्द्रीयकरण करें और उसको जिला स्तर पर जिले के अधीन और ग्राम स्तर पर गांव के अधीन करें। प्रान्त के स्तर पर जितनी पुलिस की आवश्यकता होती है, जितने आप के बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी हैं इनको हटाकर एक ऐसा प्रान्तीय दल संगठित रखें जिसका आवश्यकता पड़ने पर प्रान्त भर में कहीं पर भी उपयोग किया जा सके।

मैं एक बात और प्रासीक्यूटिंग इन्सपेक्टर्स के बारे में कहना चाहता हूं। उधर से सरकारी पक्ष के एक सज्जन ने कहा था कि प्रासीक्यूटिंग इन्सपेक्टर्स को ऐसा अवसर दिया जाय कि वे सेशन कोर्ट में डी० जी० सी० की जगह पर काम कर सकें। मैं उसका समर्थन करता हूं। आज प्रायः सभी प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर्स बी० ए०, एल० एल० बी० हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रासीक्यूटिंग इन्सपेक्टर की हैसियत से लोअर कोर्ट में काम करते हैं और आगे मेरे सुझाव के अनुसार इन्वेस्टीगेशन भी करेंगे अगर यह काम भी उनके हाथ में होगा तो सेशन में मुकदमें पहुंचने पर वे ज्यादा सफलता के साथ पैरवी कर सकेंगे और चूंकि इन्वेस्टीगेशन के मौके पर वे ही गवाहियां व बयान आदि लिखेंगे, गवाह इकट्ठे करेंगे और अगर सेशन कोर्ट में पैरवी भी वे ही करेंगे तो ऐसा नहीं हो पायेगा कि गवाह सेशन कोर्ट में आकर बदल जायं और मुकदमा छूट जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि इनको ही डी० जी० सी० का कार्य करना चाहिए। क्योंकि यह लोअर कोर्ट्स में काम करते हैं, इनको काफी अनुभव होता है। इनको सेशन कोर्ट में पैरवी करने का काम भी दिया जाय ताकि उनके अनुभव से जो वे लोअर कोर्ट में काम करके प्राप्त कर चुके होंगे उससे फायदा उठाया जा सके। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय अवस्थी जी के सकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैंने बड़े ध्यान से मोती लाल जी के इस संकल्प पर सदन में व्याख्यान सुने। मैं समझता हूं कि अवस्थी जी के इस संकल्प में जिस तरह की सुन्दर शब्दावली है उसकी तो सराहना होनी ही चाहिये लेकिन मेरा अनुमान यह है कि अवस्थी जी ने अपना वह प्रस्ताव उस समय भेजा था जब हमारे प्रदेश के सामने पुलिस के सम्बन्ध में कमीशन जो स्थापित किया है उसकी घोषणा नहीं हुई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---ऐसा नहीं है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---अगर ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूं अवस्थी जी ने भूल की है कि उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। इसलिये अभी भाई मदनमोहन जी ने जिस तरह से विश्लेषण किया है, जिस कमीशन को पुलिस के पुनर्निर्माण के लिये या उसका स्ट्रक्चर बदलने के लिये अधिकार दिये गये हैं, मैं समझता हूं कि वह सारी मांगें जो मोतीलाल जी ने इस प्रस्ताव में रखी वे उसमें आती हैं और इस तरह से मोतीलाल जी का यह संकल्प नामुनासिब हो जाता है।

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

मालूम होता है कि उन कमीशन के रेफरेन्स के पढ़ने के बाद मोती लाल जी को यह बात सूझी कि हम इसका श्रेय ले लें कि हम गवर्नमेन्ट से कह दें कि पुलिस में इस तरह का परिवर्तन करें कि पुलिस में सुधार हो जाय ।

सच बात तो यह है कि जिस तरह का रेफरेन्स उस कमीशन को दिया गया है, उसके बाद सदन का यही काम था कि अपने सुझाव उस कमीशन को देता और कमीशन उन पर गौर करता कि पुलिस का किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिये, क्या संशोधन होना चाहिये, क्या खामी है, कैसे वह पूरी की जा सकती है, पुलिस कैसे जनता के लिये लोकप्रिय हो सकती है--इस तरह के सुझाव होने चाहिये थे आज इस संकल्प के बाद, विवाद को मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैंने आमतौर से देखा कि विरोधी दल के लोग जितने बोले वह ऐसा मालूम पड़ा कि वह पुलिस के बजट पर बोल रहे हैं। कभी उन्होंने यह कहा कि पुलिस में बड़ा भ्रष्टाचार है--एक फैशन हो गया है भ्रष्टाचार की दुहाई देने का और साथ ही साथ यह भी फैशन हो गया है कि हर बात के लिये यह मांग की जाय कि कमीशन नियुक्त कर दीजिये। कमीशन सचमुच नियुक्त किया हुआ है और उसे जो आदेश दिये हुये हैं जिसके द्वारा पुलिस का सुधार होने वाला है, तो यह संकल्प क्या मानी रखता है, यह समझ में नहीं आता है ।

कहा गया कि पुलिस तो जरायम करवाती है और पुलिस के द्वारा ही चरस, शराब बिकती है या वह चश्मपोशी करती है। इससे कौन इनकार करता है ? लेकिन उस सारे मर्ज की दवा करने के लिये ही यह इन्तजाम हुआ है और पुलिस के इस तरह के ढंग बदलने की बात आज गृहमंत्री के ध्यान में आयी है। वह चाहते हैं कि १८५७ के उस राष्ट्रीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपने मतलब से पुलिस ऐक्ट बनया था उसमें संशोधन करने के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत प्रयास हुये और जब हमारे गृह मंत्री को मालूम हुआ कि "मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की" तो अन्ततोगत्वा उन्होंने निश्चय किया कि एक कमीशन की स्थापना करें और वह स्थापना हो गयी और मैं समझता हूं कि उससे वे वांछित फल निकलेंगे जिनकी हम आशा कर रहे हैं।

आपने देखा कि पिछले दिनों पुलिस को सुधारने के लिये क्या नहीं किया गया। पुलिस की भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रयास हुआ, अच्छे पढ़े-लिखे चतुर युवक उसमें लिये गये और उसमें विशेषता यह थी कि जो लोग राष्ट्रीय विचारों के हैं, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है उनको भी अवसर दिया गया कि वह भी पुलिस में आकर देश की सेवा कर सकें। लेकिन सच बात तो यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस में परिवर्तन हो नहीं पाया। परिवर्तन न होने का एक ही कारण मालूम पड़ता है कि पुलिस में परिवर्तन तभी आयेगा जब हमारे समाज के संगठन में परिवर्तन हो, उसकी विचारधारा में परिवर्तन हो।

हमारे समाज के ढांचे में जब तक परिवर्तन न हो तब तक पुलिस में भी कोई परिवर्तन उपयोगी नहीं हो पायेगा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार की समाजवादी ढंग की समाज बनने का प्रयास हो रहा है, कांग्रेस का समाजवाद का जो लक्ष्य है, उसके अनुकूल कांग्रेस की सरकार की ओर जो कमीशन नियुक्त हुआ है, वह उन सब चीजों को सामने रख कर विचार होगा। मैं समझता हूं कि जो कमियां आज पुलिस में दिखायी पड़ रही हैं, जिनका जिक्र माननीय देव नारायण जी ने किया और बंशीधर जी ने कहा कि पुलिस को समाप्त कर दिया जाय, पुलिस को खत्म कर देने से क्या अपनी रक्षा आप अपने आप कर सकेंगे ? अगर ऐसा हो सकता होता तो मैं भी इसका स्वागत करता। लेकिन आजकल के संसार में यह बात नहीं हो सकती। आज लोग रोज सिनेमा जाते हैं और वहां तरह तरह की बातों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इसलिये आज के युग में पुलिस का रहना अनिवार्य है। हां, पुलिस को जनप्रिय होना चाहिये। उसके कृत्य ऐसे होने चाहियें जिनसे वह जनता की प्रिय बन सके। मुझे आशा है कि जो कमीशन नियुक्त किया गया है, उससे मनोवांछित फल निकलेगा। इन शब्दों के साथ, मैं मोती लाल जी अवस्थी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---माननीया, जो प्रस्ताव अवस्थी जी ने पेश किया है, मेरा अपना विचार है कि यह प्रस्ताव उस समय ज्यादा कारगर होता जबकि पुलिस कमीशन की नियुक्ति नहीं हुई थी। क्योंकि अभी वर्मा जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि उसके टर्म्स आफ रैफैरैन्स में भी करीब-करीब वे सभी बातें हैं जो इस प्रस्ताव के द्वारा अवस्थी जी चाहते हैं, उनकी इस भावना से किसी भी मेम्बर की दो रायें नहीं हो सकतीं। मेरा अपना स्पष्ट विचार है कि मौजूदा पुलिस समाज के जनवादी ढांचे के सर्वथा अनुपयुक्त है। लेकिन मैं इस बात को भी नहीं समझ सका कि पुलिस को बिलकुल तोड़ दियाजाय। मैं समझता हूं कि यह विचार बिलकुल गलत है। हां, एक आदमी ने, मदान मार्क्स एंगेल्स ने, अवश्य इस बात की कल्पना की थी कि जब कि इस राज्य की बिलकुल आवश्यकता ही न होगी, राज्य विदर अवे कर जायगा, मुरझा जायगा और राज्य के चार खंभों--फौज, पुलिस, जेल और कचहरी--की आवश्यकता ही न रहेगी। उसके स्थान पर वालन्टरी एसोसियेशन्स की संस्थायें रह जायंगी। लेकिन यह राज्य के मुरझा जाने की अवस्था दूर भविष्य की चीज है, वह आज की चीज कभी नहीं हो सकती। इसलिये आज यह सोचना कि पुलिस की कतई जरूरत नहीं है, एक गलत विचारधारा है।

मौजूदा सरकार जिस पार्टी के हाथ में है, अर्थात् कांग्रेस पार्टी के हाथ में जो सत्ता आयी वह अंग्रेजों के हाथ से आयी। लेकिन यह सत्ता का हस्तान्तरण बगैर किसी क्रांतिकारी परिवर्तन के हुआ, केवल सुधारवादी, समझौतेवाद के रास्ते से हुआ। क्रांति और समझौते के रास्ते में एक बुनियादी फर्क हुआ करता है। क्रांति दो कामों को एक साथ ही करती है--विध्वंस और नवनिर्माण अर्थात् सृष्टि। वह पुराने राज्य के ढांचे को तोड़ती है और दूसरी ओर उस क्रांतिकारी शक्ति की रहनुमाई में नये ढांचे का निर्माण होता है। ये दोनों प्रोसेस साथ-साथ ही चलते हैं। चाहे तो वह क्रांति फ्रांस में हुई हो, सोवियत यूनियन में हुई हो, या किसी कम्युनिस्ट देश में हुई हो, उसमें ये दोनों बातें पायी जाती हैं। क्रांति के द्वारा जब एक वर्ग के हाथ से सत्ता छीन कर दूसरे वर्ग के हाथ में दे दी जाती है तो पुराने ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाता है और एक नया ढांचा बनता है। ऐसा उस समय नहीं होता जब कि एक ही वर्ग के एक स्ट्राटा से सत्ता उसी वर्ग के दूसरे स्ट्राटा के हाथ में जाती है। लेकिन जब बुनियादी क्रांति होती है, अर्थात् वर्ग क्रांति होती है, तो राज्य का ढांचा टूटता है। और नया ढांचा स्थापित होता है। संसार का इतिहास यही हमको बतलाता है।

मौजूदा सरकार के हाथ में जो हुकूमत आयी वह इस बात से नहीं आयी कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी क्रांति हुई जिससे अंग्रेजी सरकार का बनाया हुआ ढांचा चकनाचूर हुआ और उसकी जगह क्रांति के दौरान में, क्रांति के संचालन और नियंत्रण के लिये जो नया यंत्र बना है, वह यहां पर प्रतिपादित हुआ और प्रतिष्ठित हुआ, ऐसी बात कोई नहीं हुई। बनी बनायी एक स्टेट मशीनरी ऊपर से नीचे तक हमारी हुकूमत की पार्टी को अंग्रेजों से हासिल हुई। इस तरह से यदि देखा जाय तो जो चीज पहले थी उसी रूप में वह मौजूदा सरकार के हाथों में आयी। इस बात को हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा।

उसी तरह से जब इस सरकार ने और उसकी पार्टी ने इस बात को तय कर लिया था कि देश में जनवादी ढांचेको चलाना है,प्रजातंत्र के नियमों के अनुसार हुकूमत को चलाना है,तो बुनियादी तौर पर इनको अनेक आवश्यक कदम उठाने चाहिये थे। ये अगर चाहते हैं कि उस तरफ बुनियादी कदम उठावें और जो मौजूदा जनजीवन का ढांचा है उसमें परिवर्तन करें तो उसे जनवादी ढांचे के अनुरूप करने के लिये पहले पुलिस के अन्दर परिवर्तन करना जरूरी है। इसके लिये इन्हें बहुत पहले कदम उठाना चाहिये था, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने पुलिस कमीशन बनाना तय किया है, यह बड़ी अच्छी बात है और इसके लिये सरकार की और मंत्री जी की जितनी प्रसंशा की जाय, वह कम है। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि १२,१३ वर्ष बीत जाने के बाद एक कदम उठाया गया है, वह बहुत बड़ा कदम है। देर से ही सही लेकिन एक कदम उठाया गया है।

[श्री झारखंडेराय]

दो-तीन बातों के विषय में मैं चाहूंगा कि उन पर पुलिस कमीशन विचार करे या माननीय मंत्रीजी विचार करें और उनका कुछ तरीका निकाला जाय। पुलिस "हैव्ज और हैव-नाट्स" शोषक और शोषित की लड़ाई, सम्पत्तिवादी और सम्पत्तिहीन के बीच में जो अनवरत संघर्ष आजकल चल रहा है, उसमें हमेशा सम्पत्तिवादी वर्ग के सहायक के रूप में खड़ी दिखाई पड़ती है। अंग्रेजों के जमाने से ही वह उनके ही सहायक के रूप में रहती आयी है। चाहे देहाती क्षेत्र सामन्तवादी वर्ग और किसानों के बीच में संघर्ष हो, चाहे शहरों के पूंजीपतियों और मिल मालिकों, कारखानेदारों और उनके मजदूरों के बीच में संघर्ष हो, सब में वह पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी दिखलाई पड़ती है।

शायद ही एक कोई अपवाद हो जहां पुलिस शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग के हिफाजत के लिये खड़ी हुई हो। यह धारणा हमारे देश और प्रदेश के जनजीवन में व्याप्त है कि पुलिस गरीबों की साथी नहीं है। इस बात को खत्म करना होगा और इसके लिये पुलिस कमीशन को बहुत बड़ा प्रयास करना होगा और कोई तरीका निकालना होगा जिससे जनता के अन्दर से धीरे-धीरे यह बात जो व्याप्त है, वह दूर हो और आज जो चीज चल रही है उसको खत्म करके वह जनता का विश्वास प्राप्त करे कि पुलिस गरीबों की सहायक है। पुलिस से यह भी नहीं होता कि जहां कहीं संघर्ष होता है वहां वह तटस्थ ही रहे। अगर कहीं दो आने मजदूरी बढ़ाने के लिये और अपनी जिन्दगी की बेहतरी के लिये मजदूर संघर्ष करते हैं तो पुलिस हमेशा उसके खिलाफ पिल पड़ती है। इसका निर्मूलन होना चाहिये, जनवादी ढांचे की सफलता के लिये यह निहायत जरूरी चीज है।

दूसरी बात है पुलिस के आंतक का रुख। पुलिस को देख कर कोई गरीब आदमी या कोई त्रस्त आदमी यह नहीं समझता कि पुलिस हमारी रक्षक है लेकिन आज सचमुच जिनका जनता से गहरा सम्पर्क है, मंत्रियों का हम लोगों से अधिक सम्पर्क जनता से नहीं है, हो सकता है कि कल को हम भी मंत्रियों के स्थान पर पहुंच जायं तो वह न रहे लेकिन आज यह सत्य है कि उनका सीधा सम्पर्क हम से कम है। हम महसूस करते हैं कि आज की पुलिस को यहां की जनता अपने रक्षक के रूप में नहीं देखती। कुछ पुरानी परम्परा है और कुछ आज का भी रवैया है कि आज जनता उनको रक्षक के रूप में न देखकर उनको आंतक की भूति या सिम्बल समझती है, जिस तरह से कि बिना मिन्नत और पूजा के देवता प्रसन्न नहीं होता वही हाल पुलिस का है। जो देवता जितना बड़ा होगा उसकी उतनी ही बड़ी पूजा होनी चाहिये। तो इस आंतक के रूप की समाप्ति की बात भी कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस में होनी चाहिये और वह इस पर भी विचार करे।

अब विकेन्द्रीयकरण की बात आती है। यह बहुत लम्बा विषय है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि पुलिस न रहे। इस बात को मैं नहीं सोच पाता और यह भी मैं अभी नहीं सोच पाता कि पुलिस का पूरा ढांचा ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जाय, यह अभी अव्यावहारिक है और न इसका कोई सामंजस्य हमारी मूल व्यवस्था से है। इस दिशा में तो क्रमशः ही कदम बढ़ाया जा सकता है। मैं माननीय अवस्थी जी से कहूंगा कि पूर्ण क्रांति के बाद यदि स्वाधीनता आती तो फिर इसकी आवश्यकता ही न होती। यह तो अब हो नहीं सकता कि देश फिर से गुलाम हो, क्रान्ति हो और विध्वंस हो और फिर इतिहास उल्टा जाय और तब स्वाधीनता फिर आये। अब तो जो है वह है; इसी में हमें परिवर्तन की तरफ बढ़ना है और क्रमशः ही हम पुलिस में विकेन्द्रीयकरण ला सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं अन्त में दो सुझाव और देना चाहता हूं। एक तो जो पुलिस का प्रारंभिक कंट्रोल है, जैसे देहातों में पुलिस के अधिकारों को थोड़ा सीमित करने के लिये उसके समानान्तर कोई चीज ग्राम पंचायतों को रिपोर्ट देने का थोड़ा अधिकार देकर की जाय, उस रिपोर्ट का भी पुलिस की रिपोर्ट के अलावा कोई मूल्य ऊपर के अधिकारियों की निगाह में हो। इस तरह का कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि जैसे कोई जुर्म चोरी, कत्ल या डकैती का होता है तो उसमें पुलिस रिपोर्ट के अलावा ग्राम पंचायतों की भी रिपोर्ट हो और उन दोनों पर गौर हो, दोनों का

कोई लिएजों—सम्बन्ध हो, दोनों रिपोर्ट साथ रहें, जो अधिक सही मालूम हो उसी को आगे बढ़ाया जाय। इस प्रकार के कदम पर भी पुलिस कमीशन विचार करे।

दूसरा सुझाव अभी चाहे प्रयोगात्मक रूप से ही माना जाय, वह यह है कि पांचों कवाल टाउन्स में या अभी सब में मंत्री जी अव्यावहारिक समझते हों तो केवल लखनऊ में ही एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर एक कदम उठावें कि पुलिस को कार्पोरेशन के हाथ में दें। इस शुभ काम का प्रतिपादन लखनऊ से ही आरम्भ हो या वाराणसी के लिये भी कोई एतराज न होना चाहिये कि वहां के कार्पोरेशन के अन्डर में पुलिस दी जाय और फिर कम्पेरेटिव स्टडी इस बात की की जाय कि जरायम जो पिछले चन्द सालों में हुये हैं उनके मुकाबले में इस परिवर्तन के करने पर जरायम की क्या हालत रहती है, देखा जाय कि शक्ति के हस्तान्तरण से क्या अन्तर होता है और उसके फल को देखकर हम अपना आगे का कदम भी उठा सकते हैं।

अन्त में एक बात की ओर मैं आपका और सदन का ध्यान और आकर्षित करूंगा कि विधायकों के द्वारा पुलिस के काम में जो अड़चन पड़ती है, जो रुकावट पड़ती है, उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह चीज भी कमीशन के टर्म्स आफ रैफरैंस में होनी चाहिये कि विधायकों द्वारा जो पुलिस के रोज के काम में हस्तक्षेप होता है, सिफारिशवाद चलता है, उसका भी अन्त होना चाहिये वरना यह पुलिस जितनी करप्ट है उससे अधिक हो सकती है, जितना आंतक का रूप आज है वह बढ़ सकता है, गरीब और अमीर में वह अमीर की जितनी साथी आज है उससे ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिये हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में भी पुलिस कमीशन विचार करे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठात्री महोदया, जो डिबेट हाउस में हुई उसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। एक बात के मुताल्लिक मैं केवल कह देना चाहता हूं कि संकल्प जो सदन में उपस्थित है उसके बाहर और जो टर्म्स आफ रैफरैंस पुलिस कमीशन को भेजे गये हैं उसके बाहर इस सदन में कही गई जिसको नहीं कहना चाहिये था उसके ऊपर कोई बात ही हो सकती है कि पुलिस को रखा जाय या नहीं। यह न तो टर्म्स आफ रैफरैंस में रखा गया है और न उस संकल्प में ही जो सदन में पेश किया गया है।

जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है, मैं उसको उस प्रकाश में नहीं देखूंगा कि जो टर्म्स आफ रैफरैंस का है क्योंकि टर्म्स आफ रैफरैंस इस सदन में पेश नहीं किये गये हैं। अगर उसके लाइट में इग्जामिन करने की जरूरत थी तो पहले उन टर्म्स आफ रैफरैंस को इस सदन में पेश होना चाहिये था। इसलिये मैं अपनी डिबेट को वहीं तक सीमित रखूंगा जहां तक यह संकल्प है।

जहां तक प्रश्न पुलिस का है, हमें यह अच्छी तरह से मालूम है कि सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में अपने आप को मजबूत बनाने के लिये; बरतानियां ने तीन चीजों का संचालन किया था एक पुलिस, दूसरा ब्रिटिश सिस्टम आफ जस्टिस और तीसरा आर्थिक नीति का संचालन। आर्थिक नीति का निर्माण इस तरह से किया गया कि देशवासी प्रास्पेरस न हो पावें; मरने वाले मर न सकें और जीने वाले ताकतवर न बन सकें। इस प्रकार की आर्थिक नीति बनाई गई कि उसका लाभ बरतानियां को हुआ। उस संस्कार में जिस पुलिस का जन्म हुआ, जिसको उस सिस्टम में डाला गया और जिसकी ट्रेनिंग उस ध्येय को हल करने के लिये की गई, उसको हमें बदलना है। अब हमें बरतानियां के हितों की रक्षा इस देश में नहीं करनी है। हमें अपने देशवासियों के हितों की रक्षा के लिये, इस देश में शांति बनाये रखने के लिये, पुलिस का संगठन करना है।

आज हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब समय आ गया है कि जब हमें उसमें तब्दीली करनी है। जो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं वे सदन को बतावें कि पुराने जमाने की पुलिस जो बरतानियां को मजबूत बनाने के लिये थी क्या उसको और उन पुराने काननों को खत्म करने

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

की जरूरत नहीं है। हमें उनकी जगह ऐसे कानूनों की जरूरत है जो हमारे देशवासियों के हितों का सम्पादन कर सकें। हो सकता है कि कुछ हद तक कानूनों से हमारी रक्षा हो सकती हो। लेकिन जितनी भी सरविसेज थीं वे भारतवर्ष की छाती पर चढ़ी हुई थीं वे भारतवर्ष के शोषण में अंग्रेजों के साथ साझीदार थीं। आज हमें शोषण के लिये पुलिस को हकदार नहीं रखना है। अंग्रेज चले गये लेकिन उनका सिस्टम कायम है, उसको हमें खत्म करना है। उसकी जगह पर हमको मुल्क के हितों की रक्षा का कानून बनाना है। अगर इससे कोई मतभेद रखता है तो वह दिमाग से बात नहीं करता ।

मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर बड़ी दलीलें दी गईं। बहुत से भाई एक ऐसे स्वतंत्र भारत की तस्वीर का स्वप्न देखते हैं और कहते हैं कि पुलिस फोर्स का डीसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिये। इसके माने मैं समझता हूं कि जिले की हुकूमत और जिले की पुलिस अन्तरिम जिला परिषद् या अन्य स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत होनी चाहिये। जैसे म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, ग्राम सभायें हैं, इनकी अपनी-अपनी पुलिस होनी चाहिये। अगर आपका मकसद डीसेंट्रलाइजेशन से यह है तो मैं आपसे मुख्तलिफ राय रखता हूं क्योंकि एक विद्वान् ने कहा है कि हमें स्टाक आफ सिचुएशन को ध्यान में रखना चाहिये। अगर हम किसी व्यवस्था को बनाते हैं तो हमारी व्यवस्था आदर्शवादी ही नहीं होनी चाहिये। अगर हम आदर्शवादी व्यवस्था का नक्शा रख कर सदन में उस कानून को बनाते हैं जो आइडियलिस्टिक है, तो हमारे मकसद को वह हल नहीं करेगा, हमारे देश के अन्दर शांति को बनाये रख नहीं सकता बल्कि गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसलिये हमारे कानून को आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिये। आज हमारी जनता इस हालत में नहीं है, उसका दिमागी और शारीरिक विजन इतना डेवलप्ड नहीं है कि हम पुलिस को अपने कन्ट्रोल में रख कर अपने समाज और देश की रक्षा कर सकें। हमने बोर्ड्स के कैरेक्टर को देखा, उसके पर्सोनल को देखा है, जिनमें काफी कमियां हैं। यहां भाई और बिरादरी का राज्य चलता है, जितनी भी गंदी बातें हैं उनके सपोर्ट में पब्लिक ओपीनियन क्रियेट करने के लिये कोशिश की जाती है। नीट और क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन का कनसेप्शन हमारे देशवासियों के दिमाग में अभी बहुत दूर है। इस देश में इस प्रकार के विचार और भावना को अगर कोई स्थान देता है तो वह देश के साथ दुश्मनाई रखता है :

"The common problem yours, mine and everyone's is not to fancy what were fair in life provided it could be, but first finding whatmay be; then find how to make it fair up to your means a very different thing. No abstract intellectual plan of life quite irrespective of life's plainest laws but a man who is man and nothing more may lead within this world."

अगर व्यवस्था करनी है तो आपको आदर्शवादी तस्वीर को इस सदन से बाहर रखना है। जब सदन के अन्दर हमारे माननीय सदस्य आते हैं और प्रदेश की व्यवस्था पर डिबेट करते तो मैं समझता हूं उनको मुल्क की हालत देखनी चाहिये, देश की जहनियत को देखना चाहिये, रीतिरिवाज और लोगों की कमियों को देखकर इस सदन में बात करनी चाहिये।

हम जानते हैं कि इंसान खुदा हो सकता है लेकिन ३६ करोड़ भारतवासियों को खुदा नहीं बनाया जा सकता। कमियां थीं, आज हैं, रहेंगी। हम उनको अच्छी शासन व्यवस्था द्वारा कम कर सकते हैं । इसलिये हमारे प्लान्स केवल इंटेलेक्चुअल नहीं होने चाहियें जो वस्तुस्थिति से बहुत दूर उड़ान लेते हों। हमें इस भूमि पर चलने की बात करनी चाहिये । हमें उस किसान की बात सोचनी चाहिये जिसने हमें वोट देकर सदन में बैठाया है । जो भूखा और नंगा है वह चोरी करेगा ही । हमारा धर्म इस बात का आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर हर प्राणी को अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिये। इसलिये जिस देश का धर्म इस तरह का आदेश देता हो कि प्रत्येक देशवासी हर कीमत

पर अपने को जिन्दा रख सकता है तो हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि देश के हर प्राणी को जिन्दा रखने के लिये ऐसी व्यवस्था उसे करनी चाहिये जिससे उसके पास जीवन-यापन के साधन उपलब्ध हों । अगर वह नहीं कर सकती तो यह कमियां हमारी सरकार, हमारे समाज के अन्दर हैं ।

जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको मुल्क के भविष्य की बात सोचनी चाहिये अगर वे इस बात को नहीं सोचते तो वे सेल्फ-डिफीटेड हैं । वे जीत नहीं सकते जिनके पास भविष्य का नक्शा अपने देश का नहीं है और वह कौम तरक्की नहीं कर सकती । आज साइंटिफिक डेवलपमेंट की ऐज है । हमें हर बात एक प्लांड तरीके से सोचना है । मैं फ्यूचर के प्लानिंग की बात कह रहा हूं । हमें पुलिस को बनाना होगा उसी ढाँचे में जो कि हमारे देश की जनता का हित कर सके, उसकी जरूरतों की पूर्ति कर सके और भविष्य के आने वाले जमाने में हमारी पुलिस हमारी सहायता कर सके ।

कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर prevention is bettr than cure । मर्ज की दवा करना थर्ड क्लास के लोगों का काम है । होशियार वे हैं जो उस मर्ज को, उस बुराई को पैदा ही नहीं होने देते और उसका प्रिवेंशन कर देते हैं । मुल्क के अन्दर उस कमी को आने से रोकते हैं जिससे मुल्क का अनहित होता है । इसलिये सबसे पहले हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस विंग है उसमें अच्छे एक्सपर्ट होने चाहिये, ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग उसमें होनी चाहिये ताकि उसकी सर्विसेज रिएक्टिवल हो सकें जब तक आप उसको रिस्पेक्टिबिल सर्विस नहीं बनाते तब तक वह आपके भविष्य की रक्षा नहीं कर सकती, आपके देश की रक्षा नहीं कर सकती और न उसमें सहायक बन सकती है ।

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि जो चौराहे पर पुलिस का कांस्टेबिल होता है उसको ३० रुपये तनख्वाह और २० रुपये महंगाई मिलती है और इतनी ऊंची कीमतों पर उसे अनाज खरीदना पड़ता है । फिर अनाज खरीदने के लिये क्यू में खड़ा होना पड़ता है । सरकार की ओर से कोई वैसी ही व्यवस्था पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये होनी चाहिये जिस प्रकार कि रेलवे विभाग अपने कर्मचारियों के लिये खाने पीने के प्राविजन्स की व्यवस्था करता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय मोती लाल जी अवस्थी के संकल्प पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आज का विषय जहां तक मैं समझ पाया हूं, यह है कि यह आलोचना का विषय नहीं है । बल्कि शायद इसका दृष्टिकोण यह है कि जो पुलिस कमीशन में कारगुजारी होने जा रही है उसमें ऐसे सुझाव दिये जायं जिनसे उसके काम में चार चांद और लग जायं और जो तजवीजें उसकी हों उनके द्वारा इस प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता को निश्चित ही लाभ पहुंचे । अगर आज के विषय पर मंत्री जो इतनी तकलीफ और गवारा करते कि जो पुलिस उच्चाधिकारी है वह जिस तरफ से पुलिस ग्रांट पर सामने की गैलरी में विराजमान थे आज भी मौजूद रहते, हमारे और उनके यानी दोनों के नोट्स कमीशन के पास पहुंचते तो और ज्यादा लाभ होता । हमें अफसोस है कि वह लोग मौजूद नहीं हैं ।

एक बात माननीय हरीसिंह जी ने कही थी कि राजनारायण जी शोषक वर्ग के खानदान के सदस्य हैं और हमें भी ऐसा ही लगता है । मालूम हुआ कि राजनारायण जी ने हरी सिंह जी का शोषण किया तो वह तन्दुरुस्त हो गये और वह काले हो गये । एक बात देखने की है कि जितना भी पुलिस का ऊपर से नीचे तक ढांचा है उसमें दो प्रकार के अनुशासन हैं । एक और अनुशासनहीनता है और दूसरी ओर अधिकारियों के प्रति बड़े अनुशासक हैं, यदि किसी कांस्टेबिल के पैर में आवाज हुई तो आई० जी० तक वही आवाज होगी । लेकिन अनुशासनहीनता यहां तक है कि कोतवाली के १०-५ कदम पर आगे पीछे, ऊपर-नीचे

[श्री शिवप्रसाद नागर]

चारों तरफ वारदातें होती रहें लेकिन वह करवट नहीं लेंगे । जनता के प्रति इस अनुशासनहीनता का क्या कारण है ? हमारी वजह से हुई है ? सरकार की वजह से हुई है ? या जनता के कारण हुई है ? ऐसा नहीं है । हमें ऐसा लगता है कि यह इसलिये हुई है कि यह पुलिस का महकमा उस समय कायम हुआ था जब अंग्रेजी सरकार को यहां पर अपने कदम मजबूती के साथ जमाने थे । यह अंग्रेजी शासन की बुनियाद की खाली ईंटें हैं । वह इमारत उजड़ गई लेकिन ये ईंटें उसी प्रकार अपनी जगह पर मौजूद हैं और जो देश की तामीर होगी वह निश्चय ही कमजोर होगी और जनता को तकलीफ होगी ।

कहा जाता है कि वर्दी नहीं बदली गई । अगर बदल जाती तो स्वभाव भी बदल जाता । लेकिन मैं समझता हूं कि कपड़े के बदलने से स्वभाव नहीं बदलता । मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जो गांधी टोपी नहीं पहनते हैं लेकिन वह उनके उसूलों पर चलने का प्रयत्न करते हैं, चाहे चल न पाते हों, और गांधी जी की दुहाई देते हैं । गांधी जी के चित्र की क्या बात है ? उनकी भावना और आचरण का प्रभाव है । लेकिन वह गांधी टोपी नहीं लगाते । इससे सिद्ध होता है कि कपड़े बदलने से भावना नहीं बदलती, आचरण शुद्ध नहीं होता । जरूरत इस बात की थी कि उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें तब्दीली होती । लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई । जिस तरह से पहले कांस्टेबिल भरती किये जाते थे और जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी वही आज भी चल रही है । केवल पेरेड में काशन तब्दील हुये हैं, यानी अंग्रेजी की जगह वह हिन्दी में हो गये हैं । बाकी कोई तब्दीली नहीं हुई है । बड़े अफसोस की बात है कि इधर से भी कहा गया और उधर से भी कहा गया है कि एक कांस्टेबिल की तनख्वाह इतनी है जितना कि घोड़े का राशन होता है इसमें कोई शक नहीं है कि किसी हद तक यह बात सही है । अगर एक घोड़े के राशन के बराबर एक कांस्टेबिल की तनख्वाह हो तो हम समझेंगे कि सारी पुलिस क कांस्टेबिल घोड़े हैं और उनकी भावना उसी प्रकार की होगी जैसी जानवर की होती है । उनके अन्दर मनुष्यता नहीं आ सकती । अगर कांस्टेबिल की तनख्वाह न बढ़ायी जाय तो कांस्टेबिलों को दो सहूलियतें दे दी जायं तो उनका बहुत बड़ा बोझ हलका हो जायगा । एक तो लड़के-बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और दूसरे उनकी दवा दारू । इसके लिए ऐसा कर दिया जाय कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर हो । तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक कम हो सकता है ।

मैंने एक कांस्टेबिल से पूछा कि तुम्हारा लड़का किस दर्जे में पढ़ता है । उन्होंने कहा कि डिग्री कालेज में । मैंने कहा कि कितना खर्चा हो जाता है । उसने कहा कि ७५ रुपये महीना लखीमपुर में खर्च करना पड़ता है । मैंने कहा कि अगर लखनऊ में भेजो । तो उसने कहा कि, सरकार, डेढ़ सौ रुपये से कम खर्चा नहीं लगेगा । इस प्रकार उसकी तमाम तनख्वाह लखीमपुर के अन्दर डिग्री कालेज की पढ़ाई में बराबर हो जाती है । हम आपसे पूछना चाहते हैं कि या तो यह है कि उसे लड़के को पढ़ाने का हक नहीं है, या अगर उसको पढ़ाने का हक है तो उसको खाने का हक नहीं है । अगर उसको पढ़ाने और खाने दोनों का हक है तो वह किसी गरीब को गर्दन पर सवार होगा और उससे अपने बच्चों को जिलायेगा । इसलिए उसके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और दवा-दारू की कोई व्यवस्था अगर कर दी जाय तो हो सकता है कि कुछ भ्रष्टाचार में कमी हो जाय ।

एक बात और कहना चाहता हूं । भ्रष्टाचार के बारे में पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ अगर शिकायत हो और भ्रष्टाचार साबित हो जाय, तो उसको थोड़ा दंड दे कर फिर रख लेना यह जनता के साथ बड़ा अन्याय है । ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार का दोषी हो, फौरन सर्विस से अलग कर देना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त अगर किसी हल्के में निर्धारित सीमा से अधिक अपराध हो जायं, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय । आज किसी भी थानेदार को यह परवाह करने की जरूरत नहीं है कि उसके यहां कितने अपराध होते हैं । वह समझता है कि मैं थानेदारी से नीचे नहीं जाऊंगा, सर्किल इंस्पेक्टर समझता है कि मैं इंस्पेक्टरी से नीचे नहीं जाऊंगा, एस० पी० का कहना ही क्या ! इसलिए कोई सीमा निर्धारित की जाय कि अगर उतनी सीमा से अधिक अपराध हो जायंगे तो उसके खिलाफ निश्चित कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

एक दफा ७ की कार्यवाही पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत होती है । जिस वक्त पर दफा ७ की कार्यवाही होती है उस समय पुलिस कप्तान सुबह से शाम तक बैठा रहता है । ऐसा मालूम होता है कि सारा इंनवेस्टीगेशन छोड़ कर पुलिस के खिलाफ ही इनवेस्टीगेशन करने लगे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर पाते । इसलिए दफा ७ को कार्यवाही के लिए पृथक न्यायालय होना चाहिए और एस० पी० को दफा ७ से बिल्कुल अलग रखा जाय। जैसे डी० वाई० एस० पी०, कंप्लेंट्स इन्कवायरी करता है, उसके ऊपर जो अदालत बने, वह अलग अदालत बनें । वह जांच करे और उसके बाद अदालत में शहादत और फैसला हो ।

किसी जमाने में थाने कायम हुए थे। जो बड़े-बड़े जमीदार थे, जो प्रभावशाली आदमी थे उन्होंने अपने यहां थाना कायम करा लिया। अधिष्ठात्री महोदया, बड़ी परेशानी मालूम होती है लखीमपुर से गोला २२ मील है, प्राविंश्यल रोड है लेकिन २२ मील तक बीच में कोई पुलिस पोस्ट नहीं। गोला से मोहम्मदी कोई २२ मील पर है, वहां भी बीच में कोई थाना नहीं है; मोहम्मदी से शाहजहांपुर २२ मील है, बीच में कोई थाना नहीं; लखीमपुर से ईशानगर ३० मील, निघासन से पलिया २४ मील, लखीमपुर से मितौली २६ मील, गोला से भीरा ३२ मील, बीच में कोई थाना नहीं और बीच में सब जंगल, ऐसे बड़े-बड़े जंगल कि जिनमें कत्ल हो जायं; तो जब तक लाशें सड़कर बदबू न करने लगें तब तक उनका पता न लगे। दूसरी तरफ परिस्थित यह है लखीमपुर से फूलबेहड़ ९ मील, वहां थाना, लखीमपुर से ओयल ७ मील--पुलिस चौकी--लखीमपुर से खीरी ३ मील--चौकी, लखीमपुर से नीमगांव १० मील--थाना, निघासन से सिंनाई ६ मील--थाना, ईशानगर से धौरहरा १० मील--थाना, भीरा से पलिया ८ मील--थाना; तो इन थानों का रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिये । कहीं-कहीं तो इतने नजदीक नजदीक थाने हैं कि एक थाने पर आप खाना खाइए और दूसरे पर जाकर पानी पीजिए, रास्ते में आपको प्यास नहीं लगेगी । कहीं तो इतने नजदीक-नजदीक हैं और कहीं इतनी दूर-दूर हैं कि एक आदमी चाहे कि यहां से चलकर उस थाने पर रपट लिखावे तो बीच में ही मार डाला जाय । ३०-३०, ३२-३२ मील तक कोई थाना नहीं और जब कि वह प्राविंश्यल रोड्स हैं । सरकारी खजाना उस पर चलता है, सरकारी कारिन्दे उस पर चलते हैं। रास्ते में लूट लिये जायं, तो उनका पता भी न चले। और यह स्थिति कोई मेरे ही जिले में नहीं है, बल्कि सारे प्रदेश में ऐसी ही स्थिति है क्योंकि जो जिस वक्त जहां प्रभावशाली था, उसने अंग्रेजी जमाने के गृह-मंत्री से कहा कि हमारे यहां एक थाना खोल दीजिए। गृह मंत्री ने कहा बहुत अच्छा, हुक्म दे दिया और एक थाना वहां खुल गया। जहां से कोई अप्रोच नहीं हो पायी वहां छोटी सी चौकी भी नहीं खुली ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हर थाने से पुलिस कप्तान के दफ्तर तक कोई टेलीफोन का सिस्टम या किसी तरह का कोई सम्बन्ध होना चाहिये। नहीं हो, तो पास की चौकी से ही इस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए ताकि खबर आसानी से पहुंच जाय। आज लखीमपुर में ही थाना है और लखीमपुर में ही चौकी है, लेकिन दोनों के बीच में कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)–अधिष्ठात्री महोदया, माननीय अवस्थी जी ने जो पुलिस प्रशासन में विकेन्द्रीकरण के लिए संकल्प उपस्थित किया है, उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। विकेन्द्रीय करण की सफलता के लिए उन्हें इतना तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि जब तक जनजीवन में चरित्रबल नहीं आ जायगा तब तक विकेन्द्रीकरण सफल नहीं हो सकता और इस विकेन्द्रीयकरण की सफलता के लिए विनोबा जी ने अपने भूदान यज्ञ के द्वारा यह कहा। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या यह सम्भव है कि आपके इस तरह के भूदान यज्ञ आन्दोलन से जमीन जन-जन में बंट जायगी या गरीबों तक पहुंच जायगी । तो उन्होंने कहा था कि हम अपने विचार प्रवाह द्वारा ऐसी प्रवृत्ति लोगों में डालना चाहते हैं कि जमीन को बांट दें ।

मुझे सन्तोष हुआ था उनके इस प्रकार के कथन से । यह बात किसी मानी में विचारों के सम्बन्ध में मैंने डाक्टर लोहिया साहब से भी सुनी थी। उन्होंने यह कहा कि भाई चरित्रबल के लिए हमको और संस्थाओं से मिलकर के प्रयास करना चाहिए । शायद उनको सफलता इस बात में नहीं मिली और दूसरी पार्टी के लोग शायद उनके साथी नहीं बने । लेकिन दूसरी पार्टी वाले बने हों या न बने हों, मैं उनकी ही पार्टी वालों से जानना चाहूंगा और अवस्थी जी से खास तौर से जानना चाहूंगा कि अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, इस तरह का कोई कदम उन्होंने उठाया है, जिससे कि लोगों में चरित्रबल आवे ? यह बात जांची हुई और मानी हुई है । मैं थोड़ा-सा उस तरफ सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं । वह जिस क्षेत्र में रहते हैं या कोई भी क्षेत्र हो जितना एक थाने का क्षेत्र होता है, एक थाने में केवल १३, १४ या १५ सिपाही होते हैं, उनके ही जरिये से चाहें कि पूरे क्षेत्र में शान्ति और अमन कायम रहे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही इन्तजाम रहे, यह उस समय तक सम्भव नहीं जब तक कि तमाम जनजीवन और पार्टियों का सहयोग प्राप्त न हो । मैंने देखा कि हमारे अवस्थी जी जो इस संकल्प को उपस्थित करने वाले हैं, पुलिस के कितने सहायक हैं और उनके इन्तजाम में कितनी मदद कर सकते हैं ।

जनसहयोग तो दूर रहा हमारे क्षेत्र में और खासकर उनके क्षेत्र में जहां जहां २, ४ जगह डकैती पड़ी, वहां जाकर अवस्थी जी ने आवाज उठाई कि जो ये गिरफ्तारी हुई है वे कांग्रेस वालों ने कराई है और कांग्रेसवालों ने फंसाया है । मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मामले अदालत के सामने होंगे । वहां जज साहब के इजलास में मुकदमा चल रहा था । बाहर कुछ मुजरिम लोग बैठे हुए थे । हमारे अवस्थी जी वहां गये और उन्होंने उन लोगों में से एक को देखा और कहने लगे कि तुम यहां कैसे ? उसने कहा अवस्थी जी क्या बतायें । अवस्थी जी ने कहा कि पुलिसवालों ने जबरदस्ती पकड़ा होगा । उसने कहा कि अब तो कोई चारा नहीं है और अवस्थी जी से मदद करने के लिये उसने कहा । मगर वह यही कहते रहे कि यह कांग्रेस वाले हैं जिनकी वजह से वे लोग फंसा दिये जाते हैं ।

महाराजपुर विधानू थाने में भी कई जगह ऐसे प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ इनकी तरफ से हुए हैं। मैं पूछता हूं कि क्या इस तरह से पुलिस का विकेन्द्रीयकरण हो सकता है? विरोध करने का कोई तरीका होना चाहिये। अगर कोई गलत आदमी पकड़ लिया गया है तो उसके लिये अदालत का रास्ता है। वहां पर वह अपनी सफाई या सुबूत पेश कर सकता है। यह एक तरीका है जो कि किया जा सकता है। यह नहीं होना चाहिये कि मुजरिम को बल मिले। मगर होता यह है कि अगर किसी आन्दोलन के लिये जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों को अवस्थी जी बुला लेते हैं जो मुजरिम हैं और दफा १०९ या १०७ में आने वाले हैं। ऐसे लोग अवस्थी

जी के पास आते हैं। उनसे अवस्थी जी कहते हैं कि बस चलो। यह हालत आज हमारे यहां क्षेत्रों की है। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से विकेन्द्रीयकरण हो?

जब तक हम जनता के अन्दर अपराधियों के प्रति घृणा पैदा नहीं करेंगे तब तक विकेन्द्रीयकरण से कोई लाभ जनता को नहीं हो सकता है। आज गांव में यह हालत है कि जो समाज में अपराध करने वाला है उसके लिये भी कुछ लोग थाने में पहुंच जाते हैं और उसको छुड़ाने की बात की जाती है। मैं यह समझता हूं कि जो विरोधी दल के भाई हैं उनका यह कर्तव्य होना चाहिये कि जो समाज में अपराध करने वाले हैं उनके प्रति जनता में एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे लोग उनका सामूहिक रूप से विरोध करें और उनका बहिष्कार करें; किन्तु आज हालत यह है कि इस प्रकार से नहीं होता है। इसी कारण इस प्रवृति को बल मिलता है। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि विधायक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये तो यह बिलकुल ठीक है। जब तक इस तरह की बात नहीं करते हैं, चाहे वह कांग्रेस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के, जब तक समाज में अपराधी के प्रति, और उस अपराध के प्रति समाज में घृणा या बहिष्कार पैदा नहीं करते तब तक यह विकेन्द्रीयकरण सफल नहीं हो सकता है।

हमारे वंशीधर जी शुक्ल ने कांग्रेसियों के प्रति कुछ इशारा करके यहां पर कविता सुनाई। मैं उनसे कहूंगा कि जरा अपने को तो समझिये। इस तरह की बातों से कोई काम नहीं बन सकता है कि आप अपने को तो बचा जायें और दूसरों को शिक्षा देने में लग जायं, जरा अपनी तरफ भी ध्यान दीजिये (व्यवधान)। हमारा सब का कर्तव्य है कि अपने को पहले देखें। अवस्थी जी की बात ऐसी है कि जो संकल्प उन्होंने सदन के सामने रखा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि वह जनता का संरक्षण कर रहे हैं और मुझे कुछ ऐसी उम्मीद हो गई है कि जब वह अपने क्षेत्र में अब लौटकर जायेंगे तो इस तरह के जो अपराध करने वाले हैं उनका साथ नहीं देंगे। किन्तु मुझे यह विश्वास नहीं होता है क्योंकि उनका पक्ष ही ऐसा है .....

श्री अधिष्ठाता--अपने सुझाव आप दें, उनके कार्य का विवरण न दें।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील--तो जो उनके तरीके हैं वे ऐसे नहीं होने चाहिये "गति न बने वक्तान की धनहित पढ़े पुरान, जाड़ न जाय बजाज का केतिक बेचे थान"। मैं यह बात सब के लिये कहता हूं, मैं केवल आपके लिये ही यह तरीका नहीं बताता हूं बल्कि हम सब को वही करना चाहिये.....

श्री शिव प्रसाद नागर--मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि आपके आदेश के बावजूद भी कि वह उनके कार्य का विस्तार से विवरण न दें, अपने सुझाव दें, वह अपनी बात कह रहे हैं। आप इस पर व्यवस्था दें कि फिर से क्या उनको वही बात कहनी चाहिये?

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य विषय पर ही बोलें।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील--मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। सब लोग अपना-अपना व्यवहार सम्हालें, तभी काम चलेगा। हमारे एक कम्युनिस्ट साथी ने कहा कि चूंकि बिना क्रान्ति हुए यहां स्वराज्य प्राप्त हो गया है इसीलिये यहां अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा अपना कहना यह है कि जब किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो उसमें कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां आ जाती हैं। हमारे यहां शान्ति और अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त हुआ है और उसी के अनुसार हमारे देश की प्रगति हो रही है। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार जिस काम के लिये कोई कदम उठाती है, हमारे साथी उसी ध्वनि में अपनी आवाज उठाने लगते हैं। जैसे कानपुर में जब मिल मजदूरों को बोनस मिलने वाला होता है या उनकी तनख्वाहें बढ़ने वाली होती हैं, उसी समय आप लोगों झंडा ऊंचा कर देते हैं, आवाज उठा देते हैं कि तनख्वाहें बढ़ायी जायं, बोनस दिलाया जाय। तो यह प्रस्ताव अवस्थी जी का भी उसी तरह का है।

[श्री ज्वालाप्रसाद कुरील]

जब पुलिस कमीशन की नियुक्ति हो चुकी है, केवल यश प्राप्त करने के लिये यह प्रस्ताव रख दिया गया। सरकार जिस प्रकार के काम करने की सोचती है उसी प्रकार की आवाज आप उठाने लगते हैं। श्री अवस्थी जी केवल मास्टर ही नहीं हैं, किसान भी हैं, ऐसा आपने उस दिन कृषि की बहस के दौरान कहा था। आपके भिन्न-भिन्न रूप हैं। हम और आप सभी चाहते हैं कि पुलिस में जो खामियां और खराबियां हों, उन पर प्रकाश डाला जाय। मैं पुलिस की तारीफ करने वाली कोई एजेन्सी नहीं हूं, लेकिन उन खराबियों को ठीक करने का वैधानिक तरीका क्या हो इस बात पर हमें गौर करना चाहिये। हड़ताल तो हम नहीं करना चाहिये, यह हमारा निश्चित मत है। एक कांग्रेसी साथी ने कहा कि जितने नंगे-भूखे होते हैं वे बदमाशी करते हैं और जेल जाते हैं। आप विधायक हैं, आप जेल जा कर सर्वे कर के देखें तो आपको पता चलेगा कि यह बात सही नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये।

पुलिस में जो खामियां हैं उनको दूर करने में हमें सहायक होना चाहिये। ऐसा लगता है कि प्रदेश में जिसकी जितनी ज्यादा जिम्मेदारी है उसको दुर्भाग्य से उतनी ही कम तनख्वाह मिलती है। मैं चाहता हूं कि उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय ताकि उनका रहन-सहन का स्तर उठ सके, उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। जो कमीशन नियुक्त हुआ है, मैं चाहूंगा कि आज की बहस उस के सामने जाय और वह इन बातों पर विचार करें। हम भी इस पर विचार करें कि यह पुलिस का प्रशासन कैसे ठीक हो और इस के लिये जरूरी है कि हम एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि जिसमें पुलिस को अपने काम में सहयोग मिल सके और जितनी उसमें खराबियां हैं, उनके विरुद्ध हम वैधानिक विरोध कर सकें। जो जुर्म करते हैं उनको सजा होती है। तरीका यह होना चाहिये कि हम जुर्म को किस तरह से साबित करें बजाय इसके कि हम कोई ऊल जलूल तरीका इस्तेमाल करें। इस तरह से हम अपनी आवाज शासकों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिये मैं माननीय अवस्थी जी से कहूंगा कि वे इन बातों पर जरा विचार करें और अपनी वाह-वाही के पीछे न पड़ें।

*श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया जो संकल्प माननीय अवस्थी जी ने प्रस्तुत किया है और जो इस सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ है, उसको और माननीय कुरील जी ने अपने भाषण में आजकल की मौजूदा जो जन-जीवन का चरित्र है उस स्थिति में पुलिस का विकेन्द्रीयकरण कहां तक ठीक होगा, उसको सुना। मान्यवर, जहां तक जनता के चरित्र का सवाल है, यह तो उसकी सरकार से आंका जा सकता है और इसके लिये पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। जहां उन्होंने जनता के चरित्र पर संदेह प्रकट किया वहां इसके लिये सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं, इस ओर कोई सुझाव नहीं दिया। मान्यवर, सचमुच में मौजूदा पुलिस का शासन जो चल रहा है उससे मैं समझता हूं, देश स्वतन्त्र होने से पूर्व यहां जो खराबियां थीं, आज उससे भी अधिक खराबियां बढ़ गयी हैं।

अभी मेरे मित्र कुरील जी ने अवस्थी जी के लिये बहुत कुछ कहा, मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं समझता हूं कि यदि वे और उधर के बैठने वाले अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें तो उनको पता लगेगा कि जो कुछ भी उन्होंने माननीय अवस्थी जी के लिये कहा है, वह सब उन पर ही उल्टे लागू होता है। वे सब बातें उन्हीं पर ही घटित होती हैं।

श्रीमन्, आज डकैतियां बढ़ती चली जा रही हैं, रहजनी की घटनायें होती चली जा रही हैं, नाना प्रकार के और भी जितने अन्याय हो सकते हैं वे भी हो रहे हैं। हमें तो यह देख कर बड़ा आश्चर्य और दुख है कि जो मौजूदा पुलिस है उसके यदि रकार्डस को देखा जाय तो पता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलेगा कि अब कोई बदमाश रह ही नहीं गया है। मैं अपने जिले की स्थिति देखता हूं, और भी प्रान्त की स्थिति देखता हूं। आज कोई डकैती पड़ती है तो जो डकैत होते हैं वे तो पकड़े नहीं जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं और उनको घरों में जाकर सोते हुए उठाया जाता है। उनको पता तक नहीं होता कि डकैती हुई या नहीं। वे थानों में लाये जाते हैं और जिनके यहां डकैती पड़ती है उनको बुला कर उन आदमियों को दिखाया जाता है ताकि वे शिनाख्त कर सकें। उनको बताया जाता है कि इन आदमियों ने डाका डाला है, इनको पहचान लो। जिनका डकैती से कोई सम्बन्ध नहीं होता वे इस तरह से पकड़े जाते हैं।

यह मेरा खुद का अनुभव है और उधर के बैठने वाले सदस्य भी इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। ये लोग उधर बैठकर मंत्री जी को खुश करने के लिये चाहे जैसी वकालत कर लें, लेकिन जो वस्तुस्थिति है वह सब को पता है। जो डकैती डालने वाले होते हैं पुलिस उनको अच्छी तरह से जानती है, उनको समझती है, लेकिन पकड़े वे लोग जाते हैं जो बेचारे शान्तिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जिनके चरित्र पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। इस तरह से गलत लोगों को पुलिस पकड़ कर उनसे रिश्वत लेती है। अगर नहीं, तो माननीय मंत्री जी इसकी खुली जांच करायें तो वह पायेंगे और उनके अनुभव में तो ये बातें होंगी। वे आज के पहले भी जनता के व्यक्ति थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। पद कोई सदैव के लिये बना रहेगा ? वह कोई जनता से दूर हो गये हैं, ऐसी बात नहीं है वह सब समझते हैं।

दूसरी बात, आजकल पुलिस उन गरीब आदमियों को कितना परेशान करती है झूठ-मूठ में, अगर उनसे कुछ रुपया लेना हुआ तो उनसे कह दिया कि जाने २१६ दफा है या कौन-सी दफा है, मुझे ठीक याद नहीं है, उसमें उन्हें बन्द कर दिया और कह दिया कि तुम्हारे यहां तो अमुक बदमाश ठहरा था, दो चार गवाह करा लिये और बन्द कर दिया। अगर गवाहों का निरीक्षण किया जाय तो वे वही होते हैं जो जरायम पेशा होते हैं और जिनका पेशा ही यह हो गया है। कोई मुकदमा लीजिये, छोटे-मोटे जितने होंगे उनमें वही नपे-तुले गवाह होते हैं। मान्यवर, दो-चार दफायें तो ऐसी हैं कि जिसको चाहो परेशान कर दो। अगर किसी से पुलिस चिढ़ती है तो किसी से कह दिया और २–३ रिपोर्ट उसके खिलाफ करा दीं और १५१ में फंसा दिया कि बड़ा भारी बलवा था, मैं नहीं पहुंचता तो मार-काट हो जाती। इस तरह के पुलिस के कारनामे हैं।

मुझे दुःख है, कोई आज डिक्टेटरशाही नहीं है, प्रजातंत्र है और वही व्यक्ति शासन कर रहे हैं जिन्होंने जनता में इन सब बातों का अनुभव किया है, लेकिन या तो उनमें साहस नहीं है और अगर साहस है तो वह प्रयास नहीं करते या नौकरशाही के हाथ मंत्री जी खेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसका उत्तर तो स्वयं मंत्री जी देंगे या उनका मन देगा, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि जिस समय १९४७ में देश आजाद हुआ था तो थोड़े दिन पश्चात् ऐसा मालूम होता था कि पुलिस में राम-राज सचमुच में स्थापित हो गया। पुलिस में इतना डर और भय था, लेकिन आज तो महामना माननीय गांधी जी के फोटो को देखकर, जोकि पुलिस के थानों में लगी हुई है, सिपाही कहता है कि गांधी जी कह रहे हैं कि पांच से कम मत लेना, यह हालत है।

मैं तो कहता हूं कि पुलिस के जो अधिकारी और कार्यकर्त्ता आज काम करते हैं उनसे अच्छे तो वे कुत्ते हैं जो पुलिस में काम करते हैं। मनुष्यों से अच्छा कुत्ते काम करते हैं, कम से कम उनके ऊपर रिश्वत का तो आक्षेप नहीं होता, वह इन्सान न होकर बदमाशों का पता लगाने में समर्थ तो होते हैं। क्या वजह है कि डकैती पकड़ी जाती हैं, डकैत पकड़े जाते हैं और क्राइम में कमी नहीं आती ? उसका एक मात्र कारण है कि खाना-पूरी करने के लिये कि असेम्बली में प्रश्न किये जाते हैं, दिखाने के लिये २० आदमी बन्द कर दिये और उन्हें डकैत करार दे दिया और उनकी

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

शिनाख्त करा दी। वे चाहें तो ठीक से पता लगा सकते हैं और पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि पुलिस और डकैतों की साठ-गांठ होती है। पुलिस उनसे रुपया लेती है। इटावा में डकैतियां पड़ीं। पारसाल की बात है ७–८ आदमी मारे गये, इस साल भी ७–८ आदमी मारे गये जोकि एक ही परिवार के थे। डकैती पड़ जाती है, सुबह खबर दी जाती है और पुलिस शाम को पहुंचती है और अगर उनसे कहा जाता है कि पहले क्यों नहीं आये तो कहा जाता है कि अपने प्राण थोड़े ही होम देंगे।

आज का पुलिस का जो ढांचा चल रहा है इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पुलिस द्वारा शोषण चल रहा है, पब्लिक से पूछा नहीं जाता, लोग कह रहे हैं कि हमने फलां को देखा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, वह तो उनको ही पकड़ते हैं जिन्हें फंसाना है। ४–६ गवाह उनके हैं, उन्हीं की गवाही ले ली, पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं। जिस गवाह को पुलिस ने रख लिया है वही जिस प्रकार पुलिस चाहेगी गवाही देगा। अगर अदालत में कोई व्यक्ति सही बात कह दे कि हमको मजबूर किया यह कहने के लिये तो पहले तो उसकी मुश्किल हो जायगी और सही बात कहने पर उसको होस्टाइल करार दे दिया जाता है कि वह तो मिल गया। यही कारण है कि सच्चे बदमाश नहीं पकड़े जाते। अगर सच्चे बदमाश पकड़े जाने लगें, ठीक प्रकार से उनको सजा होती जाय और मंत्री जी विभाग को ठीक तरह से कन्ट्रोल करें तो डकैतियां नहीं पड़ सकतीं।

एक और प्रथा चली है गिरोह बन्द करने की। ४, ६ आदमियों को ले लिया, उनमें एक मुखबिर कर लिया। थानेदार एस० पी० को खुश करना चाहते हैं और एस० पी० ऊपर वालों को खुश करना चाहता है। घर से आदमियों को थाने में बुलवा लिया कि चलो तुम से काम है। वहां नकली तमंचे जो १५, १५ और १७, १७ रुपये के, नहीं मालूम कहां से आ जाते हैं, वे उनके पास से निकले दिखा दिये जाते हैं और कह देते हैं कि गिरोह पकड़ लिया, जो कि फलां जगह डकैती डालने जा रहा था। तो इस खाली कारगुजारी दिखाने के ढंग में परिवर्तन होना चाहिये और जनता की इस तरह की कमेटियां होनी चाहिये जिनका कोई स्थान पुलिस की इनक्वायरी के साथ हो और माननीय मंत्री जी या उनके विभाग के लोग उनकी बातों पर ध्यान दें, या पुलिस के थानेदार की इन्क्वायरी के साथ सी० आई० डी० की भी तहकीकात हो कि थानेदार समझे कि उससे उनका तालमेल खाता है या नहीं और उसे कुछ डर रहे।

मालूम नहीं डकैतों के पास कहां से बन्दूकें आ जाती हैं, लेकिन अगर जनता अपनी सुरक्षा के लिये मांगती है तो उसे नहीं मिलती है। अगर कोई लाइसेंस के लिये दरख्वास्त देता है तो सालभर में उसकी थानेदार साहेब इन्क्वायरी करने आवेंगे। अगर उसने थानेदार साहेब को कुछ दे दिया तो ठीक ठीक वरना वह लिख देते हैं कि यह आदमी लाइसेंस के काबिल नहीं है भले ही उसकी हैसियत कितनी अच्छी क्यों न हो, और उसे लाइसेंस नहीं मिलता है। इसलिये मंत्री जी को जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था करनी चाहिये कि गांवों में आबादी के हिसाब से २, ४ बन्दूक हर गांव में दी जावें।

एक बात और है। छोटे-छोटे सिपाहियों को जो ६ आने भत्ता बाहर जाने पर पहले मिलता था वही आज भी है जबकि इतनी महंगाई हो गई है। अगर वह कहीं सफर करता है तो किराया तब मिलेगा जबकि वह स्टेशन मास्टर का लिखा हुआ पेश कर दे और उससे दर्ज करा ले। लेकिन यह बात ऊंचे अफसरों के लिये लागू नहीं है और वे फर्स्ट या सैकेन्ड क्लास का, जैसा चाहें वैसा किराया ले लेते हैं। यह भेद-भाव नहीं होना चाहिये। सिपाही सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन तनख्वाह उसकी सबसे कम है। आज थानेदार को आप १५०, १७५ रुपया माहवार देते हैं लेकिन वह एस० पी० साहेब के एक ही दौरे में इतना रुपया खर्च कर देता है। यह सब कहां से आता है? क्या माननीय मंत्री जी नहीं जानते कि यह कहां से आता है?

सच बात तो यह है कि मौजूदा कानून के अनुसार माननीय मंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते और आई० जी० व डी० आई० जी० चाहें तो उनकी बात मानें न चाहें तो न मानें।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कई दफा बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता--आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--माननीया, मेरे संकल्प पर आज सदन में जिन लोगों ने विवाद में हिस्सा लिया है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं अपना मन्तव्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह प्रस्ताव न तो मैंने इस कमीशन को देखने के बाद ही लिखा है और न इसको पहले से सोचे बगैर ही लिख दिया है। पुलिस की जो स्थायी समिति है उसमें मैंने ऐसे विचार व्यक्त किये थे कि पुलिस में आमूल परिवर्तन करने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये। उसके लिये गृह मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था। मैं उत्सुकता में था कि अवश्य ही कोई अच्छा काम किया जायगा। पुलिस कमीशन के निर्माण की सूचना मुझे माननीय राज्यपाल की घोषणा से हुई जो २७ जुलाई को हुई थी। मुझे बहुत दिनों तक इन्तजार रहा कि सरकार उस कमीशन की क्या योजना बनाना चाहती है, इन टर्म्स में मैंने इस संकल्प को सोचा। ज्योंही इसके टर्म्स आफ रिफेरेंस जारी हुए मेरी आशा निराशा में परिणत हो गयी।

अगर सरकार सचमुच ही पुलिस को परिवर्तित करना चाहती है तो सर्व प्रथम वह एक घोषणा करे कि वह पुलिस का किस प्रकार से निर्माण करना चाहती है। उसको पुलिस की कमियों का पूरा-पूरा अनुभव हो चुका है और वह इस बात को समझ गये होंगे कि उसमें परिवर्तन ही नहीं आमूल परिवर्तन होना चाहिये। लेकिन कमीशन की नियुक्ति में ऐसी कोई बात नहीं है। हम बात को न उठा कर केवल मात्र एक कमीशन की ही बात कही जाती है और जैसा कि कमीशन का कार्य हुआ करता है कि 'स्टेट्स को' रखने की चेष्टा की जाती है।

मेरी इच्छा तो यह थी कि सरकार ने भूमि के सम्बन्ध में जिस प्रकार से सुधार किये उसी प्रकार से पुलिस के सम्बन्ध में उसको करना चाहिये। भूमि के सम्बन्ध में सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। कांग्रेस की नीति थी कि भूमि सुधार तब तक नहीं होंगे जब तक जमींदारी को समाप्त न किया जायगा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस सरकार ने ग्रामीणों के उत्थान के लिये भी घोषणा की कि ग्राम राज्य कायम किया जायगा और उसने ग्राम पंचायत कायम कर दीं। उसी प्रकार से मैं आशा करता था कि सरकार यह घोषणा करती कि पुलिस को विकेन्द्रित किया जा रहा है और विकेन्द्रीयकरण की घोषणा होते ही, हमें विश्वास हो जाता कि पुलिस में परिवर्तन करने के लिये सरकार पूर्ण रूप से सहमत है। लेकिन यह कमीशन जो मुकर्रर हुआ है उसके टर्म्स आफ रेफरेंस को देख ने से मालूम होता है कि इसमें हौच पौच, थोड़ा-सा हेरफेर करने की बात ही रखी गयी है।

इन कमीशन और कमेटियों की कहानी मुझे मालूम है कि ये कमीशन सालों तक काम करते हैं। आप इसी को देखें कि २७ जुलाई को राज्यपाल ने घोषणा की और उसके ५ महीने बाद इसकी मुकर्ररी हुई। २३ जनवरी को यह कमीशन मुकर्रर हुआ जिसे भी आज दो महीने पूरे हो चुके हैं और अब जाकर क्वेश्चनेयर निकला है। जिस तरह से पहले गर्भाधान होता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

है और फिर ९ महीने में जाकर बच्चा पैदा होता उसी तरह से यह ९ महीने बाद निकला है। पता नहीं कि जो बच्चा पैदा होगा वह लुंज-पुंज होगा, नपुंसक होगा या कैसा होगा, जो संसार में कोई कार्य कर भी सकेगा या नहीं।

मैंने वर्मा जी की बात को सुना, वे शायद कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस में आमूल परिवर्तन की बात को सोच ही नहीं पाते हैं। यह स्प ट है कि वे सोचते हैं कि पुलिस के आधार में परिवर्तन होना चाहिये। पुलिस को हम ग्राम राज्य, स्वायत्त शासन के हाथ में देने की बात सोच लें और यह तभी सम्भव हो सकता है जब सरकार इस बात को ग्रहण कर ले और मान ले। हम मानते हैं कि इस सारे टर्म्स आफ रेफरेंस में विकेन्द्रीयकरण के बारे में एक शब्द है कि उसके नियन्त्रण में अपेक्षाकृत विकेन्द्रीयकरण करना वांछनीय है। कुछ डिग्री उस पावर में हेरफेर करना चाहते हैं। मैं कुछ अंश में हेर-फेर करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि पुलिस विभाग में आमूल परिवर्तन हो और मेरे संकल्प रखने का अर्थ यही है कि पुलिस ठीक प्रकार से स्वायत्त शासन संस्थाओं के हाथ में आ जावे, जैसे कि हमको अपने रचनात्मक कार्यों के लिये अधिकार मिल चुका है।

सरकार यह नहीं कह सकती कि ऐसा करना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। क्योंकि मैं निवेदन करूं कि पुलिस विभाग हमारे प्रान्तीय विषय में है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। हां, आमूल परिवर्तन करने के लिये हमको आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे माननीय गृह मंत्री जी अपने हृदय में इस बात को मानते हैं कि पुलिस में परिवर्तन होना चाहिये। यदि वे अपने दिल में इस बात को सोच चुके हैं तो वे आमूल परिवर्तन करने के लिये आगे बढ़ें और एक घोषणा करें कि पुलिस में विकेन्द्रीयकरण करने के लिये यह कदम उठाया गया है कि हम सारे केन्द्रीयकरण के हिस्से को बदल देंगे। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सारा खाका ही सदन के सामने रख देता कि पुलिस विभाग का किस प्रकार से विकेन्द्रीयकरण किया जा सकता है और किस प्रकार से पुलिस का सारा विभाग जनता के हाथ में दिया जा सकता है, जिससे पुलिस अपने को जनता का सेवक समझें।

आज पुलिस कोई काम करती है तो उसी को हम मूर्ख, बेवकूफ बनाते हैं और है भी वह मूर्ख, क्योंकि उसके साथ हमारी जनता का कोई सहयोग नहीं है। लेकिन अगर जनता का सहयोग उसके कंट्रोल में, उसके सुपरिन्टेंडेंसी में, उसके नियन्त्रण में हो तो हमारे लिये भी उनका मखौल उड़ाने और उनकी नुक्ताचीनी करने का कोई मौका न रह जाय। इसलिये आशा इस बात की है कि हमारा हाथ पुलिस के कंट्रोल, सुपरविजन वगैरह में हो। ऐसी भी रेखा बीच में होनी चाहिये कि सरकार के हाथ में क्या हो और विलेज लेविल से लेकर जिला लेविल तक किस प्रकार पुलिस का नियन्त्रण हो। इस के विषय में, यदि आप समय देंगी तो मैं पूरा ब्यौरा बता सकता हूं।

यदि आप देखें तो एक थाने में आम तौर से १७ कान्स्टेबिल और दो एक थानेदार होते हैं, और यह १९ आदमी ११५ गांवों पर शासन करते हैं और हजारों आदमियों के जानोमाल के जिम्मेदार होते हैं और इस काम को वह किसी तरह भी अंजाम नहीं दे पाते हैं। इस पक्ष के और उस पक्ष के सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि इन १७ या १९ आदमियों के द्वारा ११५ गांव के आदमियों की जानोमाल की रक्षा नहीं हो सकती। अगर आप उनकी दुगुनी और चौगुनी संख्या भी कर दें तब भी वह रक्षा नहीं हो सकती। टर्म्स आफ रिफ्रेंस में है कि टेक्निकल और नान टेक्निकल शाखाओं में किस तरह वृद्धि आदि हो या और आगे है कि संगठन की क्या आवश्यकता है। टर्म्स आफ रिफ्रेंस में कुछ भी हो इस से अंश मात्र भी अन्तर नहीं होता जब तक कि हम इस बात को पहले न मानें कि विकेन्द्रीयकरण के लिये सारा कंट्रोल सुपरविजन और सारी जिम्मेदारी विलेज लेविल से लेकर जिला लेविल तक और उस के ऊपर भी जनता के हाथ में रहे।

एक थाने में अगर १७ कांस्टेबिल और २ थानेदार हैं तो उन से यह काम नहीं चल सकता। अगर प्रयोग के लिये उन के साथ ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि रहें तो हम औसतन अगर अदालती पंचायतों के ५ आदमी लें तो इतने आदमी हो जाते हैं कि हम उन के द्वारा कार्य संचालन कर सकते हैं। इस तरह से डाके चोरी वगैरा कम होंगे और उस हालत में जरायम को रोकने में जनता का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और साक्षी जो आज नहीं मिलते हैं वह बात भी न रह जायगी और जनता फिर साक्ष्य देने के लिये भी तैयार रहेगी।

आज पुलिस के द्वारा जो चालान होते हैं उनमें साक्षी नहीं मिलते, जनता कहती है कि यह काम तो पुलिस का है वही सबूत दे हम से क्या मतलब है अगर जनता के प्रतिनिधियों का भी पुलिस के कार्य में हाथ होगा तो वह भी साक्षी देंगे और मामलों की ठीक तस्वीर सामने आयेगी इसलिये आवश्यकता है कि प्रत्येक थाने के साथ प्रत्येक पंचायती अदालत से उस के अन्तर्गत ग्रामों से प्रतिनिधि आयें कुछ संख्या में चाहे उन को आप कुछ भी कहें, उन्हें वेतन देने की भी आवश्यकता नहीं है, चाहे आप किसी अंश में दें चाहे आधा दें, एक तिहाई दें या दो तिहाई दें लेकिन किसी भी प्रकार उन का सहयोग प्राप्त करें ताकि जरायम का सही पता लगाने में आसानी हो। आवश्यकता इस बात की है कि, विलेज लेबिल से लेकर ब्लाक लेबिल तक, जिन में तमाम विकास के कार्यों का सम्पादन हो रहा है, यह सब काम हो पुलिस का नियंत्रण, थानेदारों का नियंत्रण, उन की नियुक्ति ट्रांसफर और रेकार्ड आदि का अधिकार उन को दिया जाय। इस तरह से आप के यह थानेदार और पुलिस उत्तरदायी पुलिस होगी; अगर विकास समितियों के स्तर पर यह जिम्मेदारी दी जायगी।

इंगलैण्ड में भी एक जमाने से मैट्रोपोलिटन पुलिस है और वह बड़े शान से शहर का काम करती है लेकिन यहां पर हमारी महानगरियों में पुलिस के किञ्चितमात्र अधिकार देने में यह सरकार घबराती है और अपनी निरंकुश शासन बनाये रखना चाहती है। जब तक आप इस तरह की पुलिस रखेंगे और निरंकुश शासन बनाये रखना चाहेंगे यह चोरी, डकैती, राहजनी और कत्ल बढ़ेंगे। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा मैं आप के द्वारा सदन के सम्मुख कुछ आंकड़े पेश कर दूं दो एक थानों में हालत यह है कि ४२ चोरियां हुईं और केवल १५ का चालान किया गया, दूसरे थाने में ३८ चोरियां हुईं और केवल १६ का चालान किया गया। दूसरे साल में इसी प्रकार से ३० चोरियां हुईं और केवल १५ का चालान किया गया।

हालत यह है कि हम चोरियों का पता लगा नहीं सकते। लेकिन विकेन्द्रीयकरण के लिये इसलिये नहीं बढ़ते हैं कि हमारी शक्ति छिन कर जनता के हाथ में चली जायेगी। लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायतें अभी इस योग्य नहीं हो पाई हैं। अगर आप जनता की संस्थाओं का विश्वास नहीं करेंगे तो वह कहानी याद आती है जबकि अंग्रेज कहते थे कि तुम इसके योग्य नहीं हो कि अपना शासन चला सको। हमने लड़कर छीना। क्या आप चाहते हैं कि हम बगावत करके छीन लें? हम छीनने की तैयारी भी कर रहे हैं, इसकी भी सूचना आपको दिये देता हूं। जितने भी चुनाव होते हैं ग्रामों में आप वहां पर नहीं पाते। इसलिये कि जनता का विश्वास आप पर नहीं रह गया है। आशा है कि सदन मेरे संकल्प को स्वीकार करेगा।

श्री रामस्वरूप यादव—अधिष्ठात्री महोदया, आज के इस प्रस्ताव पर दिन-भर विचार हुआ। शायद माननीय अवस्थी जी के नेता माननीय राजनारायण जी के अलावा इस प्रस्ताव का किसी ने समर्थन नहीं किया। शायद उनको भ्रम रहा हो और इसी कारण उन्होंने धन्यवाद दिया। माननीय गेंदा सिंह जी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। उनका संशोधन था कि तीन महीने में कमीशन रिपोर्ट दे। कमीशन ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, उसकी प्रगति अपनी जगह पर ठीक है। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि जहां तक हो सके उस रिपोर्ट को हालांकि उसको १५ महीने दिये गये हैं जल्दी से जल्दी शासन के सामने रख दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करूंगा कि कमीशन के अध्यक्ष श्री अजीत प्रसाद जी

[श्री रामस्वरूप यादव]

स्वयं इच्छुक हैं और जहां तक उसकी प्रगति का सम्बन्ध है, प्रश्नावली तैयार कर ली है। यही नहीं कि कमीशन के मेम्बरों ने ही तैयार कर ली हो बल्कि एक प्रस्तावित प्रश्नावली भी भेजी है जिससे बाहर के व्यक्तियों की राय मिल सके और जिसके आधार पर परिश्रम करके एक प्रश्नावली तैयार की है जो दो-तीन दिन में जनता के सामने उत्तरों के लिये भेजी जा सकेगी, ऐसी आशा है ।

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, जब यह प्रस्ताव पहले दिन आया था तो मैंने निवेदन किया था कि पुलिस कमीशन की स्थापना हो गई है इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं रही। लेकिन अवस्थी जी को ऐसी ही कृपा है। उनका ख्याल है कि इस कमीशन में विकेन्द्रीयकरण की दृष्टि से कोई टर्म आफ रेफरेंस नहीं रखा गया है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि जहां तक टर्म्स आफ रेफरेंस के आइटम २ का सम्बन्ध है, वह अपनी जगह पर काफी है और जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है कि क्या विकेन्द्रीयकरण उस स्तर तक होना चाहिये जैसी कि अवस्थी जी की राय है, उस पर मैं अपनी और सरकार की राय इस समय बताना उचित नहीं समझता हूं।

झारखंडे राय जी ने अपनी राय दी जो अवस्थी जी की राय से टकराती है। आज जब कि कमीशन के सामने एक विषय है तो यह उचित नहीं है कि शासन अपनी नीति घोषित करे जिससे कि कमीशन को कोई इम्बैरसमेन्ट हो। देश के जितने रहने वाले हैं, जो विद्वान हैं और जो संबंधित लोग हैं उनसे कमीशन स्वयं परामर्श लेकर फैसला करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। लेकिन हमारे मोती लाल जी को अकुलाहट थी कि अलावा इस बात के कि कमीशन की स्थापना हो, इस तरह की बहस पुलिस पर हो जाय जैसी कि बजट के मौके पर हुआ करती है। आज की बहस को अगर देखा जाय तो सब बहस ऐसी ही मालूम होती है कि मानो वह किसी विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में जिसका पुलिस से सम्बन्ध हो या बजट की बहस हो।

विकेन्द्रीयकरण तक ही अगर बहस सीमित रहती तो उत्तर देने में कोई कठिनाई न होती। आज एफ० आई० आर० के बारे में कहा गया, कहा गया चोरियां कम लिखी जाती हैं, जो लिखी जाती हैं उनका पता नहीं चलता, इसी तरह से तनख्वाह का भी प्रश्न आया। लेकिन कहने वालों ने यह नहीं सोचा कि अगर आये दिन पुराना राग अलापा जायगा तो नीरस हो जायगा। आज जो मुनासिब समझा गया वैसा ही इस विषय में कह दिया गया। लेकिन मेरी कुछ ऐसी राय है कि आज दिन भर का वक्त जो लिया गया अच्छा होता अगर इस विषय पर न लेते और इस प्रस्ताव को प्रस्तावक महोदय उसी समय वापस ले लेते जिस समय मैंने उनसे प्रार्थना की थी।

जहां तक कमीशन के रिफरेंस का सवाल है वह बड़ा व्यापक है। शायद माननीय सदस्यों को पता होगा कि कमीशन में १३ विषय उठाये गये हैं जिनके बारे में शासन ने निवेदन किया है कि कमीशन अपनी राय प्रकट करे, चाहे तनख्वाह हो, एफ० आई० आर० हो, नियुक्ति हो, वेतन वृद्धि हो, पदोन्नति का प्रश्न हो और जहां तक इस विषय का भी सम्बन्ध है कि पुलिस में कमियां हैं, उनके बारे में भी विचार हो। ये सब प्रश्न कमीशन के सामने हैं तथा पुलिस बजट पर जो वाद विवाद होता था, उसमें जो शिकायतें की जाती थीं उन सब को दृष्टि में रखकर पुलिस कमीशन कायम हुआ और माननीय अवस्थी जी को उससे ही संतुष्ट हो जाना चाहिये था। मैं नहीं समझता कि जब माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का कोई समर्थक नहीं है और उनके प्रस्ताव की मंशा भी कमीशन स्थापित हो जाने से पूरी हो चुकी है फिर भी अपने प्रस्ताव को क्यों प्रेस करते हैं। कमीशन की रिपोर्ट भी सदन में जल्द से जल्द आ जायेगी, इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का और माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रस्ताव तथा संशोधन पर राय लेने के लिये १५ मिनट तक समय बढ़ा दिया जाता है ।

पहले मैं संशोधन लेती हूं, उसके बाद मूल संकल्प लिया जायगा ।

प्रश्न यह है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय :

"साथ ही सदन इसे भी आवश्यक समझता है कि कमीशन अपनी नियुक्ति के तीन महीने के अन्दर एक अन्तरिम रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रस्तुत करे जिसमें आवश्यक जनहित के प्रश्नों पर अविलम्ब कार्यवाही की जा सके।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि वर्तमान पुलिस संगठन व्यवस्था तथा निर्माण व उसके कर्त्तव्यों में आमूल परिवर्तन करने हेतु विशेष कमीशन का संगठन किया जावे जो पुलिस संगठन को जनतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के आधार पर उसे कुशल, समर्थ और जनप्रिय एवं विकेन्द्रित बनाने की योजना उपस्थित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष--में ७,

विपक्ष--में १०६।)

श्री राजनारायण—सोशलिस्ट पार्टी के अलावा जो माननीय सदस्य न्यूट्रल रहे उनका क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता--उनका कुछ नहीं होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३१ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

वर्तमान समय में उद्योग विभाग के अन्तर्गत ५२ खादी केन्द्र एवं ८ बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित जिलों में चल रहे हैं और इन केन्द्रों पर १-४-५९ से ३१-८-५९ तक ९५,२१२ रु० व्यय हुआ है

(१) वाराणसी, (२) गाजीपुर, (३) बलिया, (४) मिर्जापुर, (५) जौनपुर, (६) गोरखपुर, (७) सीतापुर, (८) रायबरेली, (९) बस्ती, (१०) आजमगढ़, (११) देवरिया, (१२) इटावा, (१३) इलाहाबाद, (१४) झांसी, (१५) गोंडा, (१६) बहराइच, (१७) फैजाबाद, (१८) सुल्तानपुर, (१९) प्रतापगढ़, (२०) हरदोई, (२१) कानपुर, (२२) लखनऊ ।

सन् १९५६-५७, १९५७-५८ एवं १९५८-५९ में खादी योजना के अन्तर्गत, जिसमें १५० खादी केन्द्र, १६ बुनाई शिक्षण केन्द्र, एक पैटर्न मेंकिंग सेन्टर, चल रहे थे, व्यय निम्न प्रकार है :

सन्		विकास मद में रुपया	अनुदान एवं बाढ़ सहायता मद में रुपया
१९५६-५७	..	५,७९,९००	९,१६,७४४
१९५७-५८	..	६,५९,२००	१०,९५,५००
१९५८-५९	..	४,०४,५५२	८,०३,५७५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

तालिका

प्रदेश की चीनी मिलों के विरुद्ध ३१-१२-५६ को बकाया केन सेस की धनराशि का विवरण

क्रम-संख्या	मिल का नाम	१९५९-६० के पूर्व वर्षों का बकाया (लाख रुपयों में)	चालू १९५९-६० सीजन का बकाया (लाख रुपयों में)	दोनों का योग (लाख रुपयों में)
१	२	३	४	५
१	सरदारनगर ..	४.१०	२.५१	६.६१
२	पिपराइच ..	६.७५	०.८९	७.६४
३	घुघली	..	१.१०	१.१०
४	सिसवाबाजार ..	..	०.९३	०.९३
५	फरेंदा	२.८८	१.०७	३.९५
६	परतावपुर	..	१.११	१.११
७	बेतालपुर	..	१.४६	१.४६
८	गौरीबाजार ..	..	०.६५	०.६५
९	देवरिया	३.५०	०.९८	४.४८
१०	कैप्टेनगंज	..	२.०५	२.०५
११	खड्डा	१४.८४	१.५१	१६.३५
१२	छितौली ..	..	१.६३	१.६३
१३	लक्ष्मीगंज ..	६.८५	०.८५	७.७०
१४	रामकोला (के) ..	१०.८९	०.८५	११.७४
१५	रामकोला (पी) ..	..	१.४१	१.४१
१६	पडरौना ..	..	०.९४	०.९४
१७	कठकुइयां ..	..	१.३१	१.३१
१८	स्योराही ..	..	१.२४	१.२४
१९	भटनी ..	३.५९	१.३४	४.९३
२०	मुंडेरवा ..	२.००	०.५६	२.५६
२१	बस्ती	..	०.५१	०.५१
२२	वाल्टरगंज ..	..	०.६१	०.६१
२३	खलीलाबाद ..	१.७१	०.९४	२.६५
२४	बभनान ..	..	०.३३	०.३३
२५	नवाबगंज ..	५.५४	०.७१	६.२५
२६	बलरामपुर ..	..	०.६५	०.६५
२७	तुलसीपुर ..	..	०.६८	०.६८
२८	जरवलरोड ..	७.५४	१.५३	९.०७
२९	बुढ़वल ..	..	०.६०	०.६०
३०	बाराबंकी ..	४.१५	१.३७	५.५२
३१	शाहगंज ..	..	१.६४	१.६४

क्रम-संख्या	मिल का नाम	१९५९-६० के पूर्व वर्षों का बकाया (लाख रुपयों में)	चालू १९५९-६० सीजन का बकाया (लाख रुपयों में)	दोनों का योग (लाख रुपयों में)
१	२	३	४	५
३२	बिसवां ..	०.८८	०.७८	१.६६
३३	हरगांव ..	..	३.०३	३.०३
३४	महोली ..	०.६७	३.६६	४.३३
३५	मसोधा ..	२.५०	१.४६	३.९६
३६	हरदोई ..	..	२.५३	२.५३
३७	ऐरा ..	..	१.२०	१.२०
३८	गोला ..	..	७.११	७.११
३९	रोजा ..	..	१.१९	१.१९
४०	बरेली ..	१०.६३	१.०८	११.७१
४१	पीलीभीत ..	७.१३	३.३०	१०.४३
४२	बहेरी ..	..	..	..
४३	बिजनौर ..	५.९७	२.८७	८.८४
४४	धामपुर ..	४.२९	१.७४	६.०३
४५	स्योहारा ..	..	२.८४	२.८४
४६	दोघवाला ..	..	०.३९	०.३९
४७	देवबन्द ..	१०.७९	१.९६	१२.७५
४८	लक्सर ..	..	१.१४	१.१४
४९	सहारनपुर ..	८.२४	१.८१	१०.०५
५०	इकबालपुर ..	३४.३२	४.३१	३८.६३
५१	अब्दुल्लापुर ..	१.५८	०.१३	१.७१
५२	मन्सूरपुर ..	१३.३३	३.०९	१६.४२
५३	खतौली ..	३.७१	२.१०	५.८१
५४	रोहानाकलान ..	..	२.६१	२.६१
५५	शामली ..	..	३.६८	३.६८
५६	सरोती टांडा ..	..	१.३३	१.३३
५७	दौराला ..	..	१.८८	१.८८
५८	मवाना ..	..	१.८७	१.८७
५९	जसवन्त ..	..	१.९९	१.९९
६०	मोहिउद्दीनपुर ..	०.१७	१.२१	१.३८
६१	मोदीनगर ..	..	१.६७	१.६७
६२	सिम्भौली ..	..	०.३५	०.३५
६३	पशीनगर ..	६.०९	१.६०	७.६९
६४	काशीपुर ..	३.२०	३.४६	६.६६
६५	बाजपुर ..	२.०७	१.७४	३.८१
६६	न्यौली ..	..	१.०९	१.०९
६७	अगरोहा ..	३.९०	४.०३	७.९३
६८	बिलारी ..	२.७२	३.२५	५.९७
६९	रामपुर ..	..	२.३८	२.३८
	योग ..	१९६.५३	११५.८२	३१२.३५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

तालिका

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के नाम इस वर्ष चालू होने की तारीख, पेरे गये गन्ने तथा उत्पादित चीनी की मात्रा

क्रम-सं०	चीनी मिल का नाम	चालू होने की तारीख	१५-२-६० तक पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	१५-२-६० तक उत्पादित चीनी की मात्रा (लाख मनों में)
१	२	३	४	५
१	इकबालपुर ..	४-११-५९	४०.८६	३.७१
२	दोयवाला ..	४-१२-५९	१०.९४	०.९९
३	देवबन्द ..	२०-११-५९	४९.८०	४.५३
४	लक्सर ..	२-१२-५९	३०.६३	२.९४
५	सहारनपुर ..	२-११-५९	३४.२७	३.११
६	मन्सूरपुर ..	१-११-५९	५६.७५	५.२६
७	खतौली ..	१३-११-५९	४७.०३	४.५०
८	रोहाना ..	१८-११-५९	३२.०७	३.०४
९	शामली ..	२-११-५९	७३.११	६.६८
१०	सखोती ..	२-११-५९	२४.९५	२.२७
११	दौराला ..	४-११-५९	३९.८५	३.६८
१२	जसवन्त ..	१६-१०-५९	३६.३८	३.४८
१३	मोहिउद्दीनपुर ..	२-११-५९	२२.९३	२.१६
१४	बेगमाबाद ..	२-११-५९	३१.४४	२.९९
१५	सिम्भौली ..	१८-११-५९	३६.०३	३.४०
१६	मवाना ..	२-११-५९	३५.०४	३.३३
१७	बुलन्दशहर ..	२-११-५९	३०.९८	२.८९
१८	काशीपुर ..	३-११-५९	३४.७३	३.१२
१९	बाजपुर ..	२५-११-५९	२२.१६	१.८८
२०	न्यौली ..	२०-११-५९	२४.४९	२.२९
२१	अमरोहा ..	४-११-५९	४०.०८	३.६५
२२	बिलारी ..	२-११-५९	४०.१०	३.६९
२३	बहेरी ..	२०-११-५९	२७.०७	२.४९
२४	बरेली ..	१६-११-५९	२३.२९	२.१७
२५	गोलाभोत ..	२०-११-५९	४२.३९	३.९२
२६	रामपुर ..	२-११-५९	३३.७२	३.०५
२७	सेवहारा ..	४-११-५९	५९.५७	५.४८
२८	बिजनौर ..	२-११-५९	२९.१६	२.७५
२९	शेजा ..	४-११-५९	२२.३८	२.११
३०	बुलन्द ..	२०-११-५९	२९.५५	२.७५
३१	रजा ..	२६-११-५९	२६.७८	२.५३
३२	हरदोई ..	४-११-५९	४८.१३	४.८०
३३	हरगांव ..	४-११-५९	५९.६२	५.९६

क्रम-सं०	चीनी मिल का नाम		चालू होने की तारीख	१५-२-६० तक पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	१५-२-६० तक उत्पादित चीनी की मात्रा (लाख मनों में)
१	२		३	४	५
३४	महोली	..	४-११-५९	३५.६३	३.६६
३५	गोला ..	..	४-११-५९	८८.९२	८.६९
३६	ऐरा ..	..	३-११-५९	२२.८९	२.२३
३७	बाराबंकी	..	२१-११-५९	१६.६५	१.६४
३८	बुढ़वल	..	२०-११-५९	१३.२१	१.३०
३९	मसोधा	..	९-११-५९	३०.१९	३.०२
४०	बिसवां	..	२१-११-५९	१८.५१	१.९०
४१	शाहगंज	..	२१-११-५९	२१.५४	१.९९
४२	खलीलाबाद	..	२६-११-५९	१२.६३	१.२१
४३	मुन्देरवा	..	२६-११-५९	१४.२२	१.३७
४४	बस्ती	..	२-१२-५९	१४.७८	१.४५
४५	वाल्टरगंज	..	२०-११-५९	१६.५२	१.५९
४६	बभनान	..	७-१२-५९	११.८१	१.१५
४७	नवाबगंज	..	३-१२-५९	२०.८०	१.९४
४८	तुलसीपुर	..	२१-११-५९	१७.३७	१.६३
४९	बलरामपुर	..	२८-११-५९	१६.६९	१.६१
५०	जरवल रोड	..	२०-११-५९	१७.८८	१.६३
५१	परतावपुर	..	९-११-५९	२२.९३	२.१०
५२	बैतालपुर	..	२५-११-५९	१९.१६	१.७४
५३	गौरीबाजार	..	२७-११-५९	१५.६६	१.५९
५४	देवरिया	..	२८-११-५९	१७.०६	१.५४
५५	केप्टनगंज	..	९-११-५९	२५.२६	२.३७
५६	खड्डा ..	..	१०-११-५९	१५.७७	१.५५
५७	छितौनी	..	६-११-५९	२०.०८	२.०१
५८	लक्ष्मीगंज	..	६-११-५९	१६.६४	१.५२
५९	रामकोला (पो)	..	९-११-५९	२८.९५	२.८३
६०	रामकोला (के)	..	१०-११-५९	१८.३८	१.७४
६१	पडरौना	..	२०-११-५९	२०.३८	१.८९
६२	कठकुइयां	..	९-११-५९	१६.०२	१.५१
६३	स्योराही	..	९-११-५९	२४.९७	२.३१
६४	भटनी	..	९-११-५९	१६.७९	१.५०
६५	सरदारनगर	..	१०-११-५९	५२.३३	४.९५
६६	पिपराइच	..	८-११-५९	१८.९९	१.६५
६७	घुघली	..	९-११-५९	२३.१६	२.१२
६८	सिसवाबाजार	..	९-११-५९	१९.४१	१.८७
६९	फरेंदा	..	१८-११-५९	१९.९९	१.८८
		योग ..		१९९५.४५	१८८.२८

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

इलाहाबाद जिले के ब्रास स्क्रेप का कोटा पाने वाले उन व्यक्तिगत व्यापारियों की सूची जिन्हें अक्तूबर, १९५९ से मार्च, १९६० की अवधि में कोटा दिया गया

क्रम सं०	नाम	अक्तूबर, १९५९ से मार्च, ६० की छमाही में दिया गया ब्रास स्क्रेप टनों में
१	सर्वश्री प्राग दास पुरुषोत्तमदास, शमसाबाद, जिला इलाहाबाद ..	०.१०
२	सर्वश्री बद्रीप्रसाद शिवप्रसाद, शमसाबाद, इलाहाबाद ..	०.३०
३	सर्वश्री रामअौतार बटुक प्रसाद, ५२/३ लीडर रोड, इलाहाबाद ..	०.३०
४	सर्वश्री प्रयाग मेटल काटेज इन्डस्ट्रीज, ५२/१ लीडर रोड, इलाहाबाद ..	०.५५
५	सर्वश्री त्रिवेणी मेटल मैनुफैक्चरिंग वर्क्स, १९२ पुरवल्दी, कीटगंज, इलाहाबाद ..	०.०५
६	सर्वश्री गोपाल मेटल वर्क्स, ५२/२ लीडर रोड, इलाहाबाद ..	०.१५
७	सर्वश्री अयोध्याप्रसाद रामखेलावन जायसवाल, चेलखास, इलाहाबाद ..	०.०५
८	सर्वश्री महादेव शिवनारायन लाल, चेलखास, इलाहाबाद ..	०.०५
९	सर्वश्री भोलानाथ मंगला प्रसाद, शमशाबाद, इलाहाबाद ..	०.०३
१०	सर्वश्री रामनारायन श्यामलाल, शमसाबाद, इलाहाबाद ..	०.१०
११	सर्वश्री केदारनाथ लक्ष्मीचन्द्र, शमसाबाद, इलाहाबाद ..	०.२५
१२	सर्वश्री हरनरायन माखन लाल, सरायअकिल, इलाहाबाद ..	०.०५
१३	सर्वश्री सुखराम दास राजाराम, सरायअकिल, इलाहाबाद ..	०.१०

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

तालिका

जिला बस्ती के शुगर मिल मुंडेरवा पर केन सेस की देय, प्राप्त तथा शेष धनराशि का विवरण

वर्ष	देय धनराशि (लाख रुपयों में)	प्राप्त धनराशि (लाख रुपयों में)	शेष धनराशि (लाख रुपयों में)
१९५४–५५ ..	४.१९	४.१९	..
१९५५–५६ ..	१.८६	१.८६	..
१९५६–५७ ..	४.२२	४.२२	..
१९५७–५८ ..	३.५७	३.५७	..
१९५८–५९ ..	४.२५	३.३५	०.९०
योग ..	१८.०९	१७.१९	०.९०

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

सदस्यों के नाम

सभापति

१—श्री ब्रजमोहन बिड़ला

सदस्य

२—श्री एल० पी० मिश्रा

३—श्री बी० एन० दास गुप्ता

४—श्री पद्मपत सिंघानियां

५—श्री जे० के० श्रीवास्तव

६—श्री राम रतन गुप्ता

७—श्री एम० आर० जैपुरिया

८—श्री आर० पी० नेवटिया

९—श्री के० के० बिड़ला

१०—कर्नल बी० एच० जैदी

११—श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

१२—श्री संतोख सिंह (स्वर्गीय)

१३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा

१४—श्री देवकी नन्दन विभव

१५—महाराजकुमार बालेन्दुशाह

१६—श्री गोपी नाथ दीक्षित

१७—कुंवर गुरु नारायण

१८—श्री जी० एम० मोदी

१९—श्री आर० पी० बागला

२०—उद्योग संचालक—मेम्बर सेक्रेटरी।

संसद भवन